स्व–निर्देशित अध्ययन सामग्री
Self -Instructional Learning Material

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम

मॉड्यूल–14
व्यावहारिक अभ्यास कार्य
(Field Work Practice)

समाजकार्य स्नातक पाठ्यक्रम (द्वितीय वर्ष)
(सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता)

Bachelor of Social Work (Second Year)
(Specialization in Community Leadership)

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट
जिला-सतना (मध्यप्रदेश) - 485334

मॉड्यूल–14 : व्यावहारिक अभ्यास कार्य

अवधारणा एवं रूपरेखा : **प्रथम संस्करण 2016**

बी.आर. नायडू , आई.ए.एस. प्रमुख सचिव

जे.एन. कंसोटिया, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव

अलका उपाध्याय, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव

प्रेरणा एवं मार्गदर्शन :

प्रो. नरेश चन्द्र गौतम, कुलपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

परामर्श :

डॉ. टी. करुणाकरन, पूर्व कुलपति

डा. वीणा घाणेकर, वरिष्ठ सलाहकार

जयश्री कियावत, आयुक्त, महिला सशक्तिकरण

श्री उमेश शर्मा, कार्यपालन निदेशक, मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद

लेखक मण्डल :

डॉ. सचिन कुमार जैन, विकास संवाद

सौमित्र राय, विकास संवाद

सम्पादक मण्डल :

डॉ. अमरजीत सिंह

डॉ. वीरेन्द्र कुमार व्यास

डॉ. सूर्यप्रकाश शुक्ल

रेखांकन :

कु. प्रतिभा देवी, श्री सोवन बनर्जी

मुद्रक एवं प्रकाशक :

कुलसचिव (ग्रामोदय प्रकाशन की ओर से),

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

जिला–सतना (मध्यप्रदेश) – 485334, दूरभाष– 07670–265411

सम्पर्क :

डॉ. अमरजीत सिंह, निदेशक एवं लिंक अधिकारी

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (मध्यप्रदेश)

ई–मेल– cmcldpcourse@gmail.com, मोबाइल– 9424356841

श्री आर. के. मिश्रा, राज्य सलाहकार (यूनिसेफ) सी.एम.सी.एल.डी.पी.

ई–मेल– rkmishraguna@gmail.com, मोबाइल– 9425171972

कॉपीराइटः © – महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (मध्यप्रदेश)

आभारः– इस पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री अनेक स्रोतों, व्यक्तियों के अनुभव और संस्थाओं के प्रकाशनों एवं वेब साइट्स पर उपलब्ध सामग्री के सहयोग से तैयार की गई है। सभी के प्रति आभार।

मॉड्यूल–14 : प्रायोगिक कार्य – अभ्यास पुस्तिका

प्रायोगिक कार्य पुस्तिका	–	एक परिचय	5–8
प्रायोगिक / मैदानी कार्य (एक)	–	महात्मा गांधी ग्रामीण रोज़गार गारंटी क़ानून और योजना	9–13
प्रायोगिक / मैदानी कार्य (दो)	–	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून 2013 और राशन व्यवस्था	14–26
प्रायोगिक / मैदानी कार्य (तीन)	–	किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य और सशक्तिकरण	27–40
प्रायोगिक / मैदानी कार्य (चार)	–	हक के रूप में सरकार से मिलने वाली सेवाएं (मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी का क़ानून – 2010)	41–61
प्रायोगिक / मैदानी कार्य (पांच)	–	पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार) अधिनयम, 1996	62–71
प्रायोगिक / मैदानी कार्य (छह)	–	सामाजिक सुरक्षा का अधिकार (सामाजिक सुरक्षा पेंशन और आर्थिक सहायता योजनाएं)	72–78
प्रायोगिक / मैदानी कार्य (सात)	–	वन अधिकार कानून 2006	79–94
प्रायोगिक / मैदानी कार्य (आठ)	–	मध्यान्ह भोजन योजना और सामुदायिक पहल	95–108
प्रायोगिक / मैदानी कार्य (नौ)	–	शाला प्रबंधन समिति – गठन, भूमिका, कार्य और जिम्मेदारी	109–121
प्रायोगिक / मैदानी कार्य (दस)	–	गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994	122–128

■■■

प्रस्तावना

किसी भी ग्राम अथवा नगर के विकास के लिए सबसे बड़ा संसाधन वहां के लोग हैं। विकास की समस्याओं का हल समाज द्वारा ही संभव हैं। ग्राम अथवा नगर का विकास तब तक संभव नही हो पायेगा जब तक कि उसमें स्थानीय जन भागीदारी सुनिश्चित न हो। स्थानीय स्तर की समस्याओं व उनके समाधान की बेहतर जानकारी उन्हीं के पास है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सीमित संसाधनों से किस प्रकार अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है, इसका भी आंकलन वहां के लोग ही कर सकते हैं।

प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो स्वैच्छिकता के भाव से समाज के विकास एवं उत्थान के लिये कार्यरत होते हैं। यदि ऐसे लोगों को जागरूक, क्षमता सम्पन्न एवं सशक्त कर दिया जाए तो वे अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित तरीके से समाज की सहभागिता से समाज के विकास के लिये कार्य कर सकेंगे। ऐसे ही स्वप्रेरणा से प्रयासरत लोगों को शिक्षित कर सशक्त सामाजिक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने हेतु शासन द्वारा मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत एक वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर समाज कार्य (सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता) में सर्टिफिकेट, दो वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर समाज कार्य (सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता) में डिप्लोमा तथा तीन साल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर समाज कार्य (सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता) में डिग्री दी जायेगी। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसे क्षमतावान युवक एवं युवतियों को तैयार करना है, जिन्हें क्षेत्र के विकास की अच्छी समझ हो और जो क्षेत्र की समस्याओं की पहचान भी कर सकें। समस्याओं के निदान के लिए निर्णायक पहल कर सकें। आत्मविश्वास और ऊर्जा से ओत–प्रोत नौजवानों की ऐसी पीढ़ी तैयार हो जो समाज की समस्याओं के समाधान के लिए केवल सरकारी प्रयासों पर निर्भर न हों, बल्कि समुदाय के परिश्रम और पुरुषार्थ से ग्राम की या अपने आस–पास की परिस्थितियों को बदलने के लिए सकारात्मक पहल कर सकें।

यथार्थ में अपने क्षेत्र के विकास में आपके योगदान से ही स्वर्णिम मध्यप्रदेश का स्वप्न साकार हो सकेगा। इसी की पहली कड़ी के रूप में यह पाठ्यक्रम आपके सम्मुख प्रस्तुत है, जिसमें परिवर्तन और विकास के दूत बनाने के लिए आपको सैद्धान्तिक और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रयास किया गया है कि आप ग्राम के विकास के प्रयासों को वैज्ञानिक स्वरूप दे सकें। आप जो भी सामुदायिक कार्य करें वह स्थायी हो, सबके सहयोग से हो और सबके विकास में सहयोगी हो। इस दृष्टि से समुदाय विकास के कुछ महत्वपूर्ण आयामों को इस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में आपके ज्ञानवर्धन एवं प्रशिक्षण हेतु समायोजित किया गया था।

पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की गतिविधियों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर आपने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से एक पड़ाव पार कर लिया है। इसी दिशा में सतत् प्रयत्नशील रहकर आपको लोगों की सहभागिता से अपने गाँव/क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलना है। सैद्धांतिक विषयों के बाद यह व्यावहारिक कार्य की मार्गदर्शक पुस्तिका है। अपने गाँव और क्षेत्र में जिन कार्यों को आपको सम्पन्न करना है उसकी सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि और उसके व्यावहारिक कार्य स्वरूप की रूपरेखा इस पुस्तिका में दी गई है। यथार्थ में यह मॉड्यूल सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों में सीखी गई बातों को अपने आसपास व्यवहार में लाने के मकसद से तैयार की गई है। इसमें दस गतिविधियां हैं जिसे आपको अपने गाँव क्षेत्र में अनिवार्य रूप से सम्पादित करना है।

विश्वास है कि यह जानकारी और प्रशिक्षण आपके लिए उपयोगी और प्रभावी सिद्ध होगा। चलिए! शुभकामनाओं के साथ पठन–पाठन की इस रचनात्मक प्रक्रिया के साझीदार बनते हैं।

■■■

व्यावहारिक अभ्यास कार्य पुस्तिका : एक परिचय

पृष्ठभूमि

टिकाऊ विकास लक्ष्य 2030 को हासिल क्यों किया जाना जरूरी है?

ऐसा इसलिए, ताकि विश्व में गरीबी, भुखमरी और असमानता को खत्म किया जा सके। ये लक्ष्य तब तक हासिल नहीं किये जा सकते हैं, जब तक कि हमारे गांव और इलाके में इन लक्ष्यों को हासिल करने की जुनूनी पहल न हो। ये लक्ष्य केवल सरकारी कार्यक्रमों के बन जाने से हासिल नहीं होने वाले हैं। इन्हें हासिल करने के लिए समुदाय को बदलाव की कमान अपने हाथ में लेना होगी।

हमने यह जान लिया है कि इन लक्ष्यों की सूची में विकास के कौन–कौन से पहलू शामिल हैं। हमने उनके अर्थ को भी समझा है और अपनी भूमिका को भी पहचानने की कोशिश की है।

अब हम इस विषय (टिकाऊ विकास लक्ष्य 2030 और समुदाय की भूमिका) के दूसरे हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। यह हिस्सा है प्रायोगिक कार्य का। जितने भी लक्ष्यों को हमने यहाँ चुना है, उन्हें हासिल करने के लिए हमें अपनी पंचायत/समुदाय में एक साझा पहल करना है।

मकसद

इसका मकसद यह है कि हम एक बेहतर समाज, जिसमें कोई भूख से साथ न सोये, गरीबी में न रहे और हर कोई असमानता के जख्म से मुक्त हो, इस लक्ष्य को हम अपने सीमित दायरे में हासिल कर सकें। यह काम कैसे किया जाएगा, इसके कुछ प्रयोग हमें करना होंगे। बात केवल किताबी न रहे और उसे हम जमीन पर उतार सकेंगे या नहीं, यह जांचना इन प्रायोगिक कामों का मकसद है।

प्रायोगिक/ जमीनी कार्य का तरीका

1. प्रायोगिक कार्य की शुरुआत करने के लिए हमें कुछ समय इस बात पर विचार करने के लिए लगाना चाहिए कि हम जब अपने समुदाय, गांव या समाज को बेहतर बनाने की बात करते हैं, तब हमारे सामने कैसे समाज और गांव का चित्र उभरता है? हम अपने परिवेश को किस रूप में देखना चाहते हैं?

2. हम जिस गांव, बस्ती, समुदाय के बारे में विचार कर रहे हैं, वहां सबसे वंचित, शोषित और सबसे उपेक्षित कौन है और क्यों है?

3. जरा उन जानकारियों को इकठ्ठा करें, जिसने यह पता चले कि वहां किन–किन लोगों के लिए, किस–किस तरह की योजनाएं, कार्यक्रम और क़ानून मौजूद हैं?

4. अपने से यह सवाल पूछिए कि क्या मुझे जानकारी है –

   - समुदाय में सबसे वंचित लोगों के बारे में?
   - उनके वंचितपन के कारणों के बारे में?

- इसके बारे में कि पंचायत में किन–किन लोगों के लिए कौन–कौन सी योजनाएं और कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं?
- लोगों को कौन–कौन से हक कानूनों के जरिये मिले हुए हैं?
- सभी योजनाओं, कार्यक्रमों और कानूनों के क्रियान्वयन की जमीनी स्थिति क्या है?

5. हमने यह तय कर लिया है कि सामुदायिक नेतृत्व की प्रक्रिया से जुड़ने का मतलब है लोगों से, खास तौर पर सबसे वंचित तबके की स्थिति में सकारात्मक बदलाव लाना।

6. इसके लिए हमें एक तरफ तो जानकारियों को इकठ्ठा करना होगा, दूसरी तरफ लोगों को एकजुट करते हुए योजनाओं–कार्यक्रमों–क़ानून का सही रूप में क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा।

7. प्रायोगिक कार्य की शुरुआत में हम अपने विषय (जो भी कार्यक्रम या लक्ष्य तय किया है) से सम्बंधित जानकारी (जैसे मनरेगा में रोज़गार, सामाजिक अंकेक्षण, काम के मांग, बेरोज़गारी भत्ते, मजदूरी के भुगतान आदि) इकठ्ठा करनी होगी और उसका थोड़ा विश्लेषण करना होगा, ताकि हमें यह पता चल सके कि कितने लोगों को रोज़गार की जरूरत है, कितनों को मिलता है, पलायन की स्थिति और इसके उनकी जिंदगी पर असर क्या पड़ रहे हैं? इसी तरह वन अधिकार क़ानून, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आंगनवाड़ी, स्वच्छता, खेल के मैदान, स्कूल, पीने के पानी की स्थिति, महिलाओं के खिलाफ हिंसा आदि–आदि विषयों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करके विश्लेषण किया जा सकता है।

8. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपनी जानकारियों को समूह चर्चा के माध्यम से समाज के लोगों के बीच में बाँटें और वहीँ उसका विश्लेषण करें। कोशिश करें कि अपनी जानकारी, ज्ञान और पूर्वाग्रहों से यह विश्लेषण प्रभावित न हो।

9. प्रायोगिक कार्य के लिए हमने जो विषय या मुद्दा तय किया है, उसकी मौजूदा स्थिति क्या है और हम उसमें क्या बदलाव लाना चाहते हैं, हम अपनी प्रक्रिया कैसे चलाएंगे, यह एक कागज़ पर लिख लें।

10. प्रायोगिक कार्य के अंत में आपको यह जांचना है कि जब हमने शुरुआत की थी, तब क्या स्थिति थी और हमारी पहल के बाद हमने स्थितियों को कैसे और कितना बदला?

11. अपने काम, अनुभवों, समाज से बातचीत के दौरान उभर कर आ रहे बिंदुओं को लगातार लिखते जाना।

12. यह जांचें कि हम जिस विषय/मुद्दे पर काम कर रहे हैं, उसका टिकाऊ विकास लक्ष्यों से क्या जुड़ाव है?

कुछ तरीके, जिनका उपयोग किया जाए –

1. समुदाय के साथ समूह चर्चा और उसका दस्तावेजीकरण करना

2. योजना/क़ानून से सम्बंधित लोगों/परिवारों से सघन बातचीत

3. योजना/कार्यक्रम से सम्बंधित स्थानों/दफ्तरों का भ्रमण और अवलोकन

4. तथ्यों और जानकारियों को इकठ्ठा करने के लिए प्रश्नावली

5. उपलब्ध हो रही जानकारियों/तथ्यों को ज्यों का त्यों लिखना

6. उपलब्ध जानकारियों की पुनःजाँच

7. ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत या सम्बंधित विभाग से अपने विषय/गांव से सम्बंधित जानकारियां हासिल करना

8. सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाना

9. समुदाय से आवेदन बनवाना, लगवाना और फालोअप में उनकी मदद करना

प्रायोगिक/जमीनी कार्य की रिपोर्ट

आपको अपने प्रायोगिक कार्य के तहत अंत में एक लिखित रूप में एक दस्तावेज जमा करना होगा। इसमें आपको निम्न बिंदुओं के बारे में स्पष्ट जानकारी देना होगी?

बिंदु	अपेक्षा	शब्द संख्या	आपका उत्तर और विश्लेषण
मकसद	हमने जिस विषय/मुद्दे पर प्रायोगिक/जमीनी काम किया, वह विषय हमने क्यों और कैसे चुना?	200 शब्दों में	
परिस्थिति का आंकलन	जिस विषय/मुद्दे पर हमने प्रायोगिक/जमीनी काम किया, उस विषय की स्थिति काम की शुरूआत में क्या थी यानी परिस्थिति क्या थी? हमने परिस्थिति का आंकलन कैसे किया?	300 शब्दों में	
समुदाय की भूमिका और नेतृत्व	हमने जो काम किया उसमें समुदाय/उस विषय से प्रभावित लोगों की क्या भूमिका थी? क्या आपको लगता है कि समुदाय इस विषय से जुड़ पाया और इसमें नेतृत्व लिया?	300 शब्दों में	
प्रक्रिया	हमने जो प्रायोगिक/मैदानी काम किया, उसकी प्रक्रिया क्या थी? पंचायत से चर्चा, आवेदन, बैठक, संवाद, जिला प्रशासन या जनप्रतिनिधियों से मिलना, समुदाय के साथ बैठकें, लिखा–पढ़ी आदि काम कब, क्यों और किस तरह से किये गए? और इन्हें करने की जरूरत क्यों पड़ी?	500 शब्दों में	

तैयारियां	प्रायोगिक/मैदानी कार्य को करने के लिए हमने क्या–क्या तैयारियां की थीं? मसलन जानकारियां इकठ्ठा करना, समूह बनाने के लिए लोग की पहचान करना, सहयोगियों की पहचान करना अदि	500 शब्द	
साझेदारी	इस काम में हमें किन्होंने – किस तरह का सहयोग किया?	200 शब्दों में	
चुनौतियां	इस काम में हमारे सामने किस तरह की चुनौतियां आयीं और हमने उनका सामना कैसे किया?	200 शब्दों में	
बदलाव/प्रभाव	इस काम को करने से क्या बदलाव आया, क्या स्थिति में कोई सुधार हुआ? यह जरूरी है कि आपकी व्याख्या में आपकी भूमिका और क्या बदलाव हुआ, वह स्पष्ट रूप से नज़र आये।	500 शब्दों में	
सीखें	इस काम के करने से हमें हमने क्या सीखा?	200 शब्दों में	
संख्यात्मक स्थिति	हमने जो प्रायोगिक/मैदानी कार्य किया, उससे कितने लोगों/परिवारों को लाभ हुआ और किस तरह का लाभ हुआ? जैसे 100 लोगों ने रोज़गार के लिए आवेदन दिया, काम पाया और समय पर मजदूरी हासिल की।	200 शब्दों में	
कोई और बात, जो आप साझा करना चाहते हैं।			

प्रायोगिक/मैदानी कार्य – 1

महात्मा गांधी ग्रामीण रोज़गार गारंटी क़ानून और योजना

लक्ष्य – पूरे विश्व से हर तरह की गरीबी की समाप्ति, चाहे वह किसी भी रूप में हो।

पृष्ठभूमि

वर्ष 2006 में भारत की संसद ने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले सभी परिवारों को रोज़गार का कानूनी अधिकार दिया। इस क़ानून का नाम है – महात्मा गांधी ग्रामीण रोज़गार गारंटी क़ानून (मनरेगा)। इसमें लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति/परिवार काम की मांग करेगा, उन्हें काम की मांग करने के 15 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से रोज़गार दिया जाएगा। इस क़ानून को लागू करने के लिए ही महात्मा गांधी ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना बनी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें गरीबी की रेखा, किसी खास सामाजिक वर्ग का होने सही कोई शर्त लागू नहीं है।

मनरेगा देश की ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोज़गार के अभाव और संसाधनों की उत्पादकता में सीमितता के कारण पनपने वाली गरीबी और भुखमरी से सुरक्षा देने में अहम भूमिका निभाता है। शर्त एक है – क़ानून का उसकी मंशा के मुताबिक ईमानदार क्रियान्वयन होना।

यदि यह अच्छे से लागू किया जा सके तो इससे –

1. गांव से शहरों की और बदहाली के कारण होने वाले पलायन में कमी आएगी। अगर गांवों में काम उपलब्ध हो और सही समय पर उचित मजदूरी मिले तो कई परिवार शहर आने के बजाये, अपने गांव में ही रुकना चाहेंगे।
2. रोज़गार का आश्वासन महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाता है। अनुभव यह है कि इस क़ानून के तहत काम मिलने से श्रम में महिलाओं की पहचान और मौजूदगी बढ़ी है।
3. इससे गांव में सड़क, खेतों–जंगल का सुधार, पानी–पर्यावरण का संरक्षण, बच्चों के लिए खेल के मैदानों का विकास जैसी परिसम्पत्तियां निर्मित हो सकती हैं।
4. इससे ग्रामीण समाज में सत्ता समीकरणों और प्रशासनिक ताने–बाने के कामकाजी तौर तरीकों में बदलाव आएगा।
5. पारदर्शिता बढ़ेगी।
6. श्रमिकों की स्थिति में बदलाव आएगा। एक समय ऐसा रहा है, जब श्रमिकों को बेहद कम मजदूरी दी जाती थी, पर मनरेगा ने न्यूनतम मजदूरी के मानक स्थापित करके, बड़ा बदलाव लाने में मदद की है।

यह रोज़गार की कोई सामान्य योजना नहीं है, यह एक क़ानून है। इसका मतलब है कि काम मिलना ही है और काम देना ही है।

कुछ मायनों में यह एक बदलावकारी क़ानून है। जब इसकी व्यवस्था बनी तो इसमें दो नज़रिए उभर कर आये –

अ. **पहला नजरिया** – ग्रामीण परिवार को काम की गारंटी मिली। गारंटी का मतलब है कि मांग करने पर काम दिया जाना। यदि निर्धारित समय में काम न दिया जाए, तो उन परिवारों (जिन्होंने काम की मांग की है) बेरोज़गारी का भत्ता दिया जाना। अगली बात है काम दे दिए जाने के बाद यदि 7 से 15 दिन में मजदूरी का भुगतान नहीं होता है तो इस देरी से भुगतान के लिए भत्ता दिया जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें लोगों के हक के साथ–साथ सरकार की ठोस जिम्मेदारी भी तय की गयी है।

आ. **दूसरा नजरिया** – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी क़ानून के क्रियान्वयन के लिए जो ढांचा और व्यवस्थाएं बनीं, उसमें समाज को महत्वपूर्ण नेतृत्वकारी भूमिका मिली। क़ानून कहता है कि मनरेगा के तहत जो काम होंगे, उनके बारे में निर्णय ग्रामसभा और पंचायतें करेंगी, यानी विकास की योजना लोग खुद बना सकेंगे। मनरेगा के तहत होने वाले कामों की निगरानी लोग खुद करेंगे। हर छह महीने में सामाजिक अंकेक्षण होगा, जहाँ खर्चे, काम की गुणवत्ता, लोगों को मिले रोज़गार–भत्ते पर खुली चर्चा होगी। इसमें सहभागिता, जवाबदेहिता और पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किये गए हैं।

क़ानून / योजना के मुख्य हिस्से

1. भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हर परिवार को एक वर्ष में 100 दिन का रोज़गार पाने का अधिकार है।
2. यह एक मांग आधारित क़ानून है, यानी जब व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप में काम मांगेगा, तो उसे उसकी मांग के एवज में पावती दी जायेगी। ऐसे में यदि उसे काम नहीं मिलता है, तो वह पावती एक प्रमाण का काम करेगी, ताकि उन्हें बेरोज़गारी भत्ता मिल सके। मजदूरी में देरी से भुगतान के लिए भी यह बहुत जरूरी है।
3. इसमें जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति या परिवार काम के लिए अलग–अलग आवेदन दे, गांव के लोग मिलकर भी एक संयुक्त आवेदन दे सकते हैं।
4. जब दस लोग एक साथ काम मांगेंगे तब उनके लिए एक नया काम खोला जा सकेगा। यदि दस से कम लोग काम मानते हैं, तब उन्हें पंचायत वहां काम पर लगायेगी, जहाँ काम चल रहा है। वह जगह गाँव से दूर भी हो सकती है।
5. इस क़ानून के हिसाब से पंचायत कर परिवार का पंजीयन करेगी। जिन परिवारों का पंजीयन होगा, उन्हें एक रोज़गार कार्ड (जाब कार्ड) दिया जाएगा। जिसमें उस परिवार के द्वारा किये गए कामों और मजदूरी के भुगतान का विवरण दर्ज होगा।
6. हमें जब भी काम चाहिए, उसके लिए पंचायत को लिखकर या बोलकर आवेदन देना होगा। आवेदन किसी भी रूप में दिया जाए, उसकी पावती जरूर दी जाना चाहिए।
7. आवेदन देने के 15 दिनों के भीतर अगर सरकार या पंचायत काम नहीं दे पाती है, तो उन परिवारों को बेरोज़गारी भत्ता पाने का कानूनी हक है।

8. इस क़ानून में मुख्यतः शारीरिक श्रम आधारित रोज़गार दिए जाने का प्रावधान है। इसके तहत राज्य के लिए तय की गयी न्यूनतम मजदूरी की राशि के हिसाब से भुगतान होगा।

9. इसमें महिलाओं और पुरुषों को बराबर मजदूरी मिलेगी। इसमें कोई भेदभाव न होगा।

10. मजदूरी का भुगतान बैंक या पोस्ट आफिस के जरिये होगा।

11. यह क़ानून कहता है कि काम करने के एक सप्ताह के भीतर मजदूरी का भुगतान किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो मजदूरी मुआवजा अधिनियम के तहत देरी से भुगतान का मुआवजा दिया जाएगा।

12. वैसे तो काम गांव में ही या पाच किलोमीटर के दायरे में दिया जाएगा। यदि कार्य स्थल की दूरी गांव से 5 किलोमीटर दूर है तो मजदूरी की 10 प्रतिशत राशि के बराबर यातायात खर्च भी दिया जाएगा।

13. यदि मनरेगा के तहत चल रहे काम में कोई दुर्घटना हो जाए तो घायल होने या मृत्यु होने पर मुआवजा दिए जाएगा।

14. इस योजना के तहत मिट्टी, पानी, जंगल, खेत या किसी भी तरह के निर्माण कार्य को करने का निर्णय लेने का अधिकार ग्राम सभा को है। यानी योजना ग्राम सभा बनाएगी।

15. जहाँ भी काम चलेगा, वहां मजदूरों के लिए पीने का साफ़ पानी, प्राथमिक दवाओं का डिब्बा और छाँव की व्यवस्था होगी।

16. वहां बच्चों के लिए झूलाघर बनाया जाएगा। यदि काम की जगह पर 6 साल से कम उम्र के पांच या इससे ज्यादा बच्चे हैं, तो वहां उन बच्चों की देखभाल के लिए एक महिला को भूमिका दी जाएगा। उन्हें न्यूनतम मजदूरी के बराबर की राशि दी जायेगी।

17. इसमें वृद्धों और विकलांगों को उनकी क्षमता के मुताबिक रोज़गार दिया जाएगा।

18. ग्रामसभा इस योजना के अंतर्गत हर काम की जांच–पड़ताल (सोशल आडिट) करेगी। या सोशल आडिट हर 6 महीने में होगा।

19. इसके तहत छोटे किसानों के खेतों की मेड बंधान, कुएं खोदने, वृक्षारोपण, तालाब निर्माण के काम प्रमुखता से किये जाने की व्यवस्था है।

प्रायोगिक कार्य में क्या करना है?

जब आप महात्मा गांधी ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के क्रियान्वयन पर प्रायोगिक कार्य करेंगे, तो हमें सबसे पहले उस नज़रिए को दोहराना होगा कि इस योजना का मकसद रोज़गार का अधिकार देना, जिम्मेदारी और जवाबदेहिता सुनिश्चित करना और समाज के लिए उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण करना है।

अपने कार्यक्षेत्र में सबसे पहले मनरेगा के क्रियान्वयन की मौजूदा स्थिति का आंकलन करें। इस आंकलन में क़ानून/योजना के मुख्य हिस्से शीर्षक के तहत दिए गए 18 बिंदुओं में से हर बिंदु को आधार बनाये और स्थिति को जांचें।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य

प्रायोगिक/मैदानी कार्य के लिए कुछ बिंदु	क्या कार्यवाही करें?
यह देखें कि किसी का पंजीकरण छूटा तो नहीं है?	यदि छूटा है तो पंचायत से मिलकर उनका पंजीयन करवाएं।
क्या सभी को जाब कार्ड मिल गए हैं?	यदि किसी को नहीं मिले हैं, तो उन्हें जाब कार्ड दिलवाएं।
नियमानुसार जाब कार्ड रोज़गार हकधारक के नियंत्रण में ही होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी/दफ्तर, पंचायत, सरपंच या पंचायत सचिव सहित किसी और के पास नहीं होना चाहिए।	यदि लोगों के जाब कार्ड किसी और के नियंत्रण में हैं, तो इस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी या कलेक्टर के साथ मिलकर कार्यवाही की प्रक्रिया में जाएँ।
पंचायत में मनरेगा के तहत जो काम चल रहे हैं, क्या उनके लिए लोगों ने काम की मांग की थी?	यदि बिना मांग के काम चल रहे हैं और रोज़गार दिया जा रहा है, तो उसे रुकवाएं नहीं। समुदाय को बताएं कि काम की मांग करना जरूरी ताकि हमें पावती मिले और क़ानून में दिए गए अन्य हकों की सुरक्षा हो सके।
जाब कार्ड किनके पास है? जाब कार्ड बनाने के लिए किसी ने कोई धनराशि तो नहीं ली?	जाब कार्ड हक धारक के पास की होना चाहिए और यह निःशुल्क मिलता है। यदि ऐसा न हो तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कलेक्टर से मिलकर जवाबदेहिता सुनिश्चित करने वाली प्रक्रिया चलायें।
मनरेगा के तहत वार्षिक और पंचवर्षीय योजना ग्राम सभा में बनना और अनुमोदित होना चाहिए।	समुदाय के साथ मिलकर सुनिश्चित करें और अपने संसाधनों, जरूरतों के मुताबिक समूह में बैठकर योजना का निर्माण करवाएं, ग्राम सभा में चर्चा हो और पंचायत उसके मुताबिक प्रक्रिया चलायें।
मनरेगा के तहत कुछ हितग्राही मूलक योजनाएं भी हैं। जैसे – कपिलधारा मेंनिजी भूमि पर कुँए, खेत तालाब, चेक डेम, स्टाप डेम, लघु तालाब बनाए जाते हैं। नंदन फलोद्यान में फलों के पेड़ लगाने, भूमि शिल्प में भूमि सुधार, रेशम योजना, निर्मल वाटिका आदि।	यह देखें कि इन योजनाओं में गांव/समुदाय में किन लोगों को लाभ मिल रहा है? क्या उन्हें पूरा लाभ मिला? कौन लोग हैं, जो वंचित रह गए हैं? जो भी पात्र हैं उन्हें ग्राम सभा और पंचायत के जरिये हक दिलाना।
मनरेगा के तहत निगरानी समिति बनना चाहिए।	पंचायत में निगरानी समिति बनी है। उसमें कौन लोग सदस्य हैं? उसके रजिस्टर में जानकारियाँ दर्ज हैं?

क़ानून के मुताबिक मनरेगा के कामों का सामाजिक अंकेक्षण होना।	हर छह माह में ग्राम सभा में मनरेगा का सामाजिक अंकेक्षण करवाना। इसमें केवल खर्चे के हिसाब किताब की बात ही महत्वपूर्ण नहीं है। यह देखना भी जरूरी है कि लोगों के जाब कार्ड बनें हैं? कितने लोग काम की मांग कर रहे हैं? जो नहीं कर रहे हैं, वे क्यों नहीं कर रहे हैं? मनरेगा में होने वाले कामों की गुणवत्ता जांचना –सड़क की लम्बाई, कुँए का पूरा बनना, पूरी मजदूरी मिलना, बेरोज़गारी भत्ता–मुआवजा मिलना सरीखे कई पक्षों पर सामाजिक जांच–पड़ताल करवाना है।
मनरेगा से आया बदलाव	इस क़ानून का मकसद है लोगों को रोज़गार का अधिकार देना, गरीबी में कमी लाना, पलायन रोकना और महत्वपूर्ण उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण करवाना। इस बात का समुदाय के साथ बैठ कर विश्लेषण करें कि क्या इनमें से कुछ लक्ष्य हासिल हुए? जो कुछ भी सकारात्मक हुआ है, उसके बारे में सबसे बात करें।

प्रायोगिक/मैदानी काम की रिपोर्ट

अब तक यह बात स्पष्ट हो चुकी होगी कि मनरेगा एक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण क़ानून है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि अपने गांव, पंचायत और समुदाय में इसे सही रूप में लागू करवाएं। आप अपने प्रायोगिक/मैदानी काम पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसका खाका प्रायोगिक कार्य पुस्तिका – एक परिचय में विस्तार से दिया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून 2013 और राशन व्यवस्था

भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलना।

पृष्ठभूमि

टिकाऊ विकास लक्ष्यों में दूसरा लक्ष्य है "भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना और टिकाऊ कृषि के बढ़ावा मिलना"। एक नज़रिए से देखा जाए तो हमने पहले प्रायोगिक/मैदानी काम में महात्मा गांधी ग्रामीण रोज़गार गारंटी क़ानून/योजना का उल्लेख किया है। उसका एक अहम मकसद रोज़गार उपलब्ध करवाना तो है ही, साथ ही पानी की संरचनाएं बना कर सिंचाई का दायरा बढ़ाना, खेतों–भूमि का उपचार करना, मेड बंधान करना, वृक्ष रोपण करना भी है। इसका मतलब है कि उससे न केवल गरीबी के स्तर में कमी आ सकती है, बल्कि टिकाऊ खेती को भी बढ़ावा मिलता है और खाद्य सुरक्षा की स्थिति निर्मित करने में मदद मिलती है। वास्तव में इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किये जाने वाले प्रयास बहुत व्यपक होते हैं, किन्तु वे तब तक सफल नहीं हो पाते हैं, जब तक कि समुदाय उनसे न जुड़े, उनकी निगरानी न करें और उन्हें सही दिशा न दे।

इसी क्रम में जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तब सरकार सीधे भोजन सामग्री उपलब्ध करवा कर समाज को भुखमरी से दूर करती है। इसी मकसद से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून–2013 बनाया गया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क़ानून है। इसमें चार महत्वपूर्ण हिस्से हैं –

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ता राशन उपलब्ध करवाना।
2. एकीकृत बाल विकास परियोजना के जरिये बच्चों और गर्भवती–धात्री महिलाओं की पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना।
3. स्कूलों में मध्यान्ह भोजन योजना का सञ्चालन करना।

अपने प्रायोगिक/मैदानी कार्य में हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन की व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

सस्ता राशन अब एक योजना न रहकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून का हिस्सा बन गयी है। नए कानून ने राशन को एक सेवा नहीं, हकदारी बना दिया है। खाद्य सुरक्षा का अधिकार देने के लिए दो तरह की श्रेणियां बनायी गयी हैं –

अन्त्योदय और प्राथमिक। दोनों श्रेणियों में परिवारों को समान कीमत पर सस्ता राशन मिलेगा। इन श्रेणियों से बाहर हुए परिवार खाद्य सुरक्षा का हक नहीं ले सकेंगे।

पात्र परिवार : देश की 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी जनसँख्या को राशन की हकदारी डी गई है। ये राष्ट्रीय अनुपात है राज्यों के हिसाब से संख्या अलग–अलग होगी। तुलनात्मक रूप से गरीब राज्यों में ज्यादा संख्या को शामिल किया गया है। राज्य सरकारें अपने संसाधन खर्च करके ज्यादा परिवारों या सभी परिवारों को सस्ते राशन का हक दे सकती हैं। पात्र परिवारों की पहचान राज्य सरकारें करेंगी और उन्हें इनके नाम की सूची सार्वजनिक करनी होगी।

महिला यानी परिवार की मुखिया : राशन कार्ड परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला/18 साल से ज्यादा वर्ष की उम्र की महिला के नाम पर बनेगा। 18 वर्ष या इससे ज्यादा उम्र की कोई महिला सदस्य न होने पर, राशन कार्ड वरिष्ठ सदस्य के नाम से बनेगा।

हक क्या हैं?

प्राथमिकता श्रेणी – इसके तहत हर प्राथमिकता श्रेणी वाले परिवार को हर माह 5 किलो प्रति व्यक्ति के मान से राशन मिलेगा।

अन्त्योदय श्रेणी – प्रदेश में जो सबसे वंचित और गरीब परिवार होंगे, उन्हें अन्त्योदय की श्रेणी में रख जायेगा। इन परिवारों को हर माह 35 किलो अनाज प्रति परिवार के मान से मिलेगा। कीमत वही रहेगी, जो प्राथमिकता परिवारों के लिए तय है।

यदि राज्य सरकार चाहेगी तो लोगों को इससे ज्यादा मात्रा में भी अनाज दे सकती है।

अनाज की कीमत – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के तहत जो अनाज मिलेगा उसकी कीमत इस प्रकार होगी – बारीक अनाज (**1** रूपए प्रति किलो)/गेहूं (2 रूपए प्रति किलो/चावल 3 रूपए प्रति किलो)।

मध्यप्रदेश में राशन व्यवस्था

सभी पात्र परिवारों के हक

क. सभी पात्र परिवारों (प्राथमिकता श्रेणी और अन्त्योदय श्रेणी) को एक रूपए प्रति किलो के मान से राशन मिलेगा।

ख. ग्रामीण क्षेत्रों में 80 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 63 प्रतिशत जनसंख्या खाद्य सुरक्षा की हकदार होगी।

ग. मिट्टी का तेल और आयोडीन युक्त नमक भी मिलेगा।

घ. अन्त्योदय परिवार को 5 लीटर प्रति परिवार मिटटी का तेल दिया जायेगा। प्राथमिकता परिवार को 4 लीटर तेल का प्रावधान किया गया है।

ड.	अन्त्योदय योजना के परिवारों को 7 लोगो अथवा 7 से कम लोगो की स्थिति में 35 किलो खाद्यान प्रदान किया जायेगा। यदि 7 सदस्य से ज्यादा है तो प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान प्रति माह अतिरिक्त प्रदान किया जायेगा।

च.	सभी पात्र परिवारों, प्राथमिक परिवारों की सूची बनाई जाएगी। सूची में निम्न समूह शामिल हैं –

अन्त्योदय योजना के परिवारों की पहचान

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून में इस श्रेणी के परिवारों को 35 किलो खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जा ने का प्रावधान है। मध्यप्रदेश में पहले से चली आ रही अन्त्योदय अन्न योजना के हितग्राहियों की सूची को इसके लिए उपयोग में लाया जा रहा है।

1.	समस्त अन्त्योदय अन्न योजना में शामिल परिवार।[1]

प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों की पहचान

2.	मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक।

3.	अनाथ आश्रम, निराश्रित/विकलांग छात्रावासों में रहने वाले बच्चे।[23]

4.	गांवों में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनांतर्गत भूमिहीन खेतिहर मजदूर।

5.	शहरों में साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति।[4]

6.	शहरी क्षेत्रों में पंजीकृत घरेलू कामकाजी महिलाएं।

7.	रेलवे के पंजीकृत कुली। (पंजीयन से सम्बंधित प्रमाणित जानकारी स्टेशन मास्टर रेल्वे से प्राप्त की जा सकती है)

8.	बन्द पड़ी मिलों में पूर्व नियोजित श्रमिक (उन्हीं पूर्व नियोजित श्रमिकों को सम्मिलित किया जाना है, जिनमें श्रमिकों के भुगतान निराकरण न होने के कारण लंबित हैं)।

9.	समस्त भूमिहीन कोटवार– (वे सभी कोटवार जो भूमि स्वामी के रूप में धारण किए जाने वाली भूमि की गणना कर भूमिहीन की श्रेणी में आते हों)।

10.	नगरीय निकायों में पंजीकृत केश शिल्पी।

---

[1] यदि अन्त्योदय परिवार के किसी व्यक्ति का नाम समग्र पोर्टल में नहीं है तो ऐसी स्थिति में सत्यापित दस्तावेजों को देखकर जनपद पंचायत में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उसकी प्रविष्टि कर दी जायेगी ।

[2] इस श्रेणी के अंतर्गत हितग्राहियों के लिये पृथक राशनकार्ड बनाया जाएगा । जिस पर संस्था का पता लिखा होगा। संस्था के नाम से कोई कार्ड जारी नहीं किया जाएगा ।

[3] यदि हितग्राहियों का पंजीयन समग्र पोर्टल में नहीं किया गया है तो जिला कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित विभाग की निर्धारित प्रक्रिया से उनका नाम सूची में जोड़ा जा सकेगा। जिनका नाम समग्र पोर्टल में है उनके सत्यापन की जिम्मेदारी जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय को दी गयी है।

[4] यदि हितग्राहियों का पंजीयन समग्र पोर्टल में नहीं किया गया है तो जिला कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित विभाग की निर्धारित प्रक्रिया से उनका नाम सूची में जोड़ा जा सकेगा। यदि हितग्राहियों का पंजीयन समग्र पोर्टल में नहीं किया गया है तो जिला कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित विभाग की निर्धारित प्रक्रिया से उनका नाम सूची में जोड़ा जा सकेगा।

11. एचआईवी (एड्स) संक्रमित व्यक्ति (जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से उन सभी एचआईव्ही संक्रमित व्यक्तियों की प्रमाणित जानकारी प्राप्त की जाए जो स्वेच्छा से इस योजना का लाभ लेना चाहते हों)

12. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही।[5]

13. निःशुल्क संचालित वृद्धाश्रमों में निवासरत वृद्धजन।

14. ग्रामीण क्षेत्र में वनाधिकार पट्टेधारी।

15. मत्स्य पालन के लिए बनी मत्स्य सहकारी समितियों के सदस्य और उनके परिवार।

16. वे परिवार, जिनकी 50 प्रतिशत फसल प्राकृतिक आपदा से खराब हो गयी हो। (इन परिवारों को 31 दिसम्बर 2014 तक लाभ दिया जायेगा)

17. शहरी क्षेत्रों में हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति।[6]

18. शहरी क्षेत्रों में पंजीकृत फेरीवाले (स्ट्रीट वेन्डर)।

19. मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी। (अनुज्ञप्तिधारी से सम्बंधित प्रमाणित जानकारी सम्बंधित सचिव कृषि उपज मंडी से प्राप्त की जा सकती)

20. बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम 1972 अंतर्गत परिचय पत्र धारी बीड़ी श्रमिक। (पंजीयन से सम्बंधित प्रमाणित जानकारी जिला श्रम अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है)

21. कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी। (पंजीयन से सम्बंधित प्रमाणित जानकारी जिला ग्रामोद्योग से प्राप्त की जा सकती है)

22. पंजीकृत बहुविकलांग एवं मन्दबुद्धि व्यक्ति। (पंजीयन से सम्बंधित प्रमाणित जानकारी उप चालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय से प्राप्त की जा सकती है)

23. सहकारी समितियों के अंतर्गत पंजीकृत मत्स्य पालन करने वाले (मछुआरे) परिवार/सदस्य।

24. समस्त बीपीएल सूची में शामिल परिवार।[7]

---

[5] यदि हितग्राहियों का पंजीयन समग्र पोर्टल में नहीं किया गया है तो जिला कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित विभाग की निर्धारित प्रक्रिया से उनका नाम सूची में जोड़ा जा सकेगा। यदि हितग्राहियों का पंजीयन समग्र पोर्टल में नहीं किया गया है तो जिला कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित विभाग की निर्धारित प्रक्रिया से उनका नाम सूची में जोड़ा जा सकेगा।

[6] यदि हितग्राहियों का पंजीयन समग्र पोर्टल में नहीं किया गया है तो जिला कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित विभाग की निर्धारित प्रक्रिया से उनका नाम सूची में जोड़ा जा सकेगा। यदि हितग्राहियों का पंजीयन समग्र पोर्टल में नहीं किया गया है तो जिला कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित विभाग की निर्धारित प्रक्रिया से उनका नाम सूची में जोड़ा जा सकेगा।

[7] **यदि बीपीएल परिवार के किसी व्यक्ति का नाम समग्र पोर्टल में नहीं है तो ऐसी स्थिति में सत्यापित दस्तावेजों को देखकर जनपद पंचायत में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उसकी प्रविष्टि कर दी जायेगी ।**

25. मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जाति के परिवार (**1**)।

26. मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जनजाति के परिवार (**2**)।

27. चालक / परिचालक

(बिंदु 25 और 26 में उन्हे छोड़ कर जो आयकर का भुगतान करते हैं या सरकारी, अर्द्ध सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम में काम करते हैं),

बहुविकलांग एवं मन्दबुद्धि व्यक्ति तथा एचआईव्ही (एड्स) संक्रमित व्यक्ति सामान्यतः स्वयं परिवार के आश्रित सदस्य होते हैं, इसलिए इस श्रेणी के पंजीकृत व्यक्तियों के प्राथमिक नातेदार अर्थात माता–पिता, पति–पत्नी, बीटा–बेटी एवं अविवाहित सगे भाई–बहन भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत खाद्यान्न आवंटन हेतु पत्र माने जायेंगे।

मध्यप्रदेश में इन सभी पात्र परिवारों / व्यक्तियों को क़ानून का लाभ तभी मिल पायेगा, जब वे सम्बंधित समूह / कार्यक्रम / मंडल या विभाग में पंजीकृत होंगे। यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि सभी मजदूरों, मछुआरों, बीड़ी श्रमिकों, बुनकर और शिल्पियों, हम्मालों और तुलवाटियों सहित सभी वंचित तबकों की पहचान और पंजीयन हो सके। अन्यथा कई परिवार हकदारी से वंचित रह जाएंगे

ग्राम सभा में सूची को सार्वजनिक करना

1. पात्र परिवारों की सूची बनने पर ग्रामसभा / वार्ड की विशेष बैठक में पढ़कर सुनाया जाएगा।

2. सूची को लेकर ग्रामसभा / वार्ड के सदस्यों के दावे या आपत्तियों को दर्ज किया जाएगा।

3. दावे और आपत्तियों के निराकरण की जिम्मेदारी तहसीलदार / अपर तहसीलदार / नायब तहसीलदार की होगी।

समग्र पोर्टल के माध्यम से पात्र परिवारों की जानकारी को सार्वजानिक करना

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है, जिसका नाम 'समग्र पोर्टल' है। इस पोर्टल में प्रदेश मे रहने वाले समस्त परिवारों एवं परिवार के सदस्यों की जानकारी को उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसमें व्यक्ति का संपूर्ण विवरण जैसे कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति / पत्नि का नाम, आयु, जन्म दिनांक, लिंग, जाति, व्यवसाय, परिवार एएवाय, बी.पी.एल., धर्म, वैवाहिक स्तर, शैक्षणिक स्तर, श्रमिक संवर्ग में पजीयन, पेंशन हितग्राही, विकलांगता, बचत खाते की जानकारी, भूमि की जानकारी इत्यादि शामिल है।

इस जानकारी के उपलब्ध होने के बाद सभी योजनाओं के हितग्राहियों का सत्यापन कार्य पूर्ण किया जायेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत शामिल अन्त्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिकता परिवारों का सत्यापन कार्य भी समग्र पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा हैं।

यह जानकारियां एकत्र करने का मकसद मध्यप्रदेश सरकार की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे कि पेंशन सहायता, विवाह सहायता, छात्रवृत्ति, शिक्षा प्रोत्साहन, बीमा सहायता, प्रसूति सहायता, प्रसूति अवकाश सहायता,

अंत्येष्टि सहायता एवं खाद्य सुरक्षा अध्यादेश–2013 के क्रियान्वयन अंतर्गत समस्त बी.पी.एल. परिवार एवं प्राथमिकता परिवार जिसमें श्रमिक संवर्ग कार्डधारी, वृद्वाश्रम में निवास कर रहे निराश्रित वृद्वजन, विकलांग छात्रावासी बच्चे, अनाथालय मे निवास कर रहे निराश्रित बच्चे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राही, मानसिक रूप से अविकसित बहुविलांग इत्यादि को लाभान्वित किया जा सके।

समग्र पोर्टल पर समस्त योजनाओं एवं कार्यक्रमो की जानकारी उपलब्ध होने एवं नागरिकों का डेटाबेस उपलब्ध होने से समग्र पोर्टल में अपने आप ही व्यक्ति किन–किन योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु पात्रता रखता हैं की जानकारी भी उपलब्ध हो जायेगी।

समग्र परिवार पहचान क्रमांक (आई.डी.) एवं सदस्य पहचान क्रमांक (आई.डी.) कहां से प्राप्त करें?

समग्र परिवार पहचान क्रमांक (आई.डी.) एवं सदस्य पहचान क्रमांक (आई.डी.) प्राप्त करने हेतु अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय (नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत) एवं जिला स्तर पर भी संबंधित कार्यालयों पर संपर्क किया जा सकता हैं। समग्र पोर्टल (http://samagra.gov.in) पर अपने क्षेत्र का चयन कर आवश्यएक जानकारी एंटर करने पर समग्र परिवार पहचान क्रमांक (आई.डी.)एवं सदस्य पहचान क्रमांक (आई.डी.) को प्राप्त किया जा सकता हैं।

समग्र परिवार पहचान क्रमांक (आई.डी.)एवं सदस्य आई.डी.।

समग्र पोर्टल पर प्रदेश मे निवासरत समस्त परिवारों एवं परिवार के सदस्यों का पंजीयन किया गया हैं। पोर्टल पर परिवार एवं परिवार के सदस्यय के पंजीयन के साथ ही समग्र पोर्टल से स्वतः ही परिवार के लिये 8 अंको का समग्र परिवार पहचान क्रमांक (आई.डी.)एवं परिवार सदस्य के लिये 9 अंको का समग्र सदस्य पहचान क्रमांक (आई.डी.) जनरेट हो जाती है, यह समग्र परिवार पहचान क्रमांक (आई.डी.)एवं सदस्य पहचान क्रमांक (आई.डी.) किसी भी शासकीय योजना (जिसमे खाद्य सुरक्षा कानून शामिल है) का लाभ प्राप्त करने में सहायक होती हैं। यह दोनो समग्र परिवार पहचान क्रमांक (आई.डी.)एवं सदस्य पहचान क्रमांक (आई.डी.)एक यूनिक पहचान क्रमांक (आई.डी.) हैं।

जिम्मेदारी

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के तहत क्रियान्वयन की मुख्य जिम्मेदारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (मध्यप्रदेश शासन) की है। राज्य स्तर पर आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और जिला स्तर पर जिला अधिकारी (जिला कलेक्टर) केन्द्रीय रूप से जिम्मेदारी व्यक्ति हैं। इसके साथ ही विभागीय स्तर पर जिला खाद्य अधिकारी/आपूर्ति अधिकारी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग) की भी जिम्मेदारियां तय हैं।

मध्यप्रदेश में जिला कलेक्टर को क़ानून के तहत जिला शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया गया है।

राशन की दुकान

- नगरीय क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान का आवंटन प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार/विपणन सहकारी समिति जो कि मध्यप्रदेश राज्य विपणन सहकारी संघ मर्यादित की सदस्य हो/जिला थोक उपभोक्ता भण्डार/प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, वृहताकार सेवा सहकारी समिति, महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, महिला स्व सहायता समूह को किया जा सकेगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में, उचित मूल्य की दुकान का आवंटन प्राथमिक कृषि सहकारी समिति/आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, वृहताकार सेवा सहकारी समिति/विपणन सहकारी समिति जो कि मध्यप्रदेश राज्य विपणन सहकारी संघ मर्यादित की सदस्य हो, संयुक्त वन प्रबंधन समिति/लघु वनोपज सहकारी समिति/महिला स्व–सहायता समूह को किया जा सकेगा।
- उचित मूल्य दुकान का संचालन आबंटिती सहकारी समिति/संस्था द्वारा स्वंय किया जाएगा।
- प्रत्येक उचित मूल्य दुकान के लिए एक विक्रेता की नियुक्ति करना आवश्यक होगा जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता दसवीं पास होगी। आबंटिती सहकारी समिति विक्रेता की नियुक्ति में अपने मापदण्ड नियत कर सकेगी परन्तु उसमें न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता दसवीं पास से कम नहीं होगी।
- जिले के ग्रामीण क्षेत्र और प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत उचित मूल्य दुकानें महिलाओं की संस्थाओं को आवंटित की जाएगी जिसका संचालन भी महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। (स्पष्टीकरण – ऐसी संस्था को महिलाओं की संस्था समझा जाएगा जिसके सभी सदस्य एवं पदाधिकारीगण महिलाएं हों ।)
- उचित मूल्य दुकानों के खुलने तथा बंद करने का समय नगरीय निकाय/जिला पंचायत द्वारा नियत किया जाएगा परंतु उचित मूल्य की दुकान रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर न्यूनतम 7 घंटे प्रतिदिन खुली रहेगी।
    - ✓ शहरी क्षेत्र में – 1000 पात्र परिवारों पर एक राशन दुकान होगी।
    - ✓ ग्रामीण क्षेत्र में – हर पंचायत में एक राशन दुकान होगी। जहाँ पात्र परिवार संख्या 1000 से ज्यादा वहाँ दूसरी दुकान होगी।
    - ✓ 30 प्रतिशत दुकानें महिलाओं के समूह/संस्थाओं के आवंटित होंगी, संचालन भी महिलायें ही करेंगी।
    - ✓ हर दुकान के लिए एक विक्रेता होगा।

नाम जुड़ना और राशन कार्ड जारी किया जाना

यदि पात्र समूहों से सम्बंधित किसी व्यक्ति या परिवार का नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के हकदारों की सूची में नहीं है तो वे स्थानीय निकाय (ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिक, नगर निगम) में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवदन दे सकते हैं।

पात्र परिवारों को राशन कार्ड प्राधिकारी, जो संबंधित क्षेत्र के सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी होंगे, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में भौतिक अथवा इलेक्ट्रानिक रुप में राशनकार्ड जारी करेंगे।

राशन कार्ड केवल सत्यापित परिवारों को ही जारी किया जाएगा।

राशन कार्ड गृहस्थी की मुखिया के नाम से जारी किया जाएगा। प्रत्येक गृहस्थी में वरिष्ठ स्त्री, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम की न हो, राशनकार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए, गृहस्थी की मुखिया होगी,

परन्तु जहां किसी गृहस्थी में किसी समय कोई स्त्री अथवा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्री नहीं है, किन्तु 18 वर्ष से कम आयु की महिला सदस्य हैं तो वहां गृहस्थी का वरिष्ठ पुरूष सदस्य राशनकार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थी का मुखिया होगा और महिला सदस्य, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, ऐसे राशनकार्डों के लिए पुरूष सदस्य के स्थान पर गृहस्थी की मुखिया बन जाएगी।

नवीन राशनकार्ड जारी करने अथवा राशन कार्ड में संशोधन की समयावधि 15 दिवस एवं डुप्लीकेट राशन कार्ड जारी करने की समयावधि 3 कार्य दिवस होगी।

राशनकार्ड जारी करने हेतु राज्य सरकार शुल्क का निर्धारण कर सकेगी।

निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण

1. जिले की समस्त उचित मूल्य दुकानों का तीन माह में एक बार तथा निर्गम केन्द्र/थोक डीलर का प्रत्येक माह में एक बार निरीक्षण करने हेतु कलेक्टर द्वारा निरीक्षण रोस्टर तैयार किया जाएगा।
2. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान अनुसार गठित राज्य/जिला/विकासखण्ड/ उचित मूल्य दुकान स्तरीय खाद्य सुरक्षा सतर्कता समितियां उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण कर सकेंगी। ऐसे निरीक्षण में कोई अनियमितता पाए जाने पर संबंधित समिति द्वारा जिला शिकायत निवारण अधिकारी को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा जो प्रतिवेदन प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर योग्य कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।
3. उचित मूल्य दुकानदार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत प्राप्त सामग्री की मात्रा, वितरण एवं शेष की जानकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित समयांतराल में संबंधित क्षेत्र के सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को भौतिक/इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।
4. उचित मूल्य दुकान द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित संधारित समस्त अभिलेख सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत लोक दस्तावेज होगे। उचित मूल्य दुकान का विक्रेता जहां संस्था द्वारा अन्य कोई नियुक्त न किया गया हो, अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी होंगा तथा दुकान आबंटन अधिकारी अपीलीय अधिकारी होगा।

5. आयुक्त लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित आबंटन/उठाव एवं वितरण संबंधी जानकारी विभागीय वेबसाईट पर नियमित रूप से अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। ऐसी जानकारी सार्वजनिक प्रभुत्व क्षेत्र में रखी जाएगी।

पारदर्शिता

1. पारदर्शिता के नज़रिए से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण किया जाना तय किया गया है। इसके लिए http//nfsaAsamagra.gov.in वेबसाईट स्थापित की गयी है। इस पर राज्य स्तर से लेकर राशन की दुकान के स्तर तक की जानकरियों को दर्ज किये जाने का प्रावधान है।

2. हर राशन की दुकान पर जानकरियों का बोर्ड होना चाहिए।

3. कोई भी व्यक्ति राशन की दुकान के दस्तावेजों का अवलोकन कर सकता है। राशन की दुकान से सम्बंधित सभी दस्तावेज सूचना के अधिकार के क़ानून के तहत सार्वजनिक दस्तावेज हैं।

4. राशन का वितरण राशन दुकान के स्तर पर बनी सतर्कता समिति की निगरानी में होना चाहिए।

सामाजिक संपरीक्षा (सोशल आडिट) की व्यवस्था

अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून 2013 भी लागू हो गया है। यह क़ानून "जनसाधारण को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में क्वालिटी खाद्य की सुलभ्यता को सुनिश्चित करके, मानव जीवन चक्र के मार्ग में खाद्य और पोषण सम्बन्धी सुरक्षा और उससे सम्बंधित या उसके अनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए" लागू किया गया है।

हमारे लिए यह क़ानून दो नज़रियों से महत्वपूर्ण है –

क. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ साथ मध्यान्ह भोजन, मातृत्व हक और एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के पोषण आहार वाले हिस्से को भी इस क़ानून में शामिल किया गया है।

ख. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून 2013 में सामाजिक संपरीक्षा (सामाजिक संकेक्षण) का प्रावधान किया गया है।

इस क़ानून में सामाजिक संपरीक्षा (सोशल आडिट) के सन्दर्भ में दो महत्वपूर्ण उल्लेख हैं –

1. **"सामाजिक संपरीक्षा से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें जनता किसी कार्यक्रम या स्कीम की योजना और कार्यान्वयन की सामूहिक रूप से मानिटर और उसका मूल्यांकन करती है।" – अध्याय 1 (20)**

2. **प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी या ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, उचित दर की दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के कार्यकरण के सम्बन्ध में समय–समय पर सामाजिक संपरीक्षा करेगा या करवाएगा और**

ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, अपने निष्कर्ष प्रचारित करवाएगा और आवश्यक कार्यवाही करेगा।

इन दोनों बिंदुओं का अध्ययन करने से समझ आता है कि आंगनवाड़ी के जरिये संचालित होने वाला पोषण आहार कार्यक्रम, कुपोषित बच्चों की पहचान का काम और मातृत्व हक सामाजिक संपरीक्षा (सोशल आडिट) के प्रावधान के तहत आते हैं।

यह काम स्थानीय निकाय करेंगे। अब हमें यह देखना है कि इस क़ानून में महिलाओं और बच्चों को क्या–क्या हक मिले हैं?

दस्तावेज

जिस योजना या कार्यक्रम के बारे में सामाजिक संपरीक्षा की जाना है, उससे सम्बंधित दस्तावेज या उसके अधिकृत छायाप्रति कम से कम 15 दिन पहले समुदाय/स्थानीय निकाय के उस समूह को उपलब्ध करवाई जाना चाहिए, जो सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया चला रहा है। जैसे –

- समुदाय को जानकारी देने के लिए किये गए प्रयासों/सामग्री का विवरण, उसकी प्रति और उपयोग की प्रक्रिया
- राशन की दुकान से पात्र हितग्राहियों की सूची वाला रजिस्टर
- राशन कार्डधारियों की सूची
- अनाज प्राप्ति वाला भण्डार रजिस्टर
- अनाज वितरण वाला रजिस्टर
- सतर्कता समिति द्वारा किये गए कामों की जानकारी
- शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण
- राशन/अनाज के नमूने

कुछ महत्वपूर्ण बिंदु

1. सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया चलाने की मूल जिम्मेदारी पंचायत/स्थानीय निकाय की होगी।
2. राशन प्रणाली के सामाजिक संपरीक्षा की सूचना कम से कम 1 माह पूर्व ग्राम सभा/वार्ड सभा को दी जायेगी।
3. कार्यक्रम से सम्बंधित दस्तावेज/रिकार्ड और जानकारियों की एक प्रमाणित प्रति खाद्य विभाग और राशन दुकान द्वारा संपरीक्षा के 15 दिन पूर्व ग्राम सामाजिक संपरीक्षा एनिमेटर के माध्यम से ग्राम सभा के सदस्यों के अध्ययन के लिए उपलब्ध करवा दी जायेगी।
4. सामाजिक संपरीक्षा के दौरान राशन दुकान संचालक, सहायक आपूर्ति अधिकारी, राशन दुकान के स्तर की सतर्कता समिति और विकास खंड सतर्कता समिति के सदस्य और अनुविभागीय अधिकारी अनिवार्य रूप से बैठक में मौजूद रहेंगे।

5. इस प्रक्रिया के दौरान यह जरूर जांचा/समझा जाना चाहिए कि कानूनी हकों के बारे में समुदाय की जानकारी का स्तर क्या है? इसके लिए राशन व्यवस्था के हितग्राहियों से अलग से समूह चर्चा की जाना चाहिए।

6. सहभागी सामाजिक प्रक्रिया के माध्यम से यह पता किया जाना होगा कि कौन से व्यक्ति या समुदाय इस क़ानून का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और क्यों?

7. हमें यह जानना होगा कि क्या लोगों को शिकायत निवारण व्यवस्था और सतर्कता समिति के बारे में जानकारी है और क्या इसका उपयोग समुदाय द्वारा किया गया? यदि उपयोग किया गया, तो उनके अनुभव क्या रहे?

8. ग्राम सामाजिक एनिमेटर और ग्राम सभा के कुछ सदस्य राशन की दुकान, आंगनवाड़ी केंद्र और मध्यान्ह भोजन योजना के तहत स्कूलों का निरीक्षण करेंगे और सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इस प्रक्रिया में ग्राम सामाजिक एनिमेटर और ग्राम सभा के सदस्य योजनाओं से सम्बंधित सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करेंगे और उनसे सम्बंधित विषयों पर चर्चा कर सकेंगे।

9. यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया स्थानीय भाषा में हो। ग्राम सभा या सामाजिक संपरीक्षा की नगरीय बैठक में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट की भाषा भी स्थानीय हो।

सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया में 5 बातों को केंद्र में रखा जाना है और उससे जुड़ी हुई बातों को सामने लाना है –

1. क़ानून के मुताबिक लोगों के हक क्या हैं?
2. क्या उन्हे उन हकों के बारे में जानकारी दी गयी?
3. क्या सभी पात्र हकदारों को योजना में शामिल किया गया?
4. सबसे वंचित (जाति, लिंग, आजीविका की साधनों, गरीबी या कोई अन्य कारण) लोगों को खाद्य सुरक्षा हक दिए जाने के लिए क्या कदम उठाये गए?
5. कोई समस्या या शिकायत होने पर, क्या लोग शिकायत कर पाए, क्या लोगों को यह बताया जा सका कि उन्हे कहाँ शिकायत करना है? उनकी शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई? क्या शिकायत का निराकरण हुआ? कितने दिन में हुआ और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई?

प्रायोगिक कार्य में क्या करना है?

जब आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन पर प्रायोगिक कार्य करेंगे, तो हमें सबसे पहले उस नज़रिए को दोहराना होगा कि इस योजना का मकसद समाज में मौजूद खाद्य असुरक्षा को कम करना है। यह क़ानून केवल गरीबी की रेखा या अनुसूचित जाति–जनजाति वर्गों के हितों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि राज्य की 75 प्रतिशत जनसंख्या इसमें लिखे गए अधिकारों की पात्र है।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य की शुरुआत करते हुए सबसे पहले राशन व्यवस्था के संचालन की वर्तमान स्थिति का गहरा आंकलन करें, उसे समझें।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य

प्रायोगिक/मैदानी कार्य के लिए कुछ बिंदु	क्या कार्यवाही करें?
समुदाय के साथ समूह चर्चा करके यह जानें कि राशन व्यवस्था के तहत जिन लोगों को प्राथमिक परिवार माना गया है, उनसे सम्बंधित कितने और कौन से परिवार हैं?	उन सभी परिवारों के नाम समग्र की सूची में दर्ज हैं या नहीं। यदि कोई परिवार छूटा हुआ है, तो ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत के माध्यम से उनके नाम जुडवाना हैं।
राशन की दुकान कहाँ स्थित है? क्या वह बहुत दूर है?	मानकों के मुताबिक राशन के दुकान खुलवाई जा सकती है।
राशन की दुकान से मिलने वाले राशन की गुणवत्ता	यदि गुणवत्ता खराब है या इंसानों के उपभोग के लायक नहीं है, तो उसे बदलवाया जा सकता है।
हक धारकों को किश्तों में भी राशन मिल सकता है और जरूरत पड़ने पर तीन महीने का राशन (यदि पिछले महीनों में न लिया हो तो) लिया जा सकता है।	समुदाय को इसके बारे में स्पष्ट जानकारी हो और उन्हें इसका उपयोग करने में मदद करें।
हर राशन की दुकान के स्तर पर एक निगरानी समिति का निर्माण होना है। जिसमें हितग्राही समूह यानी समुदाय के लोग भी होंगे।	यह पता कीजिये कि निगरानी समिति बनी या नहीं? उसमें कौन लोग सदस्य हैं? क्या उन्हें अपने काम के बारे में जानकारी है?
जब भी राशन की दुकान पर अनाज आएगा, वह निगरानी समिति के सदस्यों के सामने उतरना चाहिए।	समुदाय को इसके बारे में जानकारी हो।
राशन कार्ड में मुखिया के रूप में सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य का नाम दर्ज होना चाहिए।	समुदाय को इसके बारे में जानकारी हो।
राशन की दुकान के संचालक का व्यवहार	हितग्राहियों से सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। किसी भी हितग्राही के द्वारा जानकारी मांगे जाने पर, वह जानकारी देने से इनकार नहीं करेगा।
इस क़ानून के मुताबिक जिला स्तर पर शिकायण निवारण अधिकारी की नियुक्ति होना है।	मध्यप्रदेश में जिला कलेक्टर को जिला शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है, जो 30 दिन के भीतर शिकायत का निराकरण करेंगे।

ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण होना	इस क़ानून के मुताबिक सभी पहलूओं पर सभी तरह की जानकारी ग्राम सभा में प्रस्तुत करके सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया चलाई जाए।
बाकी अन्य कई पहलू, जिन्हें आप इसमें शामिल कर सकते हैं।	समुदाय के अनुभवों के आधार पर।

अपने प्रायोगिक/मैदानी कार्य में हमें यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय संसद द्वारा बनाये गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून का क्रियान्वयन समाज में व्याप्त खाद्य सुरक्षा और कुपोषण की स्थिति को सीमित कर सके। जब तक हम यह नहीं देखेंगे कि राशन व्यवस्था में सबसे वंचित लोग और परिवार (एकल महिलायें, सामाजिक भेदभाव से जूझने वाले लोग, जैसे बेघर और कचरा साफ़ करने वाले लोग) इसमे शामिल हुए हैं या नहीं, नियमित रूप से उन्हे गुणवत्तापूर्ण राशन पूरी मात्रा में मिल रहा है या नहीं, राशन पाने के लिए उन्हे बहुत दूरी तो तय नहीं करना पड़ती है, उनके साथ दुर्व्यवहार तो नहीं होता है, बिना भेदभाव के सभी को राशन मिला रहा है या नहीं, हमें यह भी देखना होगा कि जो परिवार पलायन करते हैं, उन्हें वापस आने पर अपने हक का राशन मिल सके, यह भी देखना होगा कि क्या लोगों पता है कि वे अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कर सकते हैं और कितने दिन में उसका निराकरण हो जायेगा? क्या उनकी शिकायत सुनी गयी और उसका निराकरण वास्तव में हुआ? इसके लिए क्या कोई विशेष पहल हुई? खाद्य सुरक्षा का हक उन्हें सम्मान के साथ मिले और व्यवस्था में जवाबदेहिता तय हो। इन आधारों पर ही हम तय कर पायेंगे कि इस क़ानून का क्रियान्वयन संतोषजनक ढंग से हो रहा है, अन्यथा नहीं!

प्रायोगिक/मैदानी काम की रिपोर्ट

अब तक यह बात स्पष्ट हो चुकी होगी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण हक आधारित कार्यक्रम है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि अपने गांव, पंचायत और समुदाय में इसे सही रूप में लागू करवाएं। आप अपने प्रायोगिक/मैदानी काम पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसका खाका प्रायोगिक कार्य पुस्तिका– एक परिचय में विस्तार से दिया गया है।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य – 3

किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य और सशक्तिकरण

लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही सभी महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त करना।

पृष्ठभूमि

टिकाऊ विकास लक्ष्यों में एक लक्ष्य यह है कि हर जगह पर सभी महिलाओं और बालिकाओं के साथ हर तरह का भेदभाव समाप्त करना करना है। हम जानते हैं कि हमारे समाज में किशोर अवस्था में (लड़के और लड़कियों दोनों में) आने वाले शारीरिक और मानसिक बदलावों पर बात करने और समस्यायों को सुलझाने की कोई व्यवस्था है नहीं। यह एक ऐसा दौर होता है जबकि किशोरी बालिकाओं में प्राकृतिक रूप से माहवारी की शुरुआत होती है, किन्तु उसके बारे में बहुत सारी मिथ्या धारणाएं समाज में रची बसी हुई हैं। दुविधाओं का समाधान न होने से किशोरी बालिकाओं की यह उम्र बहुत पीड़ा दायक हो जाती है।

परिवार और समुदाय के भीतर लैंगिक समानता लाने के लिए किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य और उनकी शारीरिक–मानसिक बदलावों पर बात करने और जिम्मेदार पहल करने की जरूरत है। प्रायोगिक कार्य/मैदानी कार्य की श्रृंखला में यह अध्याय किशोरी बालिकायों के स्वास्थ्य पर सामुदायिक पहल करने और इससे जुड़ी सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर केंद्रित है।

यह अध्याय दो हिस्सों में है –

एक) किशोर अवस्था क्या है और किशोरियों के स्वास्थ्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संवेदनशील पहलू कौन से है?

दो) किशोरी सशक्तिकरण के लिए संचालित योजनाएं कौन सी हैं और उनका क्रियान्वयन कैसे हो?

किशोरावस्था (9 से 18 वर्ष) क्यों महत्वपूर्ण है?

किशोर अवस्था यानी 9 साल की उम्र से शुरू होने वाली अवस्था। इसमें बच्चों के भीतर बहुत अहम बदलाव, तेज गति से होते हैं। एक मायने में इन बदलावों के कारण लड़के और लड़कियों, दोनों में उथल–पुथल की स्थिति बनती है। यह जरूरी हो जाता है कि परिवार और समाज उनकी स्थिति को समझे और उनसे अपने रिश्तों को मज़बूत करे। इस समय शरीर में पसीना पैदा करने वाली ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ जाती है। इससे कांख (बगल) और पेट–जांघ के बीच के हिस्से (ऊसन्धि) में ज्यादा पसीना आता है और सफाई न होने पर दुर्गन्ध आने लगती है। यानी स्वच्छता रखना अब अनिवार्यता है।

लड़कियों में भौतिक बदलाव	**लड़कों में भौतिक बदलाव**
लड़कियों में आम तौर पर 10 से 11 साल की उम्र से बदलाव होने लगते हैं। इसी सन्दर्भ में हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये बदलाव जल्दी (8 साल में) भी शुरू हो सकते हैं और इनमें देरी (13 साल तक) भी हो सकती है।	लड़कों में आम तौर पर 11 से 12 साल की उम्र से बदलाव होने लगते हैं। इसी सन्दर्भ में हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये बदलाव जल्दी (9 साल में) भी शुरू हो सकते हैं और इनमें देरी (14 साल तक) भी हो सकती है।
बदलाव का मतलब ● स्तनों का विकास ● शरीर के आकार–स्वरुप और लम्बाई में बदलाव ● निजी अंगों और शरीर के अन्य हिस्सों में बालों का उगना ● मासिक धर्म की शुरुआत ● शरीर के अंगों, फेंफडों के काम और हड्डियों की मोटाई में वृद्धि ● श्रोणि या पेडू या कोख और नितंबों का विस्तार होना	**बदलाव का मतलब** ● लिंग और अंडकोष में वृद्धि ● शरीर के आकार–स्वरुप और लम्बाई में बदलाव ● वीर्य का निर्माण और स्खलन होना ● शरीर और चेहरे पर बालों का आना शुरू होना ● आवाज में बदलाव होना ● शरीर के अंगों, फेंफडों के काम और हड्डियों की मोटाई में वृद्धि ● सीने और कन्धों का विस्तार होना

किशोर अवस्था को दो भागों में बाँट कर देखा जाता है –

- किशोर पूर्व अवस्था – 9 से 13 वर्ष
- किशोर अवस्था – 14 से 18 वर्ष

सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक बदलाव

किशोर अवस्था में आप देखेंगे कि बच्चों के व्यवहार में कुछ बदलाव आता है। परिवार, दोस्तों और समान उम्र के समूह से उनकी बातचीत और दूरी–करीबी में स्पष्टता नज़र आती है। हर बच्चे में सामाजिक और भावनात्मक बदलाव अलग–अलग होता है। उनके परिवार की पृष्ठभूमि, संस्कृति, पारिवारिक व्यवहार, पर्यावरण, सामाजिक स्थिति, बचपन में उन्हें मिले विकास के अवसर और देखरेख से यह तय होता है कि उनकी किशोर अवस्था में क्या और कैसे बदलाव आयेंगे!

- **पहचान की तलाश** – किशोर अवस्था में पंहुचते हुए बच्चे अपनी पहचान खोजने और समझने लगते है। वे कौन और, कहाँ उन्हें ज्यादा स्थान मिलता है और कहाँ वे अपने आप को सामने रख सकते है, इसी आधार पर वे अपना दायरा बनाते हैं। उनका दायरा बनाने में उनकी लैंगिक पहचान, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक ढांचा और संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

- **स्वतंत्रता की खोज** – वे कुछ निर्णय लेना चाहते हैं, घर और मित्र समूह में लिए जाने वाले निर्णय को प्रभावित करने के स्थान चाहते हैं।

- **जिम्मेदारी की तलाश** – घर हो या स्कूल या समुदाय, आप पायेंगे कि वे जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। उन्हें जिम्मेदारी लेने देना चाहिए। वे अपने माता–पिता की स्थिति और सीमाओं को समझने की कोशिश करते हैं और अपने लिए स्थान तलाशते हुए जिम्मेदारी लेना चाहते हैं।

- **नए अनुभवों की तलाश** – इस उम्र में दिमाग के विकास की प्रकृति ऐसी होती है कि उनमें नए अनुभव पाने की चाहत बढ़ती है। उनके साथ यदि अच्छे रिश्ते न रखें जाएँ, तो वे बुरे अनुभव से गुजारते हैं। इसी अवस्था में वे "जोखिम" भी उठाना चाहते हैं।

- **सही और गलत के बारे में सोचना** – अपने बच्चे अब अपने खुद के मूल्य और नैतिक मापदंड गढ़ते हैं, वे केवल दूसरों के निर्देशों का पालन करने के लिए मन से तैयार नहीं होते हैं। वे सवाल करते हैं। उन्हें यह भी पता चलने लगता है कि वे अपने किये के लिए जिम्मेदार भी होंगे, उनके निर्णयों के गहरे असर होंगे, ऐसे में परिवार और समुदाय को उनसे आँख मूँद कर निर्देशों के पालन करने की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। उनसे बात करना और उन्हें कुछ समझाने से पहले, उन्हें और उनकी बातों को समझना बहुत जरूरी होता है।

- वे अपने मित्रों और समान उम्र वालों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें अकेला नहीं समझना चाहिए। उन्हें "मैं" और "मेरी गरिमा" का अहसास होने लगता है।

- 11–13 साल की उम्र में उन्हें अपनी लैंगिक पहचान का अहसास हो जाता है और उनमें रोमानी भावनाएं आना शुरू हो जाती हैं। यह जरूरी नहीं है कि उन्हें ये अहसास बहुत गहरे हों, पर उम्र के इस दौर के बदलावों से इसका जुड़ाव तो है।

- **नए दौर से संचार के तरीके** – मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया उनकी सोच और व्यवहार को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है।

- **भावुकता का प्रदर्शन** – अब वे अपनी भावुकता को प्रदर्शित करते हैं। वे ज्यादा भावुक होते भी हैं। भावनाओं के उतार–चढाव से टकरावों में वृद्धि हो सकती है।

- वे दूसरों के मनोभावों और शरीर के भाषा को पढ़ने की कोशिश करते हैं।

- वे खुद के प्रति बहुत सजग होते हैं। वे अक्सर सोचते हैं कि मैं कैसा दिखा रहा हूँ/दिख रही हूँ, लोग या उसे दोस्त उनके बारे में क्या सोचते हैं आदी बाते मन में चलती रहती हैं।

- इस उम्र में निर्णय लेने का कौशल विकसित होता है, इसलिए उन्हें पारिवारिक, सामुदायिक प्रक्रियाओं में शामिल करना चाहिए।

- वे परिवार के साथ कम और मित्रों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। वे ज्यादा स्वतंत्रता और निजता चाहते हैं। जब परिवार उन्हें ये नहीं देता है, तब बच्चों के साथ टकराव शुरू हो जाता है। कई बार परिजन दबाव डाल कर बच्चों को कुछ मानने के लिए मजबूर करते हैं, बच्चे शायद मान भी लें, किन्तु उनके मन में परिजनों से कुछ दूरी का निर्माण भी हो जाता है। इन बच्चों के लड़कर हम सही दिशा में नहीं बढते हैं।

- उनकी स्वतंत्रता, जिम्मेदारी लेने की कोशिशों, उनकी निजता और मित्रों के साथ समय बिताने की इच्छा का सम्मान करना चाहिए ताकि वे अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व में ढल सकें। इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा।

- अध्ययन बताते हैं कि किशोर अवस्था में मानसिक स्वास्थ्य, असामाजिक कृत्य और गलत दिशा में भटकने का जोखिम ज्यादा होता है। उनसे लड़ कर नहीं, उनसे दोस्ती गांठ कर ही उनके विकास को सही दिशा दी जा सकती है।

किशोर अवस्था से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण संकेत और बातें

जीवन में इस पड़ाव पर पंहुचने का मतलब है एक सुरक्षित और मनमाफिक जीवन काल से जटिल, प्रतिस्पर्धा और वास्तविकता से प्रभावित जीवन काल में प्रवेश। इस काल में वे इन चार चुनौतियों का सामना कर सकते हैं –

1. **अवसाद से प्रभावित होना** – अब वे अपने परिवार को दो नज़रियों से देखने लगते हैं – खुद के नज़रिए से और बाहर की दुनिया (जैसे स्कूल के साथ, आस–पड़ोस के दोस्त, वे वयस्कों की बातों को समझ पाते हैं आदि) उन्हें परिवार के भीतर होने वाली आपसी व्यवहार का मतलब समझ आता है। वे तनाव और टकराव को महसूस कर पाते हैं। अब चूंकि वे स्कूल में या स्कूल के बाहर भी प्रतिस्पर्धा और आगे होने का मतलब जान रहे होते हैं, इसलिए परिवार के भीतर घट रही घटनाएं उन्हें गहरे तक प्रभावित करती हैं। जब वे पढ़ नहीं पाते हैं, या अपनी बात साझा नहीं कर पाते हैं तो उनके अवसाद से भर जाने की आशंका होती है। यह अवसाद उनके अपनी दोस्तों से बने रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है।

2. **संगत** – किशोरावस्था में मिलने वाले सहयोग, सही वातावरण, अपनी बात खुल कर कह पाने की स्वतंत्रता से तय होता है कि बच्चे किस तरह की आदतें पालेंगे। यदि वे तनाव में रहेंगे, यदि उन्हें अपनी दुविधाओं के बारे में बात करने का मौका नहीं मिलेगा तो वे बुरी संगत में पड़ सकते हैं। यह भी संभव हैं कि लड़कियां अपने साथ हो रहे किसी दुर्व्यवहार के दुःख को साझा ही न करें। बुरी संगत में बहुत संभव होता है कि वे नशे का सेवन करने लगे या आपराधिक काम करने की इच्छा पालने लगें।

3. **खंडित मानस की मासिक समस्या का विकसित होना** – जब बच्चों को घर में हिंसा और दुर्व्यवहार दीखता है या वे स्कूल में अच्छे अंक नहीं ला पाते हैं या उन्हें पाठ याद करने में दिक्कत हो रही होती है और उनसे कोई अच्छे से बात करने वाला नहीं होता है तो वे इस समस्या से गर्सित हो जाते हैं। उन्हें साफ़ साफ़ सोचने में या कुछ भी तय करने में दिक्कत होती है, उन्हें लगता है कि परिवार में या बाहर कोई लोग उनके खिलाफ हैं या नुक्सान पंहुचा सकते हैं। किशोर अवस्था के बच्चों को इस स्थिति में लगने लगता है कि अब उनकी समस्या का हल नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं उनमें जीवन के प्रति उत्साह कम हो सकता है और वे दैनिक या सामान्य गतिविधियों में रूचि नहीं लेते हैं।

4. **भेदभाव की भावना** – इस दौर में लड़कों को पुरुष होने और लड़कियों को महिला होने का पूरा अहसास हो जाता है। सामाजिक व्यवहार से ही यह तय होता है कि उनमें लैंगिक समानता की भावना का विकास होगा या असमानता का। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि समाज में लड़के और लड़कियों की खास जरूरतों के प्रति सजग रहते हुए उनके साथ समानता का व्यवहार हो और उन्हें बराबरी के अवसर मिले।

5. **आत्मसम्मान और आत्मविश्वास** – बहुत जरूरी होता है कि समाज और परिवार किशोर अवस्था के बच्चों को उनके होने, उनके अस्तित्व को महसूस करने दें। उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करें और उनकी मांगों को बिना–सोचे समझे "अपने ज्ञान के आधार पर" खारिज न करें। इनके उपलब्धियां बड़ी हों या छोटी, उनका सम्मान करें और उन्हें भी अहसास करवाएं कि उनका काम बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण है। यदि उन्हें केवल गलतियों का ही अहसास करवाया जाएगा और उनकी अच्छाईयों को नहीं उभारा जाएगा, तो वे भीतर से टूट जायेंगे और उनमें ये भावना बैठ जायेगी कि वे कुछ अच्छा, बड़ा या महत्वपूर्ण नहीं कर सकते हैं।

6. **संवाद करने, बात कहने की प्रेरणा** – यह भी जरूरी है कि उन्हें अप्रनी बात, समस्या या दुविधा के बारे में मन की बात कहने के लिए प्रेरित किया जाए। याद रखिये कि किशोर अवस्था के बच्चे अपने हमउम्र और दोस्तों के साथ ज्यादा खुलते हैं और बात करते हैं। उनकी मित्रताओं और बातचीत का सम्मान कीजिये। उनसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे, तो वे भी आपसे मित्रवत व्यवहार करेंगे।

माहवारी की अवस्था के विशेष सन्दर्भ में

दस वर्ष की आयु से लड़कियों में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आना शुरू होते हैं: जैसे स्तनों का विकास होना। आम तौर पर यह माना जाता है कि 10–13 साल की उम्र में किशोरियों के जीवन में माहवारी यानी मासिक धर्म की शुरुआत होती है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसमें इस उम्र में अंडाशय विकसित डिम्ब/अंडाणु का उत्पादन करते हैं। यह अंडाणु एक नाली के जरिये गर्भाशय तक पंहुचता है। वहां पंहुच कर उसका अस्तर खून और तरल पदार्थ से गाढ़ा हो जाता है। नैसर्गिक रूप से यह इसलिए होता है कि अंडाणु सक्रीय या जन्म (प्रजनन) देने लायक हो जाए, वह बढ़ सके। इससे ही बच्चे के जन्म यानी उनके गर्भवती होने की संभावना स्थापित हो जाती है।

किशोरी में ये डिम्ब या अंडाणु पुरुष के शुक्राणु से नहीं मिल पाते हैं, तो वे तरल पदार्थ में बदल जाते हैं। तब यह तरल पदार्थ नियमित रूप से योनी से बाहर निकलता है। इसे ही मासिक धर्म, रजोधर्म या माहवारी कहते हैं।

जब ये अंडाणु पुरुष के शुक्राणु से मिल जाते हैं, तब महिला गर्भवती हो जाती है और माहवारी रुक जाती है।

यह एक सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो दस साल की उम्र के बाद कभी भी शुरू हो सकती है। इस अवस्था का मतलब यह कतई नहीं है कि माहवारी के दौरान शरीर का अशुद्ध या गन्दा रक्त बाहर निकलता है। वास्तव में सही समय पर माहवारी होना किशोरी के स्वस्थ होने का प्रमाण होता है। वास्तव में इसके साथ जो सोच और धारणाएं जोड़ दी गयीं हैं, उससे किशोरी बालिकाओं को कमज़ोर और दोयम दर्जे का होने का अहसास होने लगता है।

जैसे की पहले उल्लेख किया गया कि 10–13 साल की उम्र में माहवारी की शुरुआत होती है।

इसकी अवधि 2 से 7 दिन तक हो सकती है।

जब जीवन में माहवारी की शरुआत होती है, उसके लगभग छह महीने पहले से अंडे की सफेदी जैसा तरल द्रव निकलता है। यह भी स्वाभाविक स्थिति है, यह कोई बीमारी नहीं है। किशोरियों के शरीर में जब अंडाणु बनना शुरू होता है, तब सफ़ेद स्त्राव होता है। यह माहवारी के शुरू होने का संकेत होता है। इसमें कोई गंध नहीं होती है और इससे संक्रमण भी नहीं होता है। किन्तु यदि इस द्रव में झाग हो, इसका रंग पीलापन लिए हो, इसमें बदबू या गंध हो और इसमें लाल रंग हो, तब डाक्टर को जल्दी दिखाया जाना चाहिए।

हम यह देखते हैं कि अपने समाज में किशोर अवस्था आने पर लड़कियों पर प्रतिबन्ध कड़े कर दिए जाते हैं। आस–पास के वातावरण से लड़कियों को अहसास होता है कि उनके साथ कुछ ”गलत“ हो रहा है। वे चुप रहती हैं और उनका तनाव बढ़ता जाता है। ऐसे में जो सलाह और सावधानियां बरतने की जानकारी उन्हें मिलना चाहिए, वह मिल नहीं पाती है। तब जनन अंगों की सफाई न होने, सही अन्तः वस्त्र न मिलने, अकेलेपन, व्यवहार में दूरी के कारण उन्हें यौन संक्रमण भी हो सकता है।

इस दौरान अंतःवस्त्रों की अच्छे से सफाई होना चाहिए। संक्रमण तभी होगा, जब स्वच्छता नहीं रखी जायेगी।

- यह स्थिति यानी माहवारी 21 से 24 दिन के अंतराल पर आती है।
- शुरू के दो सालों में, यानी माहवारी का चक्र शुरू होने पर, माहवारी नियमित नहीं होती है। हो सकता है कि तब अंतराल दो महीने का हो या फिर 5 महीने में।
- जिस दिन माहवारी आती है, उस दिन या उसके एक दिन पहले से किशोरी के पेट में दर्द होता है। जैसे की माहवारी आती है, एक से 2 घंटे के भीतर वह दर्द बंद हो जाता है।
- ऐसे में गरम पानी की थैली से पेट के निचले हिस्से की सिकाई की जाना चाहिए।
- यदि दर्द बहुत असहनीय हो या ज्यादा समय तक बना रहे तो, स्वास्थ्य केंद्र की सेवा लेना चाहिए।

- कभी–कभी माहवारी में तरल रक्त की जगह पर थक्के के रूप में रक्त स्त्राव होता है। यह किशोरियों को पीड़ा देता है। इस स्थिति में भी स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए।
- आमतौर पर माहवारी के दौरान 50 से 80 मिलीलीटर रक्त का बहाव होता है। इससे ज्यादा रक्त स्त्राव होता है तो इससे भी किशोरियों में खून की कमी हो जाती है।

पीड़ादायक माहवारी होने पर

- यह सही है कि जब भी माहवारी शुरू होती है, तब किशोरियों को दर्द का सामना करना पड़ता है। जब भी ऐसा हो तब नाभि के नीचे के हिस्से का गरम सेंक किया जा सकता है। गरम पानी से नहाएं और गरम पेय पियें।
- पेट के निचले हिस्से पर अपनी ही उँगलियों से हलके–हलके मालिश करें। यदि नियमित रूप से टहलें तो भी उन्हें बेहतर लगेगा।
- खान–पान पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। इस दौरान साबुत अनाज, फल–सब्जियां, दूध आदि का सेवन जरूर करना चाहिए। नमक, शकर का उपयोग कम करना चाहिए।

सफ़ेद पानी (ल्यूकोरिया) – यदि किशोरी बालिका के शरीर से लगातार सफ़ेद पानी का बहाव हो रहा है। वह पानी बदबूदार है, तो स्वास्थ्य केंद्र की उचित सेवाएं लेना चाहिए।

कुछ महत्वपूर्ण बिंदु

- किशोरी बालिका से सामान्य और सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। उनके साथ छुआछूत या भेदभाव उपयुक्त नहीं है।
- वैसे तो यह व्यवस्था की जा रही है कि किशोरावस्था स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किशोरियों को सेनिटरी पैड्स दिये जाने की व्यवस्था बनाने की पहल हो रही है। जब तक यह व्यवस्था न बने, तब तक स्थानीय व्यवस्था बनना चाहिए।
- माहवारी के दौरान सूती के कपड़े के अस्तर (पेड) का उपयोग करना चाहिए।
- एक दिन में तीन से चार बार यह कपड़ा बदलना चाहिए।
- इस कपड़े को हर बार साबुन से धोकर धूप में सुखाया जाना चाहिए। हमारे यहाँ ये कपड़े यूँ ही धोकर अँधेरे में सुखाये जाते हैं। अगली बार की माहवारी में नए कपड़ों का उपयोग करना चाहिए।
- माहवारी के दौरान किशोरियों को आयरन फोलिक एसिड की गोलियाँ खाना चाहिए। इससे उनमें खून की कमी नहीं होगी।

- इस अवधि में निजी अंगों में साफ़–स्वच्छता रखना बहुत जरूरी होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि शौच धोते समय हाथ योनी या मूत्र मार्ग से न छुए, इससे संक्रमण हो सकता है।

- किशोरियों के शरीर में खून की कमी होने के कारण वे मिट्टी खाने लगती हैं। उनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। पेट में कीड़े खून की कमी पैदा करते हैं। मिट्टी हो या बाल, सभी शरीर के लिए अस्वच्छ और अस्वास्थ्य कर हैं।

- मिट्टी खाने से या स्वच्छता न होने से उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं। जिसके परिणामस्वरूप उनमें खून की कमी भी हो जाती है। इसीलिए उन्हें पौष्टिक भोजन और आयरन–फोलिक एसिड की गोलियाँ दी जाने की और भी जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही पेट में कीड़े खत्म करने का उपचार भी करना जरूरी होता है।

- किशोरी बालिकाओं के दुर्व्यवहार, उन्हें अपमानित करना या उन्हें अपनी मर्ज़ी से काम न करने देना भी एक किस्म की हिंसा ही है। हम उन्हें ऐसा बनाएँ कि वे अपनी सुरक्षा भी खुद कर सकें, उन्हें सामान्य और बराबर होने का अहसास हो। और वे आत्मनिर्भर हो सकें।

सही व्यवहार

- मासिक धर्म की दिनों में भी सामान्य दिनों की तरह गतिविधियां करते रहे। इसे बीमारी न मानें।
- अपने निजी अंगों/जनन अंगों के आसपास सफाई करते रहना।
- मासिक धर्म के दिनों में भी नहाना जरूर–जरूर चाहिए।
- जब लेट्रिन जाएँ और मल उत्सर्जन की जगह को साफ़ करें, तब ध्यान रखें कि शौच की सफाई आगे से पीछे की तरफ करें, पीछे से आगे की तरफ कभी नहीं! इससे संक्रमण की आशंका होती है।
- जांघिये या अन्तःवस्त्र साफ़ ही पहनना चाहिए।
- मासिक धर्म एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस स्थिति में सूती कपड़े के सेनेटरी नेपकिन पहनना ही सबसे सही है। नेपकिन मांगने या खरीदने या लेने में संकोच न करें।
- मासिक धर्म के दौरान पहने जाने वाले अंतःवस्त्रों या सेनेटरी नेपकिन को अँधेरे में न सुखाएं। इसे धूप में सुखाएं।

परिवार और समाज का दायित्व है कि वे किशोरियों की मनःस्थिति को महसूस करें। उन्हें यह अहसास न होने दें कि उसका लड़की होना कोई अपराध है। किशोरावस्था जीवन का प्राकृतिक पड़ाव भर है, और माहवारी किसी अपराध या गलती का परिणाम नहीं है।

किशोरी बालिकाओं के लिए संचालित योजनाएं

किशोरी शक्ति योजना

मध्यप्रदेश में किशोरियों के बहु आयामी विकास के लिए किशोरी शक्ति योजना का सञ्चालन हो रहा है। यह योजना 35 जिलों में चल रही है। इसमें विकास के कई अलग–अलग पहलूओं को छुआ गया है।

ये योजना महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। इसमें स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

किशोरी शक्ति योजना में 11 से 18 साल तक की लड़कियों के लिए कुछ अहम प्रावधान हैं –

- किशोरी बालिकाओं के पोषण और स्वास्थ्य के स्तर में बेहतरी लाना।
- अनौपचारिक शिक्षा के जरिये उनमें साक्षरता और गणित के कौशल को हासिल करने की लालसा पैदा करना।
- अलग–अलग परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना।
- प्रशिक्षण के माध्यम से उनमें घरेलू और व्यावसायिक कार्यों सम्बन्धी कौशल को बढ़ाना। यह उनकी इच्छा और निर्णय पर निर्भर करता है कि वे किस तरह का कौशल हासिल करना चाहती हैं!
- स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पोषण, प्रबंधन और बाल देखरेख जैसे विषयों पर जागरूकता बढ़ाना।
- शादी की सही उम्र, परिवार नियोजन, प्रजनन के अधिकार, निर्णय लेने की क्षमता सरीखे विषयों पर जानकारी दी जाना।
- समाज के मुद्दों पर जानकारी देकर और चर्चा करके उनकी समझ को विकसित करने में मदद करना।
- किशोरी बालिकाओं में समाज के एक अभिन्न और बर्बर का हिस्सेदार होने की भावना को विकसित करने में मदद करना, उसे यह अहसास करवाना कि वह समाज की एक उपयोगी सदस्य है और उसकी भागीदारी महत्वपूर्ण है।

गतिविधियां

आयरन–फोलिक एसिड की गोलियों का उपयोग और कृमिनाशक दवा का वितरण

स्कूल से बाहर सभी किशोरियों को हर मंगलवार को आयरन–फोलिक एसिड के नीले रंग की गोली दी जाती है।

साल में दो बार स्वास्थ्य विभाग द्वारा कृमिनाशक दवा का वितरण किया जाता है।

स्वास्थ्य जांच और सन्दर्भ सेवाएं

हर साल अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी में आयोजित होने वाले ग्राम स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता दिवस पर गांव/समुदाय की सभी किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य की जांच की जाती है, उनके कद, वज़न और बी एम् आई (बाडी मॉस इंडेक्स–ऊँचाई के मान से वज़न) की माप की जाती है ताकि उनके विकास की गति और स्थिति को जांचा जा सके।

पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा

पोषण और संतुलित आहार के बारे में जानकारी दी जाना

हर महीने के चौथे मंगलवार को (जिसे मंगल किशोरी दिवस) कुछ खास विषयों पर परामर्श सत्र किये जाते हैं।

परिवार कल्याण/किशोरी प्रजनन और यौन स्वास्थ्य, बच्चों की देखरेख से सम्बंधित परामर्श

इस गतिविधि में मुख्य रूप से 14 से 18 साल की उम्र की किशोरियों को शामिल किया जाता है।

परिवार कल्याण और किशोरी प्रजनन और यौन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाना।

अर्श क्लीनिक की सेवाओं के बारे में जानकारी, परमरिश सत्रों का आयोजन और स्वास्थ्य जांच केम्प।

जीवन कौशल शिक्षा

जीवन कौशल शिक्षा सत्रों का आयोजन हर शनिवार को दोपहर के समय किया जाता है।

गतिविधियों का सञ्चालन

- किशोरी शक्ति योजना की गतिविधियों का संचालन हर आंगनवाड़ी केंद्र पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है। इस काम में किशोरी समूह/किशोरी क्लब के किशोरियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें स्कूल छोड़ने वाले किशोरियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किये जाते हैं।
- इसमें तीन दिन का सखी सहेली प्रशिक्षण होता है।
- किशोरियों के समूह में माहवारी स्वच्छता व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां की जाती हैं।
- वार्षिक किशोरी बालिका दिवस का आयोजन
- राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के दौरान व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन

राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना – सबला

सबला योजना का क्रियान्वयन वर्तमान में मध्यप्रदेश के 15 जिलों में किया जा रहा है। ये जिले हैं – जबलपुर, बालाघाट, दमोह, सागर, टीकमगढ़, भोपाल, राजगढ़, बैतूल, इंदौर, झाबुआ, नीमच, भिंड, श्योपुर, रीवा और सीधी।

यह योजना 11 से 18 साल की सभी किशोरी बालिकाओं के लिए संचालित है।

इसमें मुख्य जोर उन बालिकाओं पर है, जो स्कूल शिक्षा व्यवस्था से बाहर हैं।

योजना के मुख्य उद्देश्य

- किशोरी बालिकाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाना और उनका सशक्तिकरण करना।
- उनके पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में बेहतरी लाना।
- प्रशिक्षण के माध्यम से उनमें घरेलू और व्यावसायिक कार्यों सम्बन्धी कौशल को बढ़ाना। यह उनकी इच्छा और निर्णय पर निर्भर करता है कि वे किस तरह का कौशल हासिल करना चाहती हैं!
- स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पोषण, प्रबंधन और बाल देखरेख जैसे विषयों पर जागरूकता बढ़ाना।
- शादी की सही उम्र, परिवार नियोजन, प्रजनन के अधिकार, निर्णय लेने की क्षमता सरीखे विषयों पर जानकारी दी जाना।
- समाज के मुद्दों पर जानकारी देकर और चर्चा करके उनकी समझ को विकसित करने में मदद करना।
- उपलब्ध सार्वजनिक सेवाओं, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, डाकघर, बैंक, पुलिस थाना आदि के बारे में जानकारी देना और इससे सम्बंधित मार्गदर्शन देना।

मुख्य गतिविधयां

पोषण गतिविधि

सबला योजना के तहत सभी किशोरी बालिकाओं को हर मंगलवार को आंगनवाड़ी केंद्र से घर ले जाने योग्य (टेक होम राशन) राशन दिया जाता है। इसमें एक दिन के लिए 600 कैलोरी उर्जा, 18–20 ग्राम प्रोटीन होता है।

आयरन–फोलिक एसिड की गोलियों का उपयोग और कृमिनाशक दवा का वितरण

स्कूल से बाहर सभी किशोरियों को हर मंगलवार को आयरन–फोलिक एसिड के नीले रंग की गोली दी जाती है।

साल में दो बार स्वास्थ्य विभाग द्वारा कृमिनाशक दवा का वितरण किया जाता है।

स्वास्थ्य जांच और सन्दर्भ सेवाएं

हर तीन माह में आयोजित होने वाले ग्राम स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता दिवस पर गांव/समुदाय की सभी किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य की जांच की जाती है, उनके कद, वज़न और बी एम् आई (बाडी मॉस इंडेक्स–ऊँचाई के मान से वज़न) की माप की जाती है ताकि उनके विकास की गति और स्थिति को जांचा जा सके। यह जानकारी किशोरी कार्ड में दर्ज की जाती है।

किशोरी क्लीनिक का आयोजन होता है।

पोषण और जीवन–स्वास्थ्य शिक्षा

पोषण और संतुलित आहार के बारे में जानकारी दी जाना

हर महीने के चौथे मंगलवार को (जिसे मंगल किशोरी दिवस) कुछ खास विषयों पर परामर्श सत्र किये जाते हैं।

इस गतिविधि में मुख्य रूप से 14 से 18 साल की उम्र की किशोरियों को शामिल किया जाता है।

परिवार कल्याण और किशोरी प्रजनन और यौन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाना।

अर्श क्लीनिक की सेवाओं के बारे में जानकारी, परमरिश सत्रों का आयोजन और स्वास्थ्य जांच केम्प।

जीवन कौशल शिक्षा

जीवन कौशल शिक्षा सत्रों का आयोजन हर शनिवार को दोपहर के समय किया जाता है। इस गतिविधि में सत्र का संचालन सबला योजना के तहत दी गयी सबला किट "मेरी सखी" पुस्तिका के माध्यम से किया जाता है।

सार्वजनिक सेवाओं पर भ्रमण

किशोरी बालिकाओं को सार्वजनिक सेवाओं के काम करने के तौर–तरीकों और उनके उपयोग के बारे में जागरूक करने, उनके आत्मविश्वास को बढाने के लिए सार्वजनिक सेवाओं पर भ्रमण कराने का प्रावधान है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण

शाला त्यागी बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान है।

सखी सहेली प्रशिक्षण

सबला योजना में किशोरी समूह गतिविधि का बहुत महत्व है। इसमें सखी सहेलियों की भूमिका पर किशोरी समूह की गतिविधियां निर्भर करती हैं। इस समूह में एक लीडर होती है। इस समूह को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य

किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य पर पहल करना लैंगिक भेदभाव को खतम करने के नज़रिए से एक बहुत संवेदनशील पहल है। यह विषय सामाजिक वास्तविकताओं के नज़रिए भी बहुत संवेदनशील है। जब हम यह कार्य करेंगे तब समुदाय के स्तर पर की जाने वाली पहल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। संभव है कि यह विषय मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के समाज कार्य स्नातक पाठ्यक्रम में शामिल महिला प्रतिभागियों द्वारा प्राथमिक रूप से प्रायोगिक/मैदानी कार्य के लिए चुना जाएगा। ऐसा इसलिए होना संभव है, क्योंकि हमारे सामाजिक ताने–बाने में पुरुषों का इस विषय पर संवाद किया जाना ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य के लिए कुछ बिंदु	क्या कार्यवाही करें?
कुछ व्यक्तियों/महिलाओं/किशोरियों से चर्चा–संवाद करके यह जानने की कोशिश करें कि समुदाय में किशोरी बालिकाओं की सामाजिक स्थिति क्या है? यह करना इसलिए जरूरी है कि हमारे समाज के अलग–अलग समूहों में इस स्थिति में बहुत भिन्नताएं हैं। जैसे आदिवासी समाज में किशोरी बालिकाओं को ज्यादा स्वतंत्रता होती है।	छोटे समूह में चर्चा करें। यह ध्यान रखना होगा कि हम कोई धारणा या अपने पूर्वाग्रह के आधार पर बातचीत न करें। समुदाय की बात सबसे अहम होगी।
गांव/समुदाय, जहाँ हम यह प्रायोगिक या मैदानी काम कर रहे हैं, वहां कौन–कौन से समुदाय है? उनमें किशोरी बालिकाओं की संख्या कितनी है? उनमें से कितनी स्कूल के बाहर हैं और क्यों हैं? उनकी जानकारियों के स्रोत क्या हैं?	समुदाय से, उन परिवारों और किशोरी बालिकाओं के समूह से सघन चर्चा करें।
जो बालिकाएं स्कूल से बाहर हैं, उनके स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? उन्हें सेवाएं मिलती हैं या नहीं? वे स्कूल से बाहर क्यों हैं?	समुदाय से और किशोरी बालिकाओं के समूह से सघन चर्चा करें।
किशोरी बालिकाओं के लिए कौन सी योजनाएं और कार्यक्रम चल रहे हैं? उनके क्रियान्वयन की स्थिति क्या है?	समुदाय से और किशोरी बालिकाओं के समूह से सघन चर्चा करें।
जो बालिकाएं स्कूल से बाहर हैं, उन्हें स्कूली शिक्षा से जोड़ने की पहल करना है।	इसके लिए परिवार और स्कूल शिक्षा विभाग से समन्वय करके प्रयास करना होगा।
छात्रवृत्ति कार्यक्रम की स्थिति क्या है?	मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा या प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक, कई तरह की छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। उन कार्यक्रमों का उपयोग करके किशोरियों को शिक्षा से जोड़ना।

किशोरी शक्ति योजना या सबला योजना का क्रियान्वयन	किशोरी बालिकाओं, आंगनवाड़ी केंद्र और महिला एवं बाल विकास विभाग से चर्चा करके यह देखें कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन उद्देश्यों के अनुरूप हो रहा है? इनके क्रियान्वयन में कहाँ कमियां हैं और उन्हें दूर करने की पहल कीजिये। इसके लिए आपको समुदाय के साथ संगठित पहल करना होगी।
समुदाय में महिलाओं के साथ संवाद	यह एक साझा पहल होगी, जिसमें समुदाय की महिलाओं के साथ किशोरियों के स्वास्थ्य के मुद्दे पर जानकारी का आदान–प्रदान तो हो ही, साथ में उस धारणा में बदलाव भी लाया जाए, जिसमें इस विषय पर चर्चा करना या स्वास्थ्य सेवा लेना अनैतिक माना जाता है।
स्कूल में किशोरी बालिकाओं से संवाद	यह प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है, पर इसके साथ ही आप वहां ऐसी व्यवस्था बनवाएं, जिससे वे अपनी समस्या या अपना सवाल बिना पहचान सामने लाये पूछ सकें। जैसे वहां प्रश्न के लिए डिब्बा रखवाना। उन प्रश्नों के आधार पर उनसे बात करें।
कई अध्ययन बताते हैं कि लैंगिक असमानता के कारण बच्चियां अपने साथ होने वाले लैंगिक दुर्व्यवहार को छिपाने के लिए मजबूर होती हैं।	संवाद की यह पहल ऐसे आगे बढ़ाएँ, जिससे किशोरी बालिकाएं अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकें और उसका विरोध भी कर सकें। समुदाय के साथ इस विषय पर बात करें।
बाकी अन्य कई पहलू, जिन्हें आप इसमें शामिल कर सकते हैं।	समुदाय के अनुभवों के आधार पर।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य – 4

हक के रूप में सरकार से मिलने वाली सेवाएं

(मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी का कानून – 2010)

सतत् विकास के लिये शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना, सभी के लिये न्याय तक पहुंच उपलब्ध कराना तथा सभी स्तरों पर कारगर, जवाबदेह और समावेशी संस्थाएं बनाना।

जब तक लोगों की सही तरीके से सरकारी सेवाओं तक पंहुच नहीं होगी, तब तक सबको न्याय मिलने का दावा नहीं किया जा सकता है। यदि वृद्ध व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन या दिल की बीमारी से ग्रसित बच्चे को गुणवत्तापूर्ण इलाज नहीं मिलेगा, तो यह नहीं कहा जा सकेगा कि उन्हें न्याय मिला। हमारी सरकार व्यवस्था में लगभग हर तबके के लिए किसी न किसी तरह की योजना मौजूद है, किन्तु उनके पंहुच लोगों तक बाधित होती रही है। जब हम इस टिकाऊ विकास लक्ष्य को हासिल करने के तैयारी कर रहे हैं, तब हमें सुनिश्चित करना है कि हमारे गांव/बस्ती/समुदाय में लोगों को सरकारी योजनाओं/सेवाओं का अधिकार सम्मानजनक तरीके से निश्चित समय सीमा में मिले और वे अपने हकों से वंचित न हों।

सरकारी व्यवस्था को लोगों की व्यवस्था बनाने के लिए जरूरी था उस सोच को बदलना, जिसमें यह माना जाता रहा है कि सरकार जो योजनाएं बनाती है और जो सेवाएं देती है, उनके बारे में यह अपेक्षा नहीं की जाना चाहिए कि पात्र और जरूरतमंद व्यक्ति को वे सेवाएं मिलेंगी या नहीं? और यदि मिलेंगी तो कब तक, इसका जवाब नहीं माँगा जाना चाहिए!

वास्तव में कोई भी शासकीय सेवा, चाहे वह खाद्य सुरक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, न्याय की हो, मातृत्व लाभ की हो, शिक्षा व्यवस्था से सम्बंधित हो या कोई और, उन्हें पाना और जरूरी उपयोग कर पाना लोगों का अधिकार है और उन्हें देना सरकार की जिम्मेदारी है।

हमें देखा है कि अपने गांव या बस्ती या समुदाय में किसी परिवार ने सस्ते राशन के लिए राशन कार्ड हासिल करने के उद्देश्य से आवेदन दिया, किन्तु कई महीनों तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। हमने किसी मामले में पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की, किन्तु कई दिनों तक उसके प्रतिलिपि नहीं मिलती है। यही बात विकलांगता प्रमाण पत्र के सन्दर्भ में भी अनुभव की जाती रही है।

व्यवस्था की कार्यशाली ही ऐसी रही है कि उसमें सरकारी ताना–बाना लोगों के हकों और उनकी जरूरतों के प्रति जवाबदेय नहीं रहा। कोई समयबद्धता और जवाबदेहिता की व्यवस्था दिखाई नहीं देती थी।

1. ऐसे में वर्ष 2010 में मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी का कानून बनाया और लागू किया गया।
2. इस कानून का मुख्य मकसद तयशुदा और महत्वपूर्ण सेवाओं को एक तय समयसीमा में लोगों को उपलब्ध करवाना है।
3. अभी की स्थिति 21 विभागों की 69 सेवाएंध्योजनाएं इस कानून के दायरे में हैं। इनमें नयी 25 योजनाएं और जोड़ी जा रही हैं।

4. जब इस कानून का उपयोग किया जाए, तब उस पर लिखा जा सकता है कि – मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी के कानून की धारा–5 के अंतर्गत प्रस्तुत। ऐसा नहीं है कि इसका उल्लेख न होने पर आवेदन कानून के तहत नहीं माना जाएगा। बस स्पष्टता बनाए रखना जरूरी है।

5. हमें यह पता करना होगा कि किस योजना में हक हासिल करने या लाभ लेने के लिए पात्रताएं क्या हैं और आवेदन के साथ कौन से दस्तावेजों की जरूरत होगी?

6. इसका मतलब है कि सम्बंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हकधारक को एक निश्चित समय सीमा में उन योजनाओं का लाभ देने के लिए बाध्य हैं।

7. यदि कोई विभाग/अधिकारी इस कानून के तहत शिकायत या आवेदन लेने से इनकार कर दे, तो इसके खिलाफ अपील की जा सकती है।

8. हर विभाग में इस कानून के तहत जिम्मेदार (पदाभिहित) अधिकारी को परिभाषित किया गया है। इसी अधिकारी को कानून के तहत आवेदन दिया जाएगा।

9. इनके अलावा प्रथम और द्वितीय अपील अधिकारी की भूमिका भी स्पष्ट की गयी है। जब जिम्मेदार (पदाभिहित) अधिकारी अपनी भूमिका सही ढंग से न ए, तब प्रथम अपील अधिकारी, उसके बाद दूसरे अपील अधिकारी के पास अपील की जा सकती है।

10. सभी दस्तावेज होने और व्यक्ति/समुदाय के पात्र होने के बाद भी यदि उन्हें जरूरी मांगी गयी सेवा नहीं मिलती है, तो सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी पर 250 रूपए से लेकर 5000 रूपए तक के दंड का प्रावधान है।

11. यह राशि क्षतिपूर्ति के रूप में आवेदक/हकदार को दी जा सकेगी।

12. हर जिम्मेदार अधिकारी/पदाभिहित अधिकारी को अपने दफ्तर के बाहर जिम्मेदार अधिकारी, प्रथम और द्वितीय अपील अधिकारी, के नाम, पदनाम का उल्लेख करना होगा।

13. इस कानून में कुछ अन्य विभागों/संस्थाओं/अधिकारों को जिम्मेदारी दी गयी है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे विभाग/दफ्तर में अपना आवदन जमा करता है, जो इस कानून के मुताबिक जिम्मेदार नहीं है, तब उस कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी है कि वह आवेदक को सही जानकारी प्रदान करे। जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जिम्मेदारी सामाजिक न्याय विभाग की है, इसका बजट और व्यवस्था से सम्बंधित निर्देश भी वही विभाग देता है, किन्तु क्रियान्वयन की प्रक्रिया में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

14. इस कानून के तहत शिकायत/आवेदन पदाभिहित अधिकार और हर विकासखंड में स्थिति "लोक सेवा केन्द्रों" पर भी दिए जा सकते हैं।

उदाहरण

हम यहाँ पीने के पानी सम्बंधित पहलू को ध्यान में रखते हुए इस कानून को समझने की कोशिश करते हैं।

1. मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी का कानून के तहत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) की भूमिका और जिम्मेदारी भी सपष्ट की गयी है।

2. यह विभाग मुख्य रूप से पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। इस सन्दर्भ में उसकी भूमिका को हम यूँ देख सकते हैं –

समस्या / विषय	**कहाँ शिकायत करेंगे?**	**निराकरण में लगने वाला समय**	**यदि शिकायत का निराकरण न हो तो अपील कहाँ करेंगे?**	**अपील का निराकरण कितने दिन में होगा?**
पीएचई विभाग द्वारा लगाए गए हेंडपंप के जमीन के ऊपरी हिस्से में यदि कोई साधारण खराबी आ जाती है और उसके सुधार के लिए हम विभाग / लोक सेवा केंद्र को आवेदन देते हैं।	इसके लिए आवेदन पीएचई विभाग के उपयंत्री को दिया जाएगा। इसके अलावा हर विकास खंड में बने लोक सेवा केन्द्रों में भी शिकायत को दर्ज किया जा सकता है। जहाँ भी शिकायत या सूचना दर्ज करेंगे, वहां से पावती की रसीद जरूर लेना होगी।	इस तरह की शिकायत का निराकरण मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी का कानून के तहत 7 दिन में कर दिया जाएगा।	यदि तय समयावधि में समस्या का निराकरण न हो तो पीएचई के सहायक यंत्री के यहाँ अपील की जा सकती है।	अपील का निराकरण 7 दिन के भीतर होगा।
पीएचई विभाग द्वारा लगाए गए हेंडपंप के निचले भाग में हिस्से में यदि कोई गंभीर खराबी (लाइन असेमब्ली व सिलेंडर में) आ जाती है और उसके सुधार के लिए हम विभाग / लोक सेवा केंद्र को आवेदन देते हैं।	इसके लिए आवेदन पीएचई विभाग के उपयंत्री को दिया जाएगा। इसके अलावा हर विकास खंड में बने लोक सेवा केन्द्रों में भी शिकायत को दर्ज किया जा सकता है। जहाँ भी शिकायत या सूचना दर्ज करेंगे, वहां से पावती की रसीद जरूर लेना होगी।	इस तरह की शिकायत का निराकरण मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी का कानून के तहत 15 दिन में कर दिया जाएगा।	यदि तय समयावधि में समस्या का निराकरण न हो तो पीएचई के सहायक यंत्री के यहाँ अपील की जा सकती है।	अपील का निराकरण 10 दिन के भीतर होगा।

समस्या / विषय	कहाँ शिकायत करेंगे?	निराकरण में लगने वाला समय	यदि शिकायत का निराकरण न हो तो अपील कहाँ करेंगे?	अपील का निराकरण कितने दिन में होगा?
पानी पीने के योग्य है या नहीं, इससे सम्बंधित जाचं होना और रिपोर्ट देना।	इसके लिए आवेदन पीएचई विभाग के अनुविभागीय अधिकारी को दिया जाएगा। इसके अलावा हर विकास खंड में बने लोक सेवा केन्द्रों में भी शिकायत को दर्ज किया जा सकता है। जहाँ भी शिकायत या सूचना दर्ज करेंगे, वहां से पावती की रसीद जरूर लेना होगी।	इस तरह की शिकायत का निराकरण मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी का कानून के तहत 15 दिन में कर दिया जाएगा।	यदि तय समयावधि में समस्या का निराकरण न हो तो पीएचई के कार्यपालन यंत्री के यहाँ अपील की जा सकती है।	

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इस कानून के तहत सेवाएं देने के लिए बनायी गयी व्यवस्था

चिन्हित सेवाओं के लिए जनसामान्य को किस अधिकारी को आवेदन पत्र देना है, उसका कार्य पूरा करने के लिये कितने दिन निश्चित है, काम न होने की स्थिति में प्रथम अपील सुनने वाले अधिकारी का नाम और प्रथम अपील के निपटारे के लिये निश्चित समय अवधि और दूसरी अपील सुनने वाले अधिकारी के पद का नाम विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है –

क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का नाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पद नाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय सीमा	द्वितीय अपील अधिकारी का पद नाम
1	2	3	4	5	6	7

			1– ऊर्जा विभाग			
1.1	निम्नदाब के व्यक्तिगत नवीन कनेक्शन के लिए वर्तमान नेटवर्क से	(अ) शहरी क्षेत्र जोन/वितरण केंद्र प्रभारी (ब) ग्रामीण क्षेत्र वितरण केंद्र प्रभारी संभव है।	11 कार्य दिवस 16 कार्य दिवस	कार्यपालन अधिकारी कार्यपालन अधिकारी	15 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता अधीक्षण अभियंता
1.2	ग्राम–पत्र अनुसार राशि जमा करने के बाद वर्तमान नेटवर्क से निम्न दाब नवीन कनेक्शन प्रदान करना।	(अ) शहरी क्षेत्र जोन/वितरण केंद्र प्रभारी (ब) ग्रामीण क्षेत्र वितरण केंद्र प्रभारी	10 कार्य दिवस 14 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता अधीक्षण अभियंता
1.3	जहां वर्तमान अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहां 10 कि।वा तक के लिये राशि जमा करने के उपरांत अस्थाई कनेक्शन प्रदान।	(अ) शहरी क्षेत्र जोनधवितरण केंद्र प्रभारी (ब) ग्रामीण क्षेत्र वितरण केंद्र प्रभारी	3 कार्य दिवस 3 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता अधीक्षण अभियंता

1.4	जहां वर्तमान अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहां उभोक्ता द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरान्त भारवृद्धि के प्रकरणों में मांग पत्र जारी करना।	(अ) शहरी क्षेत्र जोन/वितरण केंद्र प्रभारी (ब) ग्रामीण क्षेत्र वितरण केंद्र प्रभारी	7 कार्य दिवस 7 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता अधीक्षण अभियंता
1.5	जहां वर्तमान अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहां मांगपत्र अनुसार राशि जमा करने तथा अनुपूरक किए जाने के उपरान्त भारवृद्धि करना।	(अ) शहरी क्षेत्र जोन/वितरण केंद्र प्रभारी (ब) ग्रामीण क्षेत्र वितरण केंद्र प्रभारी	7 कार्य दिवस 7 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता अधीक्षण अभियंता
1.6	निम्नदाब उपभोक्ताओं के मीटर बंद होने या तेज चलने के शिकायत पर जांच करना एवं मीटर खराब पाये जाने पर।	(अ) शहरी क्षेत्र जोन/वितरण केंद्र प्रभारी (ब) ग्रामीण क्षेत्र वितरण केंद्र प्रभारी	7 कार्य दिवस 7 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता अधीक्षण अभियंता

	2. श्रम विभाग (मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल)					
2.1	प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदान करना।	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र (अ) जहाँ श्रम अधिकारी पदस्थ हैं वहां प्राधिकृत श्रम अधिकारी (ब) जहाँ श्रम अधिकारी पदस्थ नहीं हैं – 1. आयुक्त, नगर निगम 2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता अधीक्षण अभियंता संभागायुक्त संभागायुक्त
2.2	विवाह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना।	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र (अ) जहाँ श्रम अधिकारी पदस्थ हैं वहां प्राधिकृत श्रम अधिकारी (ब) जहाँ श्रम अधिकारी पदस्थ नहीं हैं – 1. आयुक्त, नगर निगम 2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	कलेक्टर कलेक्टर संभागायुक्त कलेक्टर

2.3	मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना।	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र (अ) जहाँ श्रम अधिकारी पदस्थ हैं वहां प्राधिकृत श्रम अधिकारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		(ब) जहाँ श्रम अधिकारी पदस्थ नहीं हैं –	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		2. आयुक्त, नगर निगम 2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
2.4	निर्माण श्रमिकों का पंजीयन	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र (अ) जहाँ श्रम अधिकारी पदस्थ हैं वहां प्राधिकृत श्रम अधिकारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		(ब) जहाँ श्रम अधिकारी पदस्थ नहीं हैं –	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		3. आयुक्त, नगर निगम 2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

2.5	निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदान करना।	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र 1. आयुक्त नगर निगम पदस्थ 2. नगर पालिका नगर पंचायत के लिए सम्बन्धित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व।	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	कलेक्टर कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	 संभागायुक्त संभागायुक्त कलेक्टर
		3. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग				
3.1	विभागीय हैंडपंप के जमीन के ऊपरी भाग की साधारण खराबी का सुधार।	उपयंत्री	7 कार्य दिवस	सहायक यंत्री	7 कार्य दिवस	कार्यपालन यंत्री
3.2	विभागीय हैंडपंप के जमीन के निचले भाग में हैंडपंप के लाईन असेम्बली व् सिलेंडर की गंभीर खराबी का सुधार	उपयंत्री	15 कार्य दिवस	सहायकयंत्री	15 कार्य दिवस	कार्यपालन यंत्री
		राजस्व विभाग				
4.1	राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड–छः क्रमांक 4 के अनुसार प्राकृतिक प्रकोप से शारीरिक अंगहानी अथवा मृत्यु होने पर अधिक सहायता दी जाना।	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त

4.2	चालू खसरा/खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय।	तहसीलदार या उसके द्वारा प्राधिकृत राजस्व अधिकारी	5 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
4.3	चालू नक्शा की प्रतिलिपियों का प्रदाय।	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार (अपनी–अपनी अधिकारिता में)	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
4.4	भू–अधिकार ऋण पुस्तिका का प्रथम बार प्रदाय।	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार (अपनी–अपनी अधिकारिता में)	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
4.5	भू–अधिकार ऋण पुस्तिका का द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट कॉपी) बार प्रदाय।	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार (अपनी–अपनी अधिकारिता में)	45 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
4.6	वन्य प्राणियों से फसल हानि का भुगतान (राजस्व एवं ग्रामों में)	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार (अपनी–अपनी अधिकारिता में)	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
4.7	नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र।	नजूल अधिकारी	1 माह	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त

4.8	शोध्य क्षमता प्रमाण पत्र।	(अ) तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार (अपनी–अपनी अधिकारिता में) (ब) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (25 लाख रुपये तक) (स) कलेक्टर (25 लाख रुपये से ऊपर)	30 कार्य दिवस 45 कार्य दिवस 45 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कलेक्टर संभागायुक्त	15 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त सचिव
	5. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग					
5.1	जहाँ तकनीकी रूप से साध्य हो वहां नवीन नल कनेक्शन प्रदाय किया जाना।	(1) नगरपालिका/नगरपंचायत क्षेत्र का मुख्य नगरपालिका अधिकारी (2) नगरपालिका निगम में आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो) (3) आयुक्त नगरपालिका निगम	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आयुक्त नगरपालिका निगम कलेक्टर	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	कलेक्टर कलेक्टर कलेक्टर
5.2	गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोड़ना (नगरीय क्षेत्र)।	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

6. सामान्य प्रशाशन विभाग						
6.1	स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारे करना।	तहसीलदार / अपर तहसीलदार / नायब तहसीलदार (अपनी–अपनी अधिकारिता में)	7 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
6.2	आय प्रमाण पत्र – प्रमाण पत्र जारी करना।	तहसीलदार / अपर तहसीलदार / नायब तहसीलदार (अपनी–अपनी अधिकारिता में)	3 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	7 कार्य दिवस	कलेक्टर
7. सामाजिक न्याय विभाग						
7.1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना।	**ग्रामीण क्षेत्र के लिये** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत **नगरीय क्षेत्र के लिये** (अ) आयुक्त, नगर निगम (ब) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका / नगर पंचायत	60 कार्य दिवस 60 कार्य दिवस 60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त संभागायुक्त

7.2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना।	**ग्रामीण क्षेत्र के लिये** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत **नगरीय क्षेत्र के लिये** (अ) आयुक्त, नगर निगम (ब) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका / नगर पंचायत	60 कार्य दिवस 60 कार्य दिवस 60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त कलेक्टर
7.3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना।	**ग्रामीण क्षेत्र के लिये** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत **नगरीय क्षेत्र के लिये** (अ) आयुक्त, नगर निगम (ब) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका / नगर पंचायत	60 कार्य दिवस 60 कार्य दिवस 60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त कलेक्टर

7.4	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निः शक्त पेंशन प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना।	**ग्रामीण क्षेत्र के लिये** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत **नगरीय क्षेत्र के लिये** (अ) आयुक्त, नगर निगम (ब) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका / नगर पंचायत	60 कार्य दिवस 60 कार्य दिवस 60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त कलेक्टर
7.5	राष्ट्रीय परिवार पेंशन प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना।	**ग्रामीण क्षेत्र के लिये** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत **नगरीय क्षेत्र के लिये** (अ) आयुक्त, नगर निगम (ब) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका / नगर पंचायत	60 कार्य दिवस 60 कार्य दिवस 60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त कलेक्टर

8. आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग						
8.1	मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति आकस्मिकता योजना नियम, 1995 के अंतर्गत रहत प्राप्त न होने सम्बन्धी आवेदन पत्र का समाधान करना।	जिला संयोजक/सहायक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाती कल्याण विभाग	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
9. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग						
9.1	नवीन बी।पी।एल। राशन कार्ड जारी करना।	जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में सहायक आपूर्ति अधिकारी जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोडकार शेष नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र तहसीलदार	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	जिला आपूर्ति नियंत्रक/ जिला आपूर्ति अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	कलेक्टर कलेक्टर
9.2	नवीन ए।पी।एल। राशन कार्ड जारी करना।	जिला मुख्यालय के नगरीय निकाय आयुक्त / मुख्य नगरपालिका अधिकारी	30 कार्य दिवस	जिला आपूर्ति नियंत्रक/ जिला आपूर्ति अधिकारी	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

		जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोडकार शेष नगरीय निकाय आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के सचिव		तहसीलदार	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व
10. वन विभाग						
10.1	वन्य प्राणियों से जन–हानि हेतु राहत राशी का भुगतान।	परिक्षेत्राधिकार	3 कार्य दिवस	वन मंडल अधिकारी/ संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक/ सहायक संचाल	15 कार्य दिवस	वन संरक्षक/ संरक्षित क्षेत्र के संचालक
10.2	वन्य प्राणियों से जन–हानि हेतु रहत राशी का भुगतान।	परिक्षेत्राधिकारी	7 कार्य दिवस	वन मंडल अधिकारी/ संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक/ सहायक संचाल	15 कार्य दिवस	वन संरक्षक/ संरक्षित क्षेत्र के संचालक
10.3	वन्यप्राणियों से पशु–हानि राहत राशी का भुगतान।	परिक्षेत्राधिकारी	30 कार्य दिवस	वन मंडल अधिकारी/ संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक/ सहायक संचाल	30 कार्य दिवस	वन संरक्षक/ संरक्षित क्षेत्र के संचालक

10.4	मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान। 1. डिपो में काष्ठ प्राप्त होने के उपरांत भुगतान के प्रकरण। 2. पृथक लाट के विकल्प की दशा में विक्रय मूल्य की पूर्ण वसूली के प्रकरण।	वन मंडलाधिकारी	45 कार्य दिवस	वन संरक्षक	30 कार्य दिवस	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
10.5	काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना।	1. शासकीय काष्ठागार हेतु काष्ठागार अधिकारी/परिक्षेत्र अधिकारी	3 कार्य दिवस	उप वन मण्डलाधिकारी	15 कार्य दिवस	वन मण्डलाधिकारी
		2. काष्ठ के पंजीकृत व्यापारी/विनिर्माता हेतु परिक्षेत्र अधिकारी	10 कार्य दिवस	उप वन मण्डलाधिकारी	15 कार्य दिवस	वन मण्डलाधिकारी
		3. भूमि स्वामी से प्राप्त काष्ठ हेतु उप वनमंण्ड अधिकारी	30 कार्य दिवस	उप वन मण्डलाधिकारी	15 कार्य दिवस	वन मण्डलाधिकारी

11.गृह विभाग						
11.1	मृतक के परिवार के सदस्य के आवेदन पर पोस्ट मार्टम (पी. एम.) रिपोर्ट की प्रति का प्रदाय किया जाना।	सम्बंधित थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस (एस.डी.ओ.पी) नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी)	15 कार्य दिवस	पुलिस अधीक्षक
11.2	एफ.आई.आर. की प्रतिलिपि शिकायतकर्ता को प्रदान करना।	थाना प्रभारी	1 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस (एस.डी.ओ.पी) नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी)	7 कार्य दिवस	पुलिस अधीक्षक
11.3	लायसेंस अवधि समाप्त होने के पूर्व अवर्जित बोर के सरल लायसेंस का नवीनीकरण।	जिला दंडाधिकारी	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त	7 कार्य दिवस	सचिव, गृह विभाग
11.4	लायसेंस अवधि समय–सीमा के पश्चात् अवर्जित बोर के सरल लायसेंस का नवीनीकरण।	जिला दंडाधिकारी	45 कार्य दिवस	संभागायुक्त	15 कार्य दिवस	सचिव, गृह विभाग

12.लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग						
12.1	राज्य बीमारी सहायता निधि के अधीन रुपये 1.00 लाख के प्रकरण (जिला स्तरीय) का स्वीकृत किया जाना।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	10 कार्य दिवस	संभागायुक्त संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं	15 कार्य दिवस	आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं
12.2	विकलांगता प्रमाण पत्र दिया जाना।	सिविल सर्जन	15 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
12.3	दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना कार्य जारी करना।	(अ) जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	7 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		(ब) जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर विकासखंड चिकित्सा अधिकारी	7 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
13. किसान कल्याण एवं कृषि विभाग						
13.1	रासायनिक ऊर्वरक, कीटनाशक बीज विक्रय लायसेंस जारी करना।	सम्बंधित जिले के उप संचालक, कृषि	30 कार्य दिवस	संबंधित संभाग के संयुक्त संचालक, कृषि	15 कार्य दिवस	संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास

13.2	रासायनिक ऊर्वरक, कीटनाशक बीज विक्रय लायसेंस का नवीनीकरण।	संचालक, कृषि सम्बंधित जिले के उप	30 कार्य दिवस	संबंधित संभाग के संयुक्त संचालक, कृषि	15 कार्य दिवस	संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास
14.1 महिला एवं बाल विकास विभाग						
14.1	लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत स्वीकृति जारी करना।	बाल विकास परियोजना	30 कार्य दिवस	जिला महिला बाल विकास अधिकारी/ जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
15. परिवहन विभाग						
15.1	लर्निंग ड्रायविंग लायसेंस जारी करना।	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर.टी.ओ.)	10 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
15.2	वहां फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करना।	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर.टी.ओ.)	10 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
16. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग						
16.2	गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची नाम जोड़ना (ग्रामीण क्षेत्र)।	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार (अपनी–अपनी अधिकारिता)	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त

प्रायोगिक/मैदानी काय

प्रायोगिक/मैदानी कार्य के लिए कुछ बिंदु	क्या कार्यवाही करें?
समुदाय/लोगों के हकों से सम्बंधित कानून/योजनाओं और	उनके प्रावधानों के बारे में जानना
समुदाय/लोगों के हकों से सम्बंधित कानून/योजनाओं और उनके प्रावधानों के बारे में जानना	इस कानून को लागू करने के लिए समुदाय में पहल करने की प्रक्रिया में जरूरी है कि हम योजनाओं का गंभीरता से अध्ययन करें और जानें कि बच्चों, विद्यार्थियों, महिलाओं, वृद्धों, विकलांगता से प्रभावितों, किसानों, गंभीर बीमारी से पीड़ितों के लिए कौन सा विभाग योजनाएं संचालित करता है? उन योजनाओं के नाम क्या हैं? उनमें कौन से अधिकारों का उल्लेख है? ये अधिकार किस तरह हासिल किये जा सकते हैं और हमारे सबसे करीब में जिम्मेदार दफ्तर/अधिकार कौन है?
किन योजनाओं पर अपना प्रायोगिक/मैदानी काम करेंगे?	हम अपने गांव/बस्ती/समुदाय की बेहतरी के नजरिए से कोई भी दो या तीन विभागों से जुड़ी योजनाओं को चुनें।
उन योजनाओं की जमीनी स्थिति पर अध्ययन करें और रिपोर्ट बनायें।	उन योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करके एक रिपोर्ट बनायें और ग्रामसभा में प्रस्तुत करें। इसे सम्बंधित विभाग से भी साझा करें।
वंचितों की पहचान करना	यह देखें कि गांव/समुदाय में किन लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए ? क्या सभी पात्र लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है?
जो वंचित हैं, उन्हें समुदाय संगठन के माध्यम से हक दिलवाना	यदि नहीं, तो कौन लोग वंचित हैं? उन्हें योजना का लाभ दिलाने की पहल करें। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत गांव/समुदाय में सभी पात्र बुजुर्गों के नाम पेंशन सूची में दर्ज हैं क्या? क्या उन्हें समय से पेंशन मिल रही है? यदि नहीं तो मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी का कानून की व्यवस्था का उपयोग करके उन्हें नियमित रूप से पेंशन दिलवाई जाए। इसके लिए हमें मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी के कानून का उपयोग करना है।
समुदाय के बीच संवाद	अलग–अलग समूहों में मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी के कानून–2010 के बारे में चर्चा करना।
अलग–अलग समूहों में मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी के कानून–2010 के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि इसमें 152 सेवाएं शामिल हैं। इनको पहचानें और कानून का उपयोग करके हक को हासिल करें।	

प्रायोगिक/मैदानी कार्य – 5

पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार) अधिनियम, 1996

सतत् विकास के लिये शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना, सभी के लिये न्याय तक पहुंच उपलब्ध कराना तथा सभी स्तरों पर कारगर, जवाबदेह और समावेशी संस्थाएं बनाना।

आपका संविधान इस मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यह मूल निवासियों के पहचान और उनकी व्यवस्थाओं को सम्मान देने की पहल करता है। उल्लेखनीय है कि देश के कई हिस्सों, जहाँ आदिवासी समाज रहता है, उन क्षेत्रों को एक प्रक्रिया के तहत पांचवी अनुसूची के क्षेत्र के रूप में पहचान दे गयी है।

सरकार भी मानती है कि आदिवासी समुदाय पारंपरिक रूप से स्व–नियंत्रित समुदाय है। उनकी अपनी निजी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, जिन्हें उन्होंने बहुत सम्मान के साथ सदियों से निरंतर बनाए रखा है। उनके पास अपने परंपरगत कानून और स्थाने विवादों को हल करने की व्यवस्थाएं भी हैं। भारत का संविधान भी उनके इन व्यवस्थाओं को मान्यता देता है। यह इसलिए भी जरूरी है ताकि आदिवासी समाज की अपनी पहचान बनी रहे। वास्तव में देखा जाए तो आदिवासी समाज से हमें व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण और समानता के कई पाठ सीखने को मिलते हैं।

जब हम टिकाऊ विकास लक्ष्यों की बात करते हैं, तब एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत महसूस होती है, जिसमें विकास की परिभाषा–सोच को तय करने और उसके लिए कार्यक्रम बनाने का अधिकार समाज के पास ही हो। विकास की वह सोच मानवीय मूल्यों पर आधारित हो ताकि हमारे आज के विकास को आने वाली पीढियां उनके विनाश के रूप में न पढ़ें। जो प्रकृति के संरक्षण को मानव समाज की सबसे अहम जिम्मेदारी माने। एक स्तर पर कोई कह सकता है कि ऐसी व्यवस्था तो कल्पनाओं में होती है, किन्तु सच यह है कि आदिवासी समाज में ऐसी व्यवस्थाएं रही हैं और हमारे संविधान में उनका उल्लेख भी है। इसे मूर्त रूप देने के लिए वर्ष 1996 में पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार) अधिनियम {पेसा} लागू किया गया। इसे "पेसा" कानून भी कहते हैं।

स्थानीय शासन व्यवस्था

अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र (पांचवी अनुसूची)

- भारत में संविधान के तहत अनुसूचित क्षेत्रों (ऐसे क्षेत्र जहाँ अनुसूचित जनजाति समुदाय यानी आदिवासी समुदाय रहता है) के प्रशासन और नियंत्रण की व्यवस्था की गयी है। इसकी व्यवस्था पांचवी अनुसूची में है।
- इस व्यवस्था में राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका बहुत अहम है।

- जहाँ अनुसूचित जनजाति समुदाय निवास करता है, वहाँ जनजाति सलाहकार परिषद स्थापित की जायेगी। इसमें बीस सदस्य होंगे। इसमें से तीन चौथाई सदस्य वे होंगे जो राज्य विधान सभा में अनुसूचित जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि हैं।
- यह परिषद राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति के लिए सलाह देती है।
- इस व्यवस्था के तहत राज्यपाल आदिवासी समुदाय की भीतरी, उनके सम्मान और व्यवस्था की सुरक्षा–संरक्षण के मद्देनजर अनुसूचित क्षेत्र में राज्य के किसी भी कानून को लागू करने से रोक सकता है या उसमें बदलाव करवा सकता है। ऐसा लोक अधिसूचना के जरिये किया जाएगा।
- संविधान की इस व्यवस्था के तहत शान्ति और सुशासन के लिए राज्यपाल नियम बना सकते हैं – इसमें खास तौर पर यह व्यवस्था है कि आदिवासियों की भूमि अधिकारिता की सुरक्षा हो सके।
- अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के सदस्यों को धन उधार देने वाले साहूकारों का नियमन करने के लिए। ऐसा करने के लिए यदि उन्हें किसी मौजूदा कानून में संशोधन करना पड़े या खत्म करना पड़े, तो वह भी किया जाएगा।
- अनुसूचित क्षेत्रों के सन्दर्भ में उधार, भूमिया से सम्बंधित नियम–कानून तब तक नहीं बनाया जाएगा, जब तक कि जनजाति सलाहकार परिषद से परामर्श न ले लिया जाए।

गांव के स्थानीय निकायों यानी पंचायत की ताकत

संविधान का अनुच्छेद 243 (छ)

राज्य का विधान मंडल कानून बना कर पंचायतों को स्वायत्त शासन की संस्था के रूप में काम करने के लिए ताकतवर बनाएगा।

क. पंचायतें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार कर सकती हैं,

ख. वे उन विषयों पर योजनाएं क्रियान्वित करेंगी, जो ग्यारहवीं सूची में सूचीबद्ध हैं,

पेसा कानून में ग्रामसभा की ताकत

अगर अपन पेसा कानून को समझें तो पता चलता है कि ग्राम सभा आदिवासी समाज की एक स्व–प्रबंधन संस्था है। इस कानन के ढाँचे में ग्राम सभा की स्थिति सबसे ऊपर और सर्वोच्च है। इसमें राज्य और पंचायत से अपेक्षा की जाती है कि वे ग्राम सभा को काम करने में सहयोग करें।

पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार) अधिनियम {पेसा} की विशेषताएं

- राज्य का विधान मंडल ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, जो केन्द्रीय कानून के बुनियादी विशेषताओं से असंगत हो।
- गांव आमतौर पर एक बस्ती या बस्तियों का एक समूह या एक पुरवा या पुरवों के एक समूह से मिलकर बनते हैं। ऐसे हर गांव की एक ग्राम सभा होगी।
- हर ग्राम सभा अपने लोगों की परम्पराओं और रीति–रिवाजों की रक्षा करने, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विवादों के समाधान के परंपरगत तरीकों से रक्षा करने में सक्षम है।
- गौण खनिजों के पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पत्तों की स्वीकृति से पहले ग्राम सभा या पंचायत द्वारा सिफारिश अनिवार्य है।
- विकास परियोजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का अधिग्रहण करने से पहले या ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित लोगों को बसाने या उनके पुनर्वास से पहले ग्राम सभा और उचित स्तर की पंचायत से परामर्श किया जाएगा।
- उचित स्तर पर पंचायतें और ग्राम सभाएं सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थाओं और कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण करेंगी।
- चूंकि राजनीतिक सशक्तिकरण आर्थिक विकास की शुरुआत है इसलिए अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय के सदस्यों के लिए पंचायतों की न्यूनतम 50 फीसदी यानी आधी सीटों पर और अध्यक्ष के सभी पदों को आरक्षित किया गया है।
- ग्राम सभा ही अलग–अलग योजनाओं के हितग्राहियों का चयन करेगी।
- ग्राम सभा को आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को रोकने और हस्तांतरित भूमि की बहाली के लिए आदेश देने का अधिकार है।
- ग्राम सभा ही सामुदायिक संसाधनों का प्रबंधन करेगी और लागू वन उपज पर उसका नियंत्रण/मालिकाना होगा।
- वह शराब की बिक्री और खपत पर नियंत्रण रखती है।
- कर्जों/ऋणों ने आदिवासियों के परेशानी में डाला है। इस कानून के मुताबिक ग्राम सभा को आदिवासियों को दिए जाने वाले कर्जों को नियंत्रित करने का भी अधिकार है।
- वे पानी की संरचनों के प्रबंधन के लिए सशक्त हैं।

ग्राम सभा के अधिकार –– कुछ व्यापक सन्दर्भ में

पानी – पानी की संरचनाओं के प्रबंधन के सन्दर्भ में अहम भूमिकाएं उचित स्तर की पंचायतों को सौंपी गयी हैं। गांव के लोगों और गाँवों के बीच सिंचाई या मछली पकड़ने या अन्य उपयोगों के लिए पानी के स्र्तोतों पर बराबरी के उपयोग का अधिकार रखा जाएगा। यदि कोई विवाद होता है तब ग्राम सभा में चर्चा होगी।

लघु वन उपज – ग्राम सभा को लागु वन उपज का मालिकाना हक दिया गया है। लागु वन उपज में क्या–क्या शामिल है, इसे पेसा कानून में परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु अनुसूचित जनजातियां और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मायता) अधिनियम, 2006 में इसे परिभाषित किया गया है। इसमें लकड़ी, बांस, बेंत, तसर, ककून, शहद, मोम, लाख, तेंदू पत्ते, ओषधीय पौधे, जड़ी–बूटियाँ, जड़ें, कंद सहित पौधों से प्राप्त होने वाली उपज शामिल है। इसके लिए संयुक्त वन प्रबंधन समिति (यदि हो तो) को ग्राम सभा के प्रति जवाबदेय बनाया गया है। यदि ग्राम सभा चाहे तो वह लघु वन उपजध्वन संसधानों के प्रबंधन के लिए अपनी स्वयं की समितियां बना सकती है। यदि कोई लघु वन उपज बहुत कम मिल रही है या खत्म होने की कगार पर है, तो उन लागु वन उपजों के संग्रहण या बाहर ले जाने पर ग्राम सभा रोक लगा सकती है। लघु वन उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य को तय करने में भी उनकी सहभागिता रहेगी। लघु वन उपज पर ग्राम सभा को रायल्टी मिलेगी, जिसे ग्राम सभा के कोष में जमा किया जाएगा।

स्थानीय बाजार – ग्राम सभा गाँव के बाजारों का प्रबंधन करने के लिए सशक्त है। वह दुकानदारों और उपभोक्ताओं के लिए पानी, शेड और अन्य भौतिक सुविधाएँ उपलब्ध करवाएंगी। यह तय करेगी कि बाजार में हानिकारक वस्तुएं न आयें और उनकी बिक्री न हो। धोखधड़ी या कीमतों के बारे में गलत सूचना या शोषण सहित सभी गलत व्यवहारों को रोकेगी। जुआ, सट्टेबाजी, भाग्य परीक्षण या मुर्गे की लड़ाई सरीखे व्यवहारों को रोकेगी। दुकानदारों पर कर लगाया जा सकता है। दो या अधिक गांव मिलकर एक साझा बाजार की व्यवस्था कर सकते हैं।

शराब – पेसा कानून के तहत ग्राम सभा को नशीले पदार्थों/शराब की बिक्री और उपयोग को रोकने, नियंत्रित करने या सीमित करने का अधिकार है। इसके लिए वह नशा नियंत्रण समिति बना सकती है। इसमें कम से कम आधी महिलायें होंगी।

वन अधिकार कानून, 2006 – अनुसूचित जनजातियां और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मायता) अधिनियम, 2006 जंगल में आदिवासी और अन्य वन वासियों के अधिकारों को पहचान–मान्यता देता है। वन अधिकार पर दो तरह के अधिकार हैं –

एक : 13 दिसंबर 2005 या इससे पहले से आदिवासियों ने जिस वन भूमि को अपने कब्जे में रखा है, उस पर उन्हें स्वामित्व का अधिकार दिया गया है। कब्जे की जो जमीन मिलेगी उसी सीमा 4 हेक्टेयर तक है। आदिवासियों के अलावा अन्य वनवासियों के लिए शर्त है कि वे वहां 75 वर्षों से रह रहे हों। (व्यक्तिगत अधिकार)

दो : वन क्षेत्रों के भीतर चारागाहों, गैर–इमारती लकड़ी, वन उपज का उपयोग या निपटान और विक्रय, मछली पकड़ने का अधिकार, वन संसाधनों की सुरक्षा और प्रबंधन का अधिकार भी शामिल है। (सामुदायिक अधिकार)

यह कानून लागू होने के बाद अवैध बेदखली या जबरिया विस्थापन पर नियंत्रण। लोगों को पहले वन अधिकार मिलेगा, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया चलेगी। इस प्रक्रिया में ग्राम सभा को अधिकारों के दावे आमंत्रित करने और नक्शा बनाने का अधिकार है।

योजनाएं – पेसा कानून ग्राम पंचायत को गाँव की योजनाओं और परियोजनाओं पर सभी ग्राम सभाओं की मंजूरी हासिल करने की आदेश देता है। इसके तहत सभी विभागों की हर तरह की योजना और कार्यक्रम से सम्बंधित प्रस्ताव ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत किये जायेंगे ताकि वह उनका अनुमोदन करे, सहमति दे या कोई और निर्णय कर सके। इसमें ग्राम सभा को यह जानकारी होना चाहिए कि उस योजना की प्रासंगिकता और महत्व क्या है? कार्यक्रम में कितनी राशि खर्च होगी? उसमें से सरकार का हिस्सा कितना है, सहायता कितनी है और ऋण कितना है? वह योजना कैसे और किनके माध्यम से (मशीने, ठेकेदार, तकनीक, स्थानीय लोगों की भूमिका आदि) क्रियान्वित होगी। उस योजना के पर्यावरण या आजीविका या स्थानीय संसाधनों पर क्या और किस तरह के प्रभाव पड़ेंगे? इतना ही नहीं गांव के लिए सरकारी सेवाओं – स्वास्थ्य, पानी आदि के बजट और योजना को अनुमोदन के लिए ग्राम सभा में रखा जाएगा। ग्राम सभा ही योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान करेगी।

संसाधनों का उपयोग – इसमें भूमि अधिग्रहण के लिए परामर्श करने और सहमति की बात की गयी है। इसका मतलब यह है कि जब किसी काम के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, तब अनिवार्य रूप से ग्राम सभा को उस योजनाध्परियोजना, उसके आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में सही–सही – तथ्यात्मक जानकारी स्पष्ट करके दी जायेगी। इसके बाद ही ग्राम सभा अपनी सिफारिश देगी। फिर भी यदि यह पता चलता है कि किसी बिंदु पर गलत या अधूरी जानकारी दी गयी है, तो ग्राम सभा को अपनी सिफारिश वापस लेने का अधिकार होगा। भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। गौण खनिजों के दोहन के लिए लाइसेंस या खनन का पट्टा लेने के लिए भी ग्राम सभाध्पंचायत से अनुमति लेना जरूरी है।

परंपरागत विवादों का समाधान – पेसा कानून ग्राम सभा को लोगों की परम्पराओं और रीति–रिवाजों की रक्षा, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों से सम्बंधित निर्णय और विवादों को हल करने के परंपरगत तरीकों की रक्षा करने के लिए सशक्त बनाता है। ग्राम सभा भूमि, फसलों के बंटवारे, विरासत, सामुदायिक संसाधनों के उपयोग, प्रथाओंदृविश्वासों से जुड़े मामलों, ऋण और ऋण शर्तों पर विचार, शादी, छेड़छाड़, तलाक, रख रखाव सरीखे वैवाहिक मामलों का संधान करने के लिए सशक्त है।

भूमि हस्तांतरण – पेसा कानून अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने और आदिवासी की अवैध रूप से हस्तांतरित भूमि को बहाल करने के लिए अधिकृत है। ग्राम सभा यह सुनिश्चित कर सकती है कि आदिवासी से सम्बंधित कोई भी जमीन गैर–आदिवासी व्यक्ति को न सौंपी जाए।

मध्यप्रदेश में पांचवी अनुसूची जिले/क्षेत्र

1. झाबुआ जिला
2. मण्डला जिला
3. डिंडोरी जिला
4. बड़वानी जिला
5. धार जिले की सरदारपुर, धार, कुक्षी, धरमपुरी, गंधवानी एवं मनावर तहसीलें
6. खरगोन (पश्चिम निमाड़) जिले की भगवानपुरा, सेगांव, भीकनगांव, झिरनिया, खरगोन एवं महेश्वर तहसीलें
7. हरसूद तहसील का खालवा आदिम जाति विकास खंड एवं खंडवा (पूर्वी निमाड़) जिले की खकनार तहसील का खकनार आदिम जाति विकास खंड
8. रतलाम जिले में सैलाना तथा बाजना तहसीलें
9. बैतूल जिले में बैतूल (बैतूल विकास खंड को छोड़ कर) भैंसदेही और शाहपुर तहसीलें
10. सिवनी जिले में लखनादौन, घन्सौर एवं कुरई तहसीलें
11. बालाघाट जिले में बैहर तहसील
12. होशंगाबाद जिले में इटारसी तहसील का केसला आदिम जाति विकास खंड
13. शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़, अनूपपुर, जैथारी, कोतमा, सोहागपुर, एवं जयसिंह नगर तहसीलें
14. उमरिया जिले की पाली तहसील में पाली आदिम जाति विकास खंड
15. सीधी जिले की कुसमी तहसील में कुसमी आदिम जाति विकास खंड
16. श्योपुर जिले की कराहल तहसील का कराहल आदिम जाति विकास खंड
17. तहसील तामिया एवं जामई तहसील के पटवारी सर्कल क्र। 10 से 12 एवं 16 से 19 तक, परासिया तहसील में पटवारी सर्कल क्र। 09 में ग्राम सीरेगांव खुर्द एवं किरवारी तथा पटवारी सर्कल क्र। 13 में ग्राम मैनावाड़ी एवं गवली परासिया, छिंदवाड़ा तहसील में पटवारी सर्कल क्र। 25 का ग्राम बम्हनी, अमरवाड़ा तहसील में आदिम जाति विकास खंड हर्रई एवं पटवारी सर्कल क्र। 28 से 36, 41, 43, 44 तथा 45–बी, तहसील बिछुआ, एवं सौंसर तहसील के पटवारी सर्कल क्र– 05, 08, 09,10,11 एवं 14 छिंदवाड़ा जिले की पांढुर्ना तहसील में पटवारी सर्कल क्र। 01 से 11 तथा 13 से 26 एवं पटवारी सर्कल क्र। 12 (ग्राम भूली को छोड़ कर), पटवारी सर्कल क्र। 27 का ग्राम नंदपुर, पटवारी सर्कल क्र। 28 के ग्राम नीलकंठ एवं ढौण्डीखापा, पूर्ववर्ती पैराग्राफ में क्षेत्रीय विभाजन के सन्दर्भ में प्रदर्शित किया गया कोई भी नाम, इस आदेश के आरम्भ होने पर, उस नाम के क्षेत्रीय विभाजन के सन्दर्भ में वर्तमान के समान समझा जावेगा।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य

प्रायोगिक/मैदानी कार्य के लिए कुछ बिंदु	क्या कार्यवाही करें?
यह जानें कि आपका गांव/समुदाय/क्षेत्र पांचवी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र है या नहीं?	
समुदाय/समूह के साथ इकठ्ठा होकर पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार) अधिनियम {पेसा} कानून के बारे में चर्चा करें। उन्हें इस बात से जागरूक करें कि आदिवासी समाज की पहचान और उनकी अस्मिता के लिए भारत की संसद ने कितना महत्वपूर्ण कानून बनाया है।	बेहतर होगा कि पेसा कानून की मूल भावना के बारे में बार–बार चर्चा हो, जो ग्रामसभा और आदिवासी समाज को सशक्त बनाती है। • अच्छा श्रोता बनें। • समूह में सभी की प्रतिभागिता के प्रति सजग रहें। • क्यों ? कौन ? कहां ? कैसे ? के रूप में सवाल पूछें, लचीले बने रहें। • व्यवस्थित रहें और अपनी तैयारी पहले से कर लें। • विकास के मुद्दों पर जानकार रहें, सरल भाषा का प्रयोग करें।
समुदाय/समूह के साथ इकठ्ठा होकर पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार) अधिनियम {पेसा} कानून के बारे में चर्चा करें। उन्हें इस बात से जागरूक करें कि आदिवासी समाज की पहचान और उनकी अस्मिता के लिए भारत की संसद ने कितना महत्वपूर्ण कानून बनाया है।	बेहतर होगा कि पेसा कानून की मूल भावना के बारे में बार–बार चर्चा हो, जो ग्रामसभा और आदिवासी समाज को सशक्त बनाती है। • अच्छा श्रोता बनें। • समूह में सभी की प्रतिभागिता के प्रति सजग रहें। • क्यों ? कौन ? कहां ? कैसे ? के रूप में सवाल पूछें, लचीले बने रहें। • व्यवस्थित रहें और अपनी तैयारी पहले से कर लें। • विकास के मुद्दों पर जानकार रहें, सरल भाषा का प्रयोग करें।

इसके बाद यह चर्चा करें कि पेसा कानून पानी से लेकर जमीन, आदिवासी समुदाय द्वारा लिए जाने वाले ऋण, रीति रिवाजों और वैवाहिक मामलों तक में ग्रामसभा को निर्णय लेने का अधिकार है।	• विचार विमर्श को एक दिशा में नियंत्रित करने का प्रयास करें। जहां दिशा भटक रही हो, वहीं हस्तक्षेप करें।
यह जानने का प्रयास करें कि गांव के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे कौन से हैं, समुदाय की समस्याएं क्या हैं। इन समस्याओं को वर्गीकृत करें और इनके समाधान का साझा दृष्टिकोण विकसित करें।	• लोगों से चर्चा कर पानी, कृषि भूमि, ऋण की समस्याी, संपर्क सड़क, आंतरिक संसाधनों जैसे मुद्दों पर समुदाय की प्राथमिकता तय करें। आपको पता लगाना है कि इनमें से कौन सी समस्या को सबसे पहले सुलझाना होगा। • इसके बाद देखें कि कौन इन मुद्दों के प्रति चिंतित है और कौन से लोग स्थिति में बदलाव चाहते हैं। • यह भी देखें कि कौन इन परिवर्तनों के रास्ते में आड़े आएगा और उन्हें रोकने की कोशिश करेगा।
अपने प्रायोगिक कार्य में गांव/समुदाय में घूमकर, लोगों से बात करके यह जानने की कोशिश करें कि वहां किस तरह के विवाद होते हैं? उनका निराकरण करने की अभी की व्यवस्था क्या है? कौन लोग कर्जदार है और कितना ब्याज चुकाते हैं? पारिवारिक–भूमि के विवाद कैसे सुलझाए जाते हैं?	• यदि आपको लगता है कि मौजूदा सन्दर्भ में पेसा कानून महत्वपूर्ण है, तो लोगों के बीच अपने अध्ययन के आधार पर चर्चा करें और वहीं विवाद निपटाने के लिए प्रेरित करें। • बदलाव के लिए तैयार समूह की पहचान कर उन्हें एकजुट करें। • उनमें नेतृत्व शक्ति का विकास करें।
पेसा कानून में ग्राम सभा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।	समुदाय के बीच संवाद/समूह चर्चा की प्रक्रिया चलते हुए उन्हें ग्राम सभा में आपने के लिए और ग्राम सभा को सक्रिय बनाने के लिए तैयार करें। जरूरी है कि सामूहिक निर्णय हों और सबको उनके बारे में पता हो।
जब भी विवादों का निपटारा करने की बात आये, तब कानून और संविधान के मूल्यों को जरूर ध्यान में रखा जाए।	समूह में कानूनों और संविधान में लिखे हुए मौलिक अधिकारों के बारे में जरूर बताएं।

लघु वन उपज और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर ग्राम सभा को बड़े अधिकार मिले हुए हैं।	आपको एक काम करना है कि आप गांव/बस्ती/समुदाय का यह अध्ययन करें कि वहां कौन–कौन लघु वन उपज इकठ्ठा करता है? कितनी उपज होती है? अभी वे उसका उपयोग कैसे करते हैं? जब वे बाजार में बेचते हैं, तब क्या उन्हें सही कीमतें मिलती हैं? लघु वन उपज संघ की क्या भूमिका है? लघु वन उपज इकठ्ठा करने से उन्हें रोका तो नहीं जाता है? जो भी जानकारियां आपको मिलती हैं, उनके आधार पर एक व्यवस्था बनाने की कोशिश करें।
ग्राम सभा स्थानीय बाजार का प्रबंधन कर सकती है।	बाजार के प्रबंधन के लिए ग्राम सभा या बाजार समिति को सक्रिय करना और उनकी मदद करना।
वन अधिकार कानून, 2006 का क्रियान्वयन	यह कानून आदिवासी समाज की स्थिति को बहुत हद तक बदलने का काम कर सकता है। यदि आप इस कानून के तहत लोगों के व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार के दावे लगवा सकें, उनको प्रक्रिया में ला सकें और स्वीकृत करवा सकें, तो यह एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। यह देखना जरूरी है कि लोगों को उतनी वन भूमि (अधिकतम 4 हेक्टेयर) पर अधिकार पत्र मिल जाएँ, जितने पर उनका पहले से कब्जा रहा है। इसी तरह सामुदायिक वन अधिकार के लिए करें।
गौण खनिजों का दोहन ग्राम सभा के अधिकार में है। इस तरह के दोहन के लाइसेंस के लिए ग्रामसभा की पूर्व अनुमति जरूरी है। गौण खनिज मतलब– बोल्डर, बजरी, कैल्सेडनी कंकड, लाइम शेल, कांकर, चूना पत्थर, मुरूम, ईंटे की मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, बेन्टोनाईट, सड़क धातु, रेट मिट्टी, स्टेल और शैल सामग्री, संगमरमर, गर के बर्तन बनाते के लिए इस्तेमाल किये जाने वाला पत्थर, क्वार्टजाईट, बलुआ पत्थर, शोरा बनाने के लिए इस्तेमाल में आने वाला पत्थर।	यह देखें कि जिस गांव/समुदाय में हम काम कर रहे हैं, वहां गौण खनिजों की खदाने हैं या नहीं? यदि हैं, तो वहां खनन का लाइसेंस कैसे दिए गया? ग्राम सभा की उसमें क्या भूमिका थी? इससे गांव/समुदाय को क्या लाभ हो रहा है? याद रखिये कि गौण खनन पट्टे की अनुमति देने के समय ग्रामसभा पर्यावरण, स्थानीय ग्रामीणों के रोजगार की रक्षा के लिए शर्तें भी लगा सकती है। इन्ही आधारों पर ग्राम सभा खनन पर प्रतिबन्ध भी लगा सकती है।

ग्राम सभा की कार्रवाई को मजबूती प्रदान करने के लिए आपको – 1. बैठकों में समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना होगा 2. बैठक की कार्यसूची के बारे में पहले से सूचित करने में मदद करनी होगी 3. यह देखें कि ग्राम सभा की बैठकों के रजिस्टरों, संकल्प, रोकड़–बही, अभिलेखों आदि का नियमित रखरखाव हो। इसके लिए आपको ग्राम सभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की मदद करनी होगी। 4. आपको ग्राम सभा के उप समूहों के गठन की प्रक्रिया को भी आसान बनाने के प्रयास करने होंगे, ताकि साझा हितों के मुद्दों को संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ आमने–सामने बैठकर निपटाया जा सके।	1. आपको गांव में संपर्क अभियान चलाकर समुदाय को ग्राम सभा की बैठकों के समय, स्थान, ग्राम सभा की प्रस्तावित कार्यसूची के बारे में पहले से बताना होगा, ताकि समुदाय में उस पर चर्चा हो और लोग अपनी बात कह सकें। 2. ग्राम सभा की बैठक की कार्यसूची के विभिन्नक मदों में आपको प्रासंगिक जानकारियां उपलब्ध् कराने में मदद करनी होगी। जैसे गांव में कितने लोग वनोपज संग्रह में जुटे हैं, गांव में पेयजल की क्यो सुविधा है या ग्राम के हाट–बाजारों में मादक पदार्थों की बिक्री की स्थिहति क्याह है। 3. ग्राम सभा के उप समूहों के सदस्यों को उनके अधिकारों और भूमिकाओं के प्रति जागरूक करना, उन्हें ग्राम सभा को रिपोर्ट तैयार करने में मदद करना
ग्राम सभा के प्रस्तावों को जमीन पर लागू में सहायता करना।	आप ग्राम सभा की गांव के उत्पादक समूह, वनाधिकार समूह, वन संरक्षण समिति, बाजार समिति, शिक्षा समिति, मातृ समिति, ग्राम स्वास्थ्य व पोषण समिति, मनरेगा समिति, नशा नियंत्रण समिति को निर्णय लेने में मदद करनी होगी। इसके लिए जरूरी हो तो पंचायत सचिव या बाहरी विशेषज्ञ/अधिकारियों की मदद भी लें।
पेसा के तहत ग्राम सभा व्यिक्तिम के वनाधिकार के दावों का निर्धारण कर सकता है। दावे ग्राम सभा के जरिए किए जाते हैं, लेकिन इन दावों पर पहले ग्राम सभा उप मंडल स्तरीय समिति फैसला करती है और आगे जिला स्तरीय समिति को भेजती है, जो कि सर्वोच्च समिति है।	1. आपको वन भूमि पर व्यक्तिगत या सामुदायिक दावा करने में मदद करनी होगी। 2. ग्राम सभा को दावों के निर्धारण में सहायता करनी होगी। 3. अगर ग्राम सभा उप मंडल स्त्रीय समिति किसी व्यक्ति या समुदाय के दावे को खारिज कर देती है तो आपकी भूमिका दावेदार के पक्ष में आदेश की मांग करते हुए अपील करने में मददगार की होगी।
ग्राम सभा के पास अपने अधिकार क्षेत्र में काम करने वाले स्वैच्छिक/गैर सरकारी संगठनों को उनकी गतिविधियों की रिपोर्ट पेश करने, उनके काम का विनिमयन और गांव की विकास योजनाओं में उनके योगदान के लिए आग्रह भी कर सकती है।	आपको ऐसे संगठनों के साथ संबंध विकसित कर ग्रामीण समुदाय के विकास के लिए परस्पर सहयोग देने को प्रेरित करना होगा।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य – 6

सामाजिक सुरक्षा का अधिकार

(सामाजिक सुरक्षा पेंशन और आर्थिक सहायता योजनाएं)

पूरे विश्व से हर तरह की गरीबी को खतम करना, चाहे वह किसी भी रूप में हो।

अक्सर समाज के आदर्श स्वरुप की चर्चा करते समय यह बात सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है कि कहीं कोई पीछे तो नहीं छूट गया, कहीं कोई किसी भी कारण से वंचितपन, उपेक्षा और बहिष्कार का सामना करने के लिए मजबूर तो नहीं है! चलिए, अपने आप से कुछ सवाल पूछते हैं और अपने आप को ही कुछ जवाब देते हैं –

1. आप ने समुदाय को समाज के ताने–बाने को देखा, समझा तो है ही, अब उसके बारे में पढ़ा भी है। जरा सोचिये कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और सामान्य वर्ग के तबकों में ज्यादा वंचित (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से) कौन है?

2. जिनसे आप वंचित मानते हैं, उनके एक परिवार के भीतर पुरुष भी हैं और महिलायें भी हैं। इन में से उन वंचित तबके के इस परिवार में भी ज्यादा वंचित कौन है?

3. उस वंचित और गरीब परिवार में केवल विधवा महिला है, तो उसकी स्थिति क्या होगी?

4. इस परिवार के सदस्यों में एक सदस्य विकलांग है, तो क्या उसकी स्थिति समानता की होगी?

5. यदि वह सदस्य, जो विकलांग है, एक लड़की है, तो क्या उसकी स्थिति केवल एक पुरुष विकलांग व्यक्ति के ही समान होगी?

अब आप विचार कीजिये कि वंचितपन के कितने पैमाने हो सकते हैं? अपने गांव/बस्ती/समुदाय में कौन से वर्ग वंचित हैं? उन वर्गों में कौन से परिवार वंचित हैं? और उन परिवारों में कौन से सदस्य वंचित या बहिष्कृत हैं? यह भी सोचिये कि हम उन्हें वंचित क्यों मान रहे हैं?

यह एक व्यापक और गहरा सवाल है कि समुदाय, परिवार और व्यक्ति आखिरकार वंचित क्यों होते हैं और उन्हें सामाजिक–आर्थिक बहिष्कार का सामना क्यों करना पड़ता है! इनमें से कई लोग/परिवार/तबके तो हर रोज हमारे सामने होते हैं। हम उन्हें रोज देखते हैं। समाज के ऐसे ही कुछ तबकों/लोगों को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देने के मकसद से सरकारें सामाजिक सुरक्षा और सहायता कार्यक्रम चलाती हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम अपनी पहल से अपने कार्यक्षेत्र में सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा का हक दिलाएं। इन योजनाओं में कुछ आर्थिक सहायत मिलती है, यह आर्थिक सहायता केवल एक धनराशि नहीं है, यह सामाजिक न्याय का प्रतीक है। यदि वंचित लोगों और तबकों को सामाजिक सुरक्षा का हक नहीं मिल पा रहा है, तो इसका मतलब है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में मुख्य रूप से इनकी बात होती है –

1. बुजुर्ग

2. विधवा और परित्यक्त महिलायें

3. विकलांगता (निःशक्त) से प्रभावित लोग

4. आर्थिक गरीबी में रह रहे परिवार की समस्या

इन तबकों/समूहों के लिए कुछ योजनाएं संचालित हो रही हैं –

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना

4. समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

5. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना संचालित करता है। मध्यप्रदेश में इस योजना को क्रियान्वित करने का काम सामाजिक न्याय और निःशक्तजन विभाग द्वारा किया जाता है।

किनके लिए?

कोई भी महिला या पुरुष, जिनकी उम्र 60 साल या इससे ज्यादा है और

वे गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की सूची में शामिल हैं।

लाभ क्या हैं?

1. 60 साल से 64 साल तक की उम्र के हितग्राहियों को प्रतिमाह रु। 200 की दर से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्रदाय की जाती है।

2. 65 साल से 79 साल तक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह रु। 275 की दर से पेंशन प्रदाय की जाती है, इसमें 200 रूपए भारत सरकार और 75 रूपए का योगदान मध्यप्रदेश सरकार देती है।

3. 80 साल अथवा इससे अधिक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह 500 रूपए (भारत सरकार का योगदान) की दर से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्रदाय की जाती है।

पेंशन पाने की प्रक्रिया

निर्धारित प्रारूप में (प्रारूप पंचायत के दफ्तर से मिल जाएगा) आवेदन अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में – ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के कार्यालय में तीन फोटो, आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र तथा बी.पी.एल। कार्ड के साथ जमा कराना होता है।

भुगतान कैसे?

हितग्राहियों द्वारा बैंक/पोस्ट आफिस में खोले गए खातों के माध्यम से भुगतान किया जाता है। असहाय हितग्राहियों को मनीआर्डर के माध्यम से पेंशन के भुगतान का प्रावधान है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाली विधवा महिला को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का मध्यप्रदेश में क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं निशक्तंजन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

किनके लिए?

वे विधवा महिलायें, जिनकी उम्र 40 साल से 79 साल होगी, और जो/जिनका परिवार गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हैं।

लाभ क्या हैं?

विधवा महिला हितग्राही को प्रतिमाह 300 रूपए की दर से पेंशन दी जाती है।

पेंशन पाने की प्रक्रिया

निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करना होगा –

1. स्वयं के फोटो (तीन)
2. बी.पी.एल. कार्ड
3. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
4. पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
5. विधवाध्परित्यक्तता का प्रमाण पत्र

भुगतान कैसे?

हितग्राहियों द्वारा बैंक/पोस्ट आफिस में खोले गए खातों के माध्यम से भुगतान किया जाता है। असहाय हितग्राहियों को मनीआर्डर के माध्यम से पेंशन के भुगतान का प्रावधान है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना

गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले निःशक्तजनों (विकलांगता से प्रभावित) को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना संचालित की जा रही है। मध्यप्रदेश में इस योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्यांण विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

किनके लिए?

1. जिनकी उम्र 18 साल से 79 साल की है,
2. व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित है,
3. और व्यक्ति, जो आवेदन कर रहा है, की निशक्तता 80 प्रतिशत है, गंभीर और बहु विकलांगता की स्थिति है।

लाभ क्या हैं?

निःशक्त पेंशन के हक धारक को हर महीने 300 रूपए की दर से पेंशन दे जाती है।

पेंशन पाने की प्रक्रिया

निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करना होगा दृ

1. स्वयं के तीन फोटो
2. बी.पी.एल. कार्ड
3. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
4. निशक्तता का प्रमाण पत्र
5. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र

भुगतान कैसे?

हितग्राहियों द्वारा बैंक/पोस्ट आफिस में खोले गए खातों के माध्यम से भुगतान किया जाता है। असहाय हितग्राहियों को मनीआर्डर के माध्यम से पेंशन के भुगतान का प्रावधान है।

समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

निराश्रित वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता, निःशक्त और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन स्वीकृत की जाती है।

किनके लिए?

1. 18 साल से अधिक आयु की विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए
2. 60 साल या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध हो
3. 18 साल से अधिक किन्तु 39 साल आयु तक की विधवा महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो।
4. 18 से अधिक किन्तु 59 साल तक आयु की परित्यक्ता महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करती हो। (सरपंच एवं सचिव/वार्ड पार्षद एवं सहायक राजस्व निरीक्षक वार्ड प्रभारी) के संयुक्त प्रमाणपत्र या न्यायालयीन आदेश के आधार पर परित्यक्ता माना जावेगा।)
5. 6 साल से अधिक तथा 18 साल से कम आयु के निःशक्त व्यक्ति, जिसकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करते हो।

लाभ क्या हैं?

समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के समस्त विधवा, परित्यक्ता एवं निःशक्त हितग्राही को प्रतिमाह 150 के मान से पेंशन प्रदाय की जाती है।

पेंशन पाने की प्रक्रिया

निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगमध्नगर पालिका/नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करना होगा –

1. स्वयं की दो फोटो
2. बी.पी.एल. कार्ड अथवा निराश्रित/निर्धन का प्रमाण पत्र
3. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
4. निशक्तता का प्रमाण पत्र
5. विधवा/परित्यक्तता का प्रमाण पत्र

भुगतान कैसे?

हितग्राहियों द्वारा बैंक/पोस्ट आफिस में खोले गए खातों के माध्यम से भुगतान किया जाता है। असहाय हितग्राहियों को मनीआर्डर के माध्यम से पेंशन के भुगतान का प्रावधान है।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों के ऐसे सदस्य की मृत्यु (जो परिवार का मुख्य कमाऊ व्यक्ति रहा हो और जिसकी प्राकृतिक/अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने से परिवार के सामने आर्थिक समस्याएं आ जाती हैं), पर पीड़ित परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के उद्देश्य से आर्थिक सहायता प्रदाय की जाती है। मध्यप्रदेश में इस योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

किनके लिए ?

1. मृतक की उम्र 18 साल से अधिक किन्तु 59 साल से कम हो,
2. मृतक, परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य रहा हो,
3. मृतक, गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार का सदस्य रहा हो,

लाभ क्या हैं?

राशि 20,000 रूपए की आर्थिक सहायता एकमुश्त प्रदान की जाती है।

पेंशन पाने की प्रक्रिया

निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करना होगा –

1. आयु प्रमाण पत्र
2. मृत्यु प्रमाण पत्र
3. बी.पी.एल. कार्ड
4. दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले मे पुलिस मे दर्ज प्राथमिक रिपोर्ट

प्रायोगिक/मैदानी कार्य

प्रायोगिक/मैदानी कार्य के लिए कुछ बिंदु	क्या कार्यवाही करें?
समुदाय के साथ मिल कर एक प्रक्रिया चलायें और सब मिल कर यह जानने की कोशिश करें कि हमारे गांव/बस्ती/समुदाय में सबसे वंचित लोग/परिवार कौन से हैं? और क्यों हैं?	हमें यह बात सामने लाने की कोशिश करना चाहिए कि कोई भी किसी भी तरह के वंचितपन का सामना कर रहा हो, उन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपनी यानी समुदाय की नहीं होना चाहिए क्या? यदि हाँ, तब हम किस रूप में उनकी सुरक्षा करेंगे या कर सकते हैं?
जब लोग वंचित होते हैं, तब मुख्य रूप से वे किस तरह के अभावों, समस्याओं और दिक्कतों का सामना करते हैं? खाना, रोजगार, सम्मान, इलाज, पानी, सहभागिता आदि।	
यह जानना जरूरी है कि गांव/बस्ती/समुदाय में कितने लोग विकलांगता/निःशक्तता से प्रभावित हैं?	यह देखना कि क्या वे पेंशन योजना के हकों को पाने के पात्र हैं? क्या उन्हें पेंशन मिल रही है? यदि नहीं तो उन्हें पेंशन दिलवाएं।
यह जानना जरूरी है कि गांव/बस्ती/समुदाय में कितनी महिलायें विधवा और परित्यक्ता हैं?	यह देखना कि क्या वे पेंशन योजना के हकों को पाने के पात्र हैं? क्या उन्हें पेंशन मिल रही है? यदि नहीं तो उन्हें पेंशन दिलवाएं।
यह जानना जरूरी है कि गांव/बस्ती/समुदाय में कितने बुजुर्ग हैं, वे किन स्थितियों में हैं और उनके बारे में समुदाय में चर्चा करना।	यह देखना कि क्या वे पेंशन योजना के हकों को पाने के पात्र हैं? क्या उन्हें पेंशन मिल रही है? यदि नहीं तो उन्हें पेंशन दिलवाएं।
इन पेंशन योजनाओं में उम्र के प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, गरीबी की रेखा में नाम शामिल होना, कहीं–कहीं मृत्यु प्रमाण पत्र आदि की जरूरत होती है।	यह संभव है कि कई वंचित लोग/महिलाएं इन दस्तावेजों के अभाव में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का हक हासिल नहीं कर पा रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करें कि सभी लोगों को उनकी स्थिति के मुताबिक जरूरी प्रमाण पत्र और दस्तावेज मिल ही जाएँ।
क्या इन लोगों (बुजुर्गों, निःशक्त लोगों, महिलाओं आदि) के हकों के बारे में समुदाय चिंतित है?	ग्राम सभा में इन लोगों की स्थिति का अध्ययन करके चर्चा करें और सुनिश्चित करें कि समुदाय इनके हकों के प्रति लामबंद हो।
ग्राम पंचायत सामाजिक सुरक्षा के मामले में जवाबदेय है।	सुनिश्चित करें कि सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी सार्वजनिक की जाए।
जिन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है या योजना में जिनके नाम दर्ज हैं, क्या उन्हें हर महीने नियमित रूप से पूरी पेंशन मिल रही है?	हितग्राही बैंक/पोस्ट आफिस/मनीआर्डर के जरिये पेंशन पा रहे हैं या नहीं? यदि नहीं पा रहे हैं, तो लोगों के पक्ष में वकालत करे।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य – 7

वन अधिकार कानून – 2006

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासियों के वन अधिकार को मान्यता अधिनियम– 2006)

लक्ष्य – वन संसाधनों के प्रबंधन की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करना और संसाधनों पर समुदाय को कानूनी अधिकार देना

1– पृष्ठभूमि

देश की आजादी से पहले अंग्रेजी राज को पानी के जहाज बनाने के लिए भारी मात्रा में लकड़ियों की जरूरत थी। लिहाजा 1862 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने वन विभाग की स्थापना की। तब वनों का उपयोग औद्योगिकीकरण के लिए करने का मकसद बड़ा महत्वपूर्ण था जहां सरकार या उसके मातहत एजेंसी ने लोगों को वनभूमि के पट्टे दिए हैं, उन्हें भी कानून के तहत वन अधिकार पत्रकों में बदला जा सकेगा। उसके बाद जंगलों के बारे में जितने भी कानून बने, वे अधिकांश अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्या प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 सभी में समाज की वनों तक पंहुच को सीमित किया गे जहां सरकार या उसके मातहत एजेंसी ने लोगों को वनभूमि के पट्टे दिए हैं, उन्हीं भी कानून के तहत वन अधिकार पत्रकों में बदला जा सकेगा। जबकि ये समाज शताब्दियों से जंगलों पर ही आश्रित रहे। अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों ने अपने प्राकृतिक पर्यावास की रक्षा के लिए बगावत भी की, लेकिन उनकी एकजुटता को तोड़ दिया गया।

आजादी के बाद वन विभाग ने जंगलों पर परंपरागत रूप से आश्रित वनवासियों के जमीन के अधिकार, वनोपज के अधिकार और निस्तार के हक का समाधान नहीं किया। अंग्रेजी शासनकाल में रजवाड़ों और जमींदारों की रियासत के जंगलों में वनवासियों के पास वन अधिकार के व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकार थे। स्वतंत्रता के बाद इनका भी भी समुचित बंदोबस्त नहीं हुआ। जिन आदिवासियों को वन विभाग की मदद करने के लिए जंगलों में वनग्राम बनाकर बसाया गया, उन्हें भी धीरे–धीरे उनका हक छीनकर जंगलों से बाहर निकाला जाने लगा।

भारत सरकार ने 1980 में आदिवासी समुदाय और राज्य के बीच वन भूमि सम्बन्धी विवादों के समाधान के लिए उन्हें नियमित करने का रास्ता स्वीकार किया किन्तु केंद्रीय वन और पर्यवारण मंत्रालय ने 3 मई 2002 को एक आदेश जारी कर जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को अवैध अतिक्रमणकारी मानते हुए उन्हेंन चार माह के भीतर जंगलों से बाहर निकालने के आदेश जारी किए थे। बाद में 21 जुलाई 2004 को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने 2004 को यह स्वीकार किया कि यह कदम आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय जैसा है क्योंकि उस समय जमीन पर मालिकाना हक से दस्तावेज नहीं थे इसलिए ब्रिटिश शासन के दौरान वन क्षेत्रों के सीमांकन के बाद भी आदिवासियों के अधिकारों का निर्धारण नहीं हो पाया।

इसके बाद ही अनुसूचित जनजाति और अन्य् परंपरागत वनवासी (वन अधिकार को मान्यता) कानून 2006 को पारित किया। यह कानून पीढियों से वनों में रह रहे आदिवासी परिवारों के वन अधिकार को मान्येता देने के लिए बनाया गया है। इसे 31 दिसंबर 2007 को एक अधिसूचना के जरिए लागू किया गया, जिसके क्रियान्वयन संबंधी नियम व प्रावधान 2008 में अधिसूचित किए गए।

यह कानून स्वीकार करता है कि –

- वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और परंपरागत वन निवासियों के मान्यता प्राप्त अधिकारों में दीर्घकालीन उपयोग के लिए जिम्मेदारी और प्राधिकार– जैव विविधता का संरक्षण और परिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखना और वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति व अन्ये परंपरागत वनवासियों की जीविका और खाद्य सुरक्षा का सुनिश्चित करते समय वनों के संरक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करना भी सम्मिलित है।

- औपनिवेशिक काल के दौरान तथा स्वतंत्र भारत में राज वनों को समेकित करते समय उनकी पैतृक भूमि पर वनाधिकार और उनके निवास को पर्याप्तक रूप से मान्यता नहीं दी गई थी। जिसके परिणामस्विरूप उन वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों के प्रति ऐतिहासिक अन्याय हुआ है। जो वन परिस्थितिकीय प्रणाली को बचाने के लिए और कायम रखने के लिए अभिन्न अंग है।

- यह आवश्यक हो गया है कि वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्यत परंपरागत वनवासियों, जिनके अंतर्गत वे जनजातियां भी हैं जिन्हें राज के विकास से उत्पन्न हस्ततक्षेप के कारण अपने निवास दूसरी जगह बनाने के लिए मजबूर किया था। लंबे समय से चली आ रही भूमि संबंधी असुरक्षा तथा वनों में पहुंच के अधिकारों पर ध्यान दिया जाए।

इसके बाद भी हालांकि, इस अधिनियम के लागू होने के बाद भी लंबे समय तक कानून की मूल भावना के साथ इसका क्रियान्वयन नहीं हो सका।

इसके पीछे कई प्रक्रियागत समस्याएं पेश आ रही हैं। जैसे ग्राम सभा की बैठकों में उन छोटी बसाहटों को अनदेखा करना, जो गांव का हिस्सा नहीं थे, लघु वनोपजों पर निर्बाध अधिकार, सामुदायिक वन अधिकार को मान्यता न देना, वनवासियों को उनके वन अधिकार का बंदोबस्त किए बिना उन्हेंर जंगलों से जबर्दस्ती खदेड़ देना, वन अधिकार के दावों को कुछ खास तरह के दस्ताावेजों/प्रमाणों की मांग कर खारिज कर देना और वन अधिकार कानून के प्रावधानों के बारे में अपर्याप्त जानकारी के कारण इनको लागू न कर पाना प्रमुख रहे।

मध्यप्रदेश के 77462 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जंगल हैं,[8] जबकि 893 वन ग्राम हैं[9]। मध्यप्रदेश में 15228 संयुक्त वन प्रबंधन समितियां काम कर रही हैं[10], जिनके अधिकार क्षेत्र में 66–87 लाख हेक्टेयर से अधिक वन भूमि है।

---

[8] State of Forests Report 2015

[9] http://tribal.nic.in/Content/DevelopmentofForestVillage.aspx

[10] http://frienvis.nic.in/Database/JFM-Committees-and-Forest-Area-Under-JFM_1994.aspx

2. वन अधिकार कानून के तहत दिए गए अधिकार

वन अधिकार कानून में दिए गए अधिकार

वन अधिकार कानून वास्तव में समाज में गैर–बराबरी और ऐतिहासिक अन्याय को खत्म करने की दिशा में भारतीय संसद द्वारा की गयी एक बड़ी पहल है। इस कानून में जो अधिकार दिए गए हैं, उन्हें हम यूँ समझ सकते हैं –

1. वन भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार (अधिकतम 10 एकड़ तक)
2. वन भूमि पर समाज के अधिकार (सामुदायिक उपयोग के लिए वन का उपयोग)
3. वनों के शोषण को रोकने और संरक्षण का अधिकार (वनों पर समाज का हक और अनियंत्रित दोहन को रोकने का अधिकार)
4. विकास या पर्यावरण परियोजनाओं में विस्थापन के दौरान संरक्षण का अधिकार (बिना वन अधिकार मिले, समुदाय को विस्थापित न किये जाने की व्यवस्था)
5. आजीविका का अधिकार (लघु वन उपज को इकठ्ठा करने और बेचने का अधिकार)
6. प्रकृति केंद्रित सांस्कृतिक व्यवहार और आस्थाओं को निभाने का अधिकार (वनों/संसाधनों को पूजने, त्यौहार मनाने और उनसे सम्बन्ध रखने का अधिकार)

वन अधिकार में दो तरह के अधिकार परिभाषित किये गए हैं –

- वन भूमि पर अधिकार के लिए व्यक्तिगत दावा
- वन भूमि के सामुदायिक और सार्वजनिक उपयोग के लिए सामुदायिक दावे

व्यक्तिगत अधिकार	सामुदायिक अधिकार
वन अधिकार कानून में उन सभी आदिवासी परिवारों को जंगल पर अधिकार दिया गया है, जो 13 दिसंबर 2005 से पहले वन भूमि पर काबिज थे। हर पात्र परिवार को अपने कब्जे की चार हेक्टेहयर या 10 एकड़ वनभूमि पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकार इस कानून में दिया गया है।	वन भूमि का उपयोग समुदाय के द्वारा जीवन की जरूरतों को करने के लिए भी किया जाता है। जैसे रास्ते के लिए, आस्था और सांस्कृतिक व्यवहार के लिए, लघु वन उपज के लिए, पानी के लिए, मछली और केकड़े पकड़ने के लिए, औषधियों के लिए आदि। वन देवता, वन भूमि पर मंदिर, पुरातन गढ़ जैसी आदिवासियों की पारंपरिक और रूढ़िगत मान्यताओं को भी अधिकार का दर्जा दिया गया है। यह कानून समुदाय को वन के सामुदायिक उपयोग का अधिकार देता है। इसमें श्मशान/कब्रिस्तान/पानी की सभी संरचनाएं भी सामुदायिक अधिकार के रूप में परिभाषित हैं।

आदिवासियों के अलावा ढीमर, लुहार, कतिया, गोली, पारधी जैसे समुदायों को भी परंपरागत वनवासी मानकर वन भूमि का हक दिया गया है। वन अधिकार पत्र प्राप्त करने के लिए आदिवासियों और अन्य वनवासियों को यह साबित करना होगा कि उनके परिवार पिछली तीन पीढ़ियों से जंगल में रहते आ रहे हैं।	आदिवासियों, वनवासियों को लघु वनोपज जैसे आंवला, महुआ, अचार, गोंद, गुल्ली, तेंदूपत्ताघ, कंद–मूल, जड़ी–बूटी आदि को जंगल से इकट्ठा कर बेचने का भी अधिकार दिया गया है। आदिम जनजातियों को सामुदायिक वन अधिकार का हक मिलेगा।
जहां सरकार या उसके मातहत एजेंसी ने लोगों को वनभूमि के पट्टे दिए हैं, उन्हेंक भी कानून के तहत वन अधिकार पत्रकों में बदला जा सकेगा।	मत्स्य पालन करने वालों और पशुपालकों को जंगल के भीतर के जलाशयों में मछली और केकड़ा पकड़ने और वनों के चारागाह का उपयोग करने का अधिकार दिया गया है। जैव विविधता, सांस्कृेतिक विविधता और इनसे जुड़े आदिवासियों के देशज ज्ञान और विचारों को भी सामुदायिक अधिकार के रूप में मान्येता वन अधिकार कानून में दी गई है।

कानून के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु

- **वन कानून का दायरा** – वन अधिकार कानून सभी तरह के वन क्षेत्रों में लागू होता है, जैसे आरक्षित वन, संरक्षित वन, गैर वर्गीकृ त वन, वन ग्राम, संयुक्त वन प्रबंधन, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यामरण्यर के साथ ही गांव से लगी वह जमीन, जिसे पटवारी के नक्शे में अनुपयुक्तव जमीन के रूप में नारंगी रंग में रंगा गया हो, छोटा झाड़ और बड़े झाड़ वाली जमीन आदि।
- **वन और राजस्व ग्राम** – वन ग्राम को इस कानून के तहत राजस्वग ग्राम में बदला जा सकता है।
- **जंगलों को बचाने का अधिकार** – वन अधिकार कानून आदिवासियों और अन्य वन वनवासियों को जंगल और वन संसाधन का संरक्षण व प्रबंधन करने का अधिकार भी देता है। ये वे जंगल हैं, जिनका वे लगातार पीढ़ियों से उपयोग व संरक्षण करते आए हैं।
- **जिम्मेदारियां** – वन्यन जीव का शिकार, जंगल को नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है।
- **विवाद** – जिस वनभूमि पर कब्जाध या दावा विवादित हो, वहां समुदाय आधार पर वनभूमि का अधिकार मिलेगा।

अगर कहीं अभ्यानरण्य या राष्ट्री य उद्यान/बायोस्फियर रिजर्व के नाम पर आदिवासियों को विस्थापित किया गया है, तो सरकार उस जमीन का किसी दूसरे प्रयोजन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। यानी उस जमीन पर न तो होटल बनेंगे और न ही उद्योग लग पाएंगे।

वन संसाधनों पर सामुदायिक अधिकारों का क्यो स्पष्ट मतलब है ?

वन अधिकार कानून की धारा 3 में साफ कहा गया है कि –

1. गांव से बाहर निकलने का रास्ता खोजने में।
2. गांव के मवेशियों, पशुओं के लिए चरनोई की जमीन के लिए।
3. गांव के रहवासी समुदाय और पशुओं के लिए पानी का स्रोत तलाशने में।
4. वह स्था न या गांव के पारंपरिक दायरे का जंगल, जहां से लघु वनोपज मिलते हों।
5. जंगल का वह क्षेत्र, जहां आदिवासी समुदाय अपनी मान्यताओं, रूढ़िवादी विश्वाास के लिए पूजा करने जाते हों।
6. जंगल का वह क्षेत्र, जहां से जड़ी–बूटी और रोजमर्रा के उपयोग की सामग्री मिलती है।

वन अधिकार कानून आदिवासियों और परंपरागत वनवासियों को जंगल के संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार भी देता है। इसका मतलब यह हुआ कि वे जंगल को बेतरतीबी से कटते या जानवरों का शिकार होते देखते नहीं रहेंगे, बल्कि उसे रोक भी सकेंगे।

3. संकटग्रस्त वन प्राणी क्षेत्र में वन अधिकार

संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान/अभ्याधरण्य/जैव विविधता वाले क्षेत्र या वन्य जीवों की किसी विलुप्ततप्राय प्रजाति के संरक्षण या संकटग्रस्त वन्य जीव के प्राकृतिक आवास के नाम पर अगर वनों से आदिवासियों या वनवासियों को हटाया जाता है तो उनके अधिकारों के संरक्षण की वन अधिकार कानून में क्या व्यवस्थाकएं हैं?

वन अधिकार कानून 2006 के अनुसार दोनों ही मामलों में आदिवासियों/वनवासियों को जंगल से हटाने से पहले सरकार को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी।

1. सबसे पहले आदिवासियों/वनवासियों को कानून के मुताबिक उन्हें उनके अधिकार देने का बंदोबस्त करना होगा।
2. इसके बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राज्यह सरकार और उसकी एजेंसियों को पहले यह साबित करना होगा कि संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्यी में आदिवासियों/वनवासियों के रहने से संरक्षित वन्य प्राणियों के पर्यावास को अपरिवर्तनीय नुकसान पहुंचता है, वन्य जीवों के क्रियाकलाप प्रभावित होते हैं और ऐसा होने से उन संरक्षित वन्य जीवों के विलुप्त होने का खतरा है।
3. सरकार को यह साबित करना होगा कि संरक्षित वन क्षेत्र में आदिवासियों/वनवासियों और वन्य जीवों का एक साथ रहना संभव नहीं है।
4. दोनों बिंदुओं पर सुबूत पेश करने के बाद सरकार ग्राम सभा बुलवाकर गांव के लोगों की सहमति मांगेगी।

5. सहमति मिलने के बाद वन भूमि से विस्थाापित होने वाले आदिवासी/वनवासी परिवारों के लिए नई नीति के तहत पुनर्वास पैकेज जारी करना होगा।

6. किसी भी व्यक्तिक या परिवार को वन भूमि से तभी हटाया जा सकेगा, जब उसके नुकसान की भरपाई हो जाए। उसे वन भूमि में मिल रहीं सभी सुविधाओं, वन भूमि के बदले उसी तरह की जमीन देनी होगी, जो उसकी आजीविका की सुरक्षा कर सके।

7. अगर किसी वनवासी परिवार को 13 दिसंबर 2005 से पहले बिना पर्याप्तब मुआवजा दिए जंगल की जमीन से अवैधानिक तरीके से हटाया गया है तो वे परिवार भी वन अधिकार कानून के तहत अपनी उसी जमीन पर स्थापित होने का अधिकार पा सकते हैं।

कानून में परंपरागत वनवासी कौन?

परंपरागत वनवासी वह कहलाएगा, जो–

1. जिसकी कम से कम तीन पीढ़ियां 13 दिसंबर 2005 से पहले से जंगल में रह रही हों।
2. आजीविका के विकल्पल के लिए वह जंगल पर निर्भर हो।

अगर अन्यन परंपरागत वनवासी समुदाय बहुल कोई गांव उपरोक्त दोनों आधार पर वनाधिकार के दावे को साबित कर देता है तो फिर गांव के किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से वनाधिकार का दावा पेश करने की जरूरत नहीं होगी।

वन अधिकार कानून : कुछ प्रमुख धाराओं पर स्पष्टीकरण

अध्याय 6, धारा 13 : अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम–1996 (पेसा) के तहत आने वाले जिलों में वन अधिकार कानून के प्रावधान अतिरिक्त रूप से लागू होंगे। इन क्षेत्रों में वन अधिकार कानून को अन्ये किसी भी कानून के साथ कमतर करके नहीं देखा जाएगा।

अध्याय 3, धारा 4 : वन अधिकार कानून के तहत वन भूमि पर मिला अधिकार पत्रक को किसी दूसरे को सौंपा नहीं जा सकता और न ही इसकी अदला–बदली की जा सकती है। विवाहित दंपति को संयुक्त रूप से अधिकार पत्रक दिया जाएगा, जबकि अगर संयुक्त। परिवार है तो उसके मुखिया को और यदि परिवार का नेतृत्वग किसी के पास भी नहीं है तो अगुवा के बाद के किसी व्यक्ति को मिलेगा।

4. वन अधिकार हासिल करने की प्रक्रिया

वन अधिकार लेने और दिए जाने के लिए एक प्रक्रिया तय की गयी है। इस प्रक्रिया में व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों के लिए लोगों/समुदाय को दावे लगाने होंगे। ये दावे ग्राम सभा में लगाए जाने की व्यवस्था की गयी थी और प्रक्रिया चलाने की जिम्मेदारी वन अधिकार समिति को सौंपी गयी है।

वन अधिकार समिति का निर्माण ग्राम सभा द्वारा किये जाने का प्रावधान है। यह समिति पहले से बनी हुई ग्राम वन समिति से अलग होती है।

1. ग्राम सभा की बैठक :

- पंचायत सचिव की अगुवाई ग्राम सभा की पहली बैठक में कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य मौजूद होने चाहिए। इस बैठक में एक–तिहाई महिलाएं और 50 प्रतिशत सदस्य वन अधिकार के दावेदार होने चाहिए।
- ग्रामसभा की पहली बैठक में 10 से 15 लोगों की वन अधिकार समिति बनेगी। इसमें एक–तिहाई आदिवासी और एक–तिहाई महिलाएं होनी चाहिए।

2. दावे मंगवाना

- ग्रामसभा गांव के लोगों से एक निर्धारित प्रपत्र में दावे मंगवाएगी। निजी दावों के लिए अलग और सामुदायिक वन अधिकार के दावे के लिए अलग प्रपत्र होता है।

3. दावों का सत्याोपन और आगे भेजना

- वन अधिकार समिति सभी दावों की जांच कर उन्हें पारित करेगी। उसके बाद दावों को उप खंड स्तरीय समिति को भेजा जाएगा।
- उप खंड स्तरीय समिति का काम यह है कि दावों को खारिज करने के बजाय उन्हें ग्राम सभा को भेजकर दोबारा समीक्षा को कहे। यह तब होता है, जब ग्रामसभा की ओर से दावों के बारे में प्रस्ताव अधूरा हो या फिर उसमें जानकारियों का अभाव हो।
- ग्रामसभा की ओर से पूर्ण प्रस्ताव और जानकारियों के साथ उप खंड स्तरीय समिति को भेजे गए दावों को समिति पारित कर जिला स्तरीय समिति के पास भेजेगी।
- जिला स्तरीय समिति अगर किसी दावो को खारिज करती है तो उसे उसका कारण लिखित में देना होगा। इस आदेश की एक कॉपी दावेदार को भेजी जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण

निजी दावे के लिए जरूरी प्रमाणिक दस्तावेज

1. सार्वजनिक दस्तापवेज, सरकारी गजट, जनगणना, सर्वेक्षण और बसाहट की रिपोर्ट, नक्शे, उपग्रह से खींची गईं तस्वीरें, वन विभाग की रिपोर्ट, पट्टा या लीज के दस्तावेज, सरकारी समितियों या आयोगों की रिपोर्ट, सरकारी आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, प्रस्ताव की प्रति।

ग्रामसभा मतलब गांव की सभा

वनाधिकार कानून के तहत ग्राम सभा किसी भी रूप में गांव की ही सभा होगी। इसे पंचायत स्तर पर आयोजित नहीं किया जा सकता। एक पंचायत में एक से अधिक राजस्व गांव होते हैं। कानून में साफ लिखा है कि वनाधिकार के दावों के लिए गांव में ही ग्राम सभा की बैठक होगी। फिर चाहे गांव किसी टोले या मजरे के रूप में ही क्यों न हो।

2. मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट, मकान के टैक्स की रसीद, मूल निवासी प्रमाण पत्र।

3. मकान, झोंपड़ी या वन भूमि में किए गए स्थायी कार्य, जैसे समतलीकरण, बांध या चेक डैम सरीखे ढांचे बनाना।

4. न्यायिक या अर्द्ध न्यायिक आदेश, जैसे अदालती फैसले।

5. शोध अध्ययन, आदिवासियों या वनवासियों के परंपरागत सांस्कृतिक रिवाज जिसमें वन अधिकार की बात की गई हो। ऐसे अध्ययन भारत सरकार के मानव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग से होने चाहिए।

6. रियासती दौर के नक्शे, वन पर अधिकार संबंधी दस्तावेज, या फिर जमींदारी के समय मिले विशेषाधिकार, रियायत आदि से संबंधित कागज।

7. जंगल में कुएं, पूर्वजों के कब्रिस्तान आदि या धार्मिक स्थिल के होने के प्रमाण।

8. पूर्वजों के जंगल में बसे होने के रिकॉर्ड या गांव के पहले वन भूमि पर काबिज होने के बारे में वंशानुगत इतिहास आदि।

9. दावेदार को छोड़कर गांव के बड़े–बुजुर्गों के लिखित बयान।

सामुदायिक दावे के लिए जरूरी प्रमाणिक दस्तावेज

1. परंपरागत चरनोई की जमीन जंगल में होना, वन भूमि पर कंद–मूल, चारा, जंगली फल और अन्यि लघु वनोपज इकट्ठा करने की परंपरा, मछली पकड़ने का स्था न होना, सिंचाई व्यवस्था, जंगल में पानी के स्रोत होना जो कि समुदाय और पशुओं दोनों के उपयोग में आने वाला हो, जड़ी–बूटी संग्रह के स्थान जो कि गांव में औषधियों की प्रतिपूर्ति करते हों।

2. समुदाय द्वारा जंगल में बनाए गए ढांचे, जैसे शमशान भूमि या कब्रिस्तान या फिर परंपरागत रूढ़िगत प्रतीक जैसे पवित्र पेड़, उपवन, तालाब या नदी।

3. अगर सरकार के किसी रिकॉर्ड में वन भूमि गांव की गोचर जमीन या अन्य गांवों की सामुदायिक जमीन (निस्तारी जंगल) हो।

4. पूर्वजों के समय से या अभी भी अगर जंगल में परंपरागत कृषि कार्य किया जा रहा हो।

ग्राम सभा, उप खंड स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति को वनाधिकार के दावे का निर्धारण करने के लिए उपरोक्त में से एक से ज्यादा प्रमाणों को आधार बनाना होगा।

5. दावों का निपटारा और आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया

आपत्ति का स्वरुप	प्रक्रिया क्या होगी?
ग्राम सभा के प्रस्ताव के खिलाफ उप खंड स्तरीय समिति के समक्ष याचिका दायर करना	1. ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित होने के 60 दिन के भीतर उप खंड स्तरीय समिति के समक्ष याचिका दायर करना
	2. उप खंड स्तरीय समिति याचिकाकर्ता और ग्रामसभा दोनों को एक निश्चित तारीख को सुनवाई के लिए हाजिर होने का नोटिस देगी। नोटिस सुनवाई की तारीख से 15 दिन पहले दोनों पक्षों को मिलना जरूरी है।
	3. उप खंड स्तरीय समिति याचिका को निरस्त कर सकती है या ग्रामसभा को समीक्षा के लिए वापस भेज सकती है।
	4. ग्राम सभा समीक्षा के लिए 30 दिन के भीतर बैठेगी, याचिकाकर्ता को सुनेगी और प्रस्ताय पारित कर समिति को भेजेगी।
	5. उप खंड स्तरीय समिति ग्रामसभा के प्रस्ता व पर आदेश जारी करेगी। यह आदेश जिला स्तरीय समिति को भी भेजा जाएगा।
उप खंड स्तरीय समिति के फैसले के खिलाफ जिला स्तरीय समिति को याचिका भेजना	1. इसकी याचिका 60 दिन के भीतर भेजनी होगी।
	2. जिला स्तरीय समिति उप खंड स्तर की समिति और याचिकाकर्ता दोनों को सुनवाई की तारीख बताएगी।
	3. जिला समिति अगर याचिका को स्वीकार कर उप खंड समिति को पुनर्विचार के लिए भेजे तो उप खंड समिति याचिकाकर्ता व ग्रामसभा दोनों को सुनकर फैसला देगी।
	4. इसके बाद जिला समिति अपना अंतिम फैसला पारित करेगी।

वन अधिकार के दावे कभी भी किए जा सकते हैं।

- ग्रामसभा को वन अधिकार कानून के तहत कभी भी दावा पेश किया जा सकता है। वन अधिकार कानून के नियम 11 (1अ) के तहत ग्रामसभा वन अधिकार समिति को दावे की सत्यता जांचने को कहेगी। वन अधिकार

कानून देश के सबसे निर्धनतम और सबसे वंचित तबके के लिए है। यह वह तबका है, जिसे नियम–कानूनों की जानकारी अमूमन नहीं होती है, इसीलिए सरकार ने दावे की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया है।

वन अधिकार समिति ही सर्वोच्च

- वन अधिकार के दावों की मान्यता देने की प्रक्रिया में ग्रामसभा को केवल वनाधिकारी समिति ही मदद कर सकती है। वन अधिकार समिति के अलावा कोई ऐसी समिति, जिसमें ग्रामसभा के लोग न हों, कानून की धारा 4(1ई) के तहत सहायता नहीं कर सकती। ऐसी किसी भी समिति के फैसले को कोई कानूनी मान्यता नहीं होगी।

गांव के वनक्षेत्र, राजस्व और भौगोलिक स्थिति का नक्शा बहुत अहम

- आदिम जाति मामलों के मंत्रालय ने 27 जुलाई 2015 को जारी परिपत्र में जिला स्तरीय समितियों से कहा है कि वे ग्राम सभा को गांव के वनक्षेत्र, राजस्व और भौगोलिक स्थिति के नक्शे उपलब्ध कराते हुए मदद करें, ताकि अपर्याप्त प्रमाणों के अभाव में दावे खारिज न हो जाएं या फिर जहां प्रथम दृष्ट्या और प्रमाणों की जरूरत हो, वहां दावों की समीक्षा में आसानी हो सके।

जिला स्तरीय समिति का फैसला अंतिम होगा

- वन अधिकार कानून के अनुच्छेद 6 (6) में साफतौर पर कहा गया है कि दावों के निपटारे के मामले में जिला स्तरीय समिति का फैसला अंतिम होगा। इसके फैसले को आगे चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि, कानून में यह भी कहा गया है कि जिला स्तरीय समिति को दावे खारिज करने पर लिखित में कारण बताना पड़ेगा, ताकि याचिकाकर्ता इसके खिलाफ देश की किसी भी अदालत में रिट याचिका के माध्यम से अपना पक्ष रख सके। अगर जिला स्तरीय समिति का फैसला वन अधिकार कानून के किसी भी प्रावधान के खिलाफ आता है तो ग्रामसभा अनुच्छेद 8 के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, लेकिन इसके लिए राज्य स्तरीय निगरानी समिति को सूचना देनी होगी।

पंचायत सचिव की उपस्थिति केवल एक बार ही जरूरी

- वन अधिकार कानून के तहत ग्रामसभा की पहली बैठक पंचायत ही आयोजित करती है। ऐसा इसलिए ताकि उस पहली बैठक में वन अधिकार समिति का गठन हो सके और अन्य अहम फैसले लिए जा सकें। वन अधिकार समिति का गठन होने के बाद उसका अध्यक्ष और सचिव चुना जाना वन अधिकार कानून की धारा 3 (2) के तहत जरूरी है। ग्राम पंचायत सचिव का इस पहली बैठक में ही रहना जरूरी है। उसके बाद वन अधिकार समिति और ग्राम सभा दावों का स्वतंत्रतापूर्वक निपटारा जारी रख सकती है। कानून के अनुसार ग्रामसभा की अगली बैठकों में न तो पंचायत सचिव का रहना जरूरी है और न ही वांछित। पंचायत सचिव के बिना ही वन अधिकार समिति का सचिव ग्रामसभा की बैठकों का ब्योरा रखकर प्रस्ताव पारित कर सकता है।

अभ्यारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों की अधिसूचना और मुआवजा पारित करने के बाद भी वन अधिकार का दावा संभव

- वन अधिकार कानून का मूल मंतव्यो उस ऐतिहासिक अन्याय को खत्म करने का है जो आजादी से पहले ब्रिटिश राज में और आजादी के बाद आदिवासियों/वनवासियों के जंगलों पर परंपरागत अधिकार के दावों की अनदेखी करने से हुआ। ऐसे में अगर किसी राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य के लिए आदिवासियों को जंगल से हटाते समय मुआवजे की प्रक्रिया में उनकी आजीविका और खाद्य सुरक्षा के अधिकार का समुचित ध्यान नहीं रखा गया तो उसे भी वन अधिकार कानून के तहत दावों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

वन अधिकार कानून सर्वोपरि है यानी इस कानून के समक्ष पहले के सारे कानून शिथिल हैं।

- वन अधिकार कानून 2006 के अनुच्छेद 4(1) के तहत जंगल पर अधिकार की अनुच्छेद 3 (1) में सुस्पष्ट व्याख्या करते हुए कहा गया है कि एक बार वन अधिकार का दावा हासिल करने के बाद पुराने सभी नियम–कानून अमान्य हो जाएंगे। उदाहरण के लिए 1927 का भारतीय वन कानून, जिसमें संरक्षित वन क्षेत्र से लघु वनोपज की निकासी गैरकानूनी है। लेकिन अगर किसी आदिवासी या अन्य परंपरागत वनवासी के पास ग्राम सभा का वन अधिकार पत्रक है तो उसे लघु वनोपज की निकासी करने से कोई नहीं रोक सकता। केवल उसी व्यक्ति को ऐसा करने से रोका जा सकता है, जिसके पास वन अधिकार कानून के तहत दावा पत्रक न हो। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ग्रामसभा को कार्रवाई करने के पूरे अधिकार हैं।

6. वन अधिकार के दावों के निपटारे के लिए विशेष अभियान[11]

वर्ष 2008 से चल रहे वन अधिकार के दावों के निपटारे की प्रक्रिया में अभी तक मध्यप्रदेश में 6.10 लाख दावे प्राप्त हैं, जिनमें से 2.32 लाख दावों को मान्य किया गया है, जबकि 3.72 लाख दावे अमान्य हुए हैं। यह कुल प्राप्त दावों का 60 प्रतिशत है। राज्य सरकार ने 24 फरवरी 2016 से विशेष अभियान चलाकर निरस्त, दावों की फिर समीक्षा करने का आदेश जारी किया है। सरकार का प्रयास है कि पात्र वनवासी/आदिवासी दावों से वंचित न रह जाएं। अगर वे वन अधिकार पत्रक प्राप्त करने के पात्र हैं तो उन्हें यह तय समयसीमा के भीतर मिल जाएं।

जरूरी बातें –

1. निरस्त दावों का परीक्षण उसी स्तर पर किया जाएगा, जिस स्तर पर वे खारिज हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वे ग्रामसभा स्तर पर खारिज हुए तो ग्रामसभा और अगर उप खंड स्तरीय समिति के स्तर पर खारिज हुए हैं तो उन्हें उसी स्तर पर दोबारा परीक्षण किया जाएगा।
2. जिला और उप खंड दोनों स्तर पर दावों के परीक्षण के लिए छानबीन समितियां बनेंगी। इसी तरह ग्रामसभा स्तर पर भी पंचायत की छानबीन समितियां बनेंगी।
3. अलग अलग छानबीन समितियों के बीच समन्वय के लिए जिला स्तर से ग्राम पंचायत स्तर तक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।

[11] मुख्यु सचिव, मध्यमप्रदेश शासन द्वारा 18/02/2016 को सभी कलेक्टेरों को दिए गए निर्देश, क्रमांक/वन/161ए/टीएडीपी/16/57/मु.स./16

4. राज्य सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि किसी भी दावे को बिना ठोस कारण के निरस्त न किया जाए।

छानबीन समितियों में कौन पदाधिकारी होंगे

जिला स्तरीय छानबीन समिति	कलेक्टर के प्रतिनिधि (डिप्टी कलेक्टर के समकक्ष)	अध्यक्ष
	संबंधित वन मंडलाधिकारी का प्रतिनिधि	सदस्य
	जन अभियान परिषद के जिला संयोजक	सदस्य
	जिला स्तरीय समिति का सदस्य सचिव	सदस्य सचिव
उप खंडस्तरीय समिति	सदस्य सचिव	अध्यक्ष
	अनुविभागीय अधिकारी का प्रतिनिधि (नायब तहसीलदार)	सदस्य
	अनुविभागीय अधिकारी जो कि वन विभाग का प्रतिनिधित्व करे (वन परिक्षेत्र अधिकारी)	सदस्य
	विकासखंड समन्वयक, जन अभियान परिषद	सदस्य
ग्राम पंचायत स्तर की समिति	ग्राम पंचायत सचिव	अध्यक्ष
	बीट गार्ड	सदस्य
	पटवारी	सदस्य
	अनुसूचित जाति कल्याण से नामांकित कर्मचारी	सदस्य
	अध्ययक्ष, प्रस्फुटन समिति, जन अभियान परिषद	सदस्य

7. आपकी भूमिका और मैदानी कार्य

वन अधिकार कानून 2006 को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती दावों को साबित करने के लिए सुबूत जुटाने को लेकर है। वन अधिकार कानून लागू होने के बाद सभी सरकारी विभागों जैसे वन विभाग और राजस्व विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे वन अधिकारों के संबंध में सभी पुराने रिकॉर्ड को आसानी से उपलब्ध होने की स्थिति में रखें और दावेदारों के मांगे जाने की स्थिति में उन्हेंत मुफ्त फोटोकॉपी कराके उपलब्ध कराएं। साफ है कि सरकारी विभागों से रिकॉर्ड मांगा जा सकता है। इसके अलावा वाजिब अर्ज दस्तावेज की प्रति भी जिला राजस्व रिकॉर्ड कक्ष, जो कि जिला अभिलेखागार कहलाता है, से प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा निस्तार पत्रिका, राजस्व के दस्तावेज, वन विभाग के भू–अभिलेखों की प्रतियां भी मांगी जा सकती हैं। ग्रामसभा गांव के बुजुर्गों के बयान को भी लिखित रूप में अनुमोदित कर सकती है, जिसमें गांव का रास्ता, कुआं, पारंपरिक संरचना से संबंधित दावों को पारित किया जा सके।

आपकी भूमिका क्या होगी ?

1. आपकी भूमिका इन दस्तावेजों को प्राप्त करने में मददगार की हो सकती है। ज्यादातर आदिवासी समुदाय अशिक्षित होते हैं। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि वन अधिकार के दावों के लिए सुबूत कहां से जुटाए जा सकते हैं। पर्याप्त सुबूतों के न होने पर उनके दावे निरस्त हो जाते हैं।

2. वन अधिकार कानून में दावे लगाने की कोई समय सीमा नहीं है। इस कानून का मकसद यही है कि दावेदार अंतिम व्यक्ति को उसका अधिकार मिल जाए। ऐसे में ग्रामसभा दावे लगाने की समयसीमा को अपने मुताबिक बढ़ा सकती है। ग्रामसभा को इन नियम–कानूनों की जानकारी देना आपका काम है।

3. वन अधिकार कानून में जाति प्रमाण पत्र की अहम भूमिका है। जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोकसेवा केंद्र की मदद ली जा सकती है। इसके लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। इन्हें जुटाने और दावेदार को जाति प्रमाण पत्र के लिए सबसे नजदीकी केंद्र तक पहुंचाने में आपकी भूमिका होगी। यह भी देखना होगा कि अगर किसी कारण से संबंधित का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाया हो तो ग्रामसभा खुद ही दावेदार के दावे के साथ स्थानीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जारी कर उपखंड समिति को भेजे। उपखंड समिति का काम इन प्रमाण पत्रों को सत्यापित करने का होगा।

4. वन अधिकार कानून में सबसे बड़ी भूमिका ग्राम वन अधिकार समितियों की है। उन्हें –
    - दावों की जांच करने और उनके लिए सुबूत प्राप्त करने की जिम्मेदारी दी गई है।
    - समिति को प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर गांव का नक्शा बनाना है।
    - इसके बाद वह वन अधिकार के दावेदारों की सूची तैयार कर उनका व्यक्तिगत सत्यापन करवाएगी।

- व्यक्तिगत या सामुदायिक दावों का सत्यापन करते समय दावेदार और उसके प्रतिनिधि का मौके पर होना जरूरी है। इसके लिए हर दावेदार को उसके दावे के भौतिक सत्यापन की तारीख और समय की लिखित में सूचना दी जाती है। यह सूचना उसे समय पर मिल जानी चाहिए, ताकि वह मौजूद रह सके।

- जिस जगह पर दावेदार अपना हक मांग रहा है, उस जगह को मानचित्र पर दर्शाना जरूरी होता है।

5. विवादों का हल करने में भी आपकी भूमिका है। खासतौर पर अगर किसी वनभूमि पर दो या अधिक ग्रामसभाओं का दावा हो। ऐसे में ग्रामसभाओं की संयुक्त बैठक में दावों का निपटारा आपसी विमर्श से हो जाए तो बेहतर होता है। अगर किसी कारण से विवादों का निपटारा नहीं हो सके तो उपखंड स्तरीय समिति को हस्तक्षेप कर विवाद निपटाना पड़ता है, लेकिन इसके लिए समिति को समस्त प्रमाणिक जानकारियां और दस्तावेज देने पड़ते हैं। इसे सुनिश्चित करने में आपकी बड़ी जिम्मेदारी है।

6. दावे के खारिज होने की स्थिति में अपील का अधिकार भी दावेदार को दिया गया है। यह अपील एक याचिका के रूप में पेश की जाती है। अपील में ठोस तर्कों, दस्तावेजों और प्रमाणों का होना जरूरी है, वरना ये खारिज हो जाएंगी। यहां आपकी भूमिका दावेदार के लिए इन प्रमाणों को जुटाने में मददगार की होगी।

7. अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान आदि संरक्षित वन क्षेत्रों में विस्थापन और मुआवजे की प्रक्रिया समाप्ति होने के बाद भी वन अधिकार के दावे लगाए जा सकते हैं। इसकी प्रक्रिया भी वही है, जो वन अधिकार के दावों के लिए बताई गई है। अगर किसी दावेदार का वन अधिकार का दावा बनता है तो उसे मदद करना आपकी जिम्मेदारी है।

8. आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वन अधिकार का दावा रखने वाले लोगों और समुदाय को जंगल से लघु वनोपज का अधिकार मिले। यह उनकी खाद्य और आजीविका की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। शहद, बांस, बेंत, ककून, लाख, आंवला, जड़ी–बूटियां, जलाऊ लकड़ी, औषधीय पौधे, कंदमूल, फल, जलाशयों की मछली, केकड़े, जलीय पौधे आदि सभी चीजों पर वन अधिकार का दावा पाने वाले का पूरा अधिकार है। अगर ऐसे किसी व्यक्ति को उसका अधिकार प्राप्त करने से रोका जाता है तो इन मामलों को ग्रामसभा में पेश कर कार्रवाई सुनिश्चित करना आपकी भी जिम्मेदारी है।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य

प्रायोगिक/मैदानी कार्य के लिए कुछ बिंदु	क्या कार्यवाही करें?
ग्राम सभा की पहली बैठक में कोरम पूरा है या नहीं?	इस बैठक में कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य की मौजूदगी सुनिश्चित करनी होगी। बैठक में एक–तिहाई महिलाएं और 50 प्रतिशत सदस्य वन अधिकार के दावेदार होने चाहिए। जरूरी होगा कि ग्रामसभा की पहली बैठक के बारे में सभी को सूचना पहुंचे।
ग्रामसभा की पहली बैठक में वन अधिकार समिति का गठन हुआ है?	समिति के 10–15 सदस्यों का चुनाव कानून में निर्धारित प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। वन अधिकार समिति में एक तिहाई महिलाएं और एक–तिहाई आदिवासी और अन्य परंपरागत वनवासी होने चाहिए।
क्या वन अधिकार समिति को उनके अधिकार मालूम हैं?	आपको वन अधिकार समितियों के सभी सदस्यों को वन अधिकार कानून के अनुसार उनके अधिकार, कर्तव्य और भूमिकाएं बतानी होंगी।
ग्रामसभा में कितने लोगों ने व्यक्तिगत रूप से वन अधिकार के दावे किए हैं?	दावेदारों की सूची बनाएं।
उनमें से कितने दावेदारों के दावे मान्य किए गए हैं और कितने दावेदारों के वन अधिकार दावे निरस्त हुए हैं?	मान्य दावेदारों और निरस्त किए गए दावों की सूची बनाएं।
दावे किस स्तर पर निरस्त किए गए? क्या कारण रहे ?	निरस्त किए गए दावों की कारणवार सूची बनाएं।
गांव में कोई वन अधिकार का दावा पेश करने से वंचित तो नहीं रह गया है?	दावा पेश करने से वंचित लोगों की सूची बनाएं।
ग्रामसभा की बैठक में वन अधिकार के नए दावे लगाने में मदद करें।	दावों से वंचित लोगों को वन अधिकार के नए दावे लगाने के लिए प्रपत्र और प्रमाण के रूप में दस्तावेज उपलब्ध कराने में मदद करें।
क्या ग्राम पंचायत स्तर पर वन अधिकार के दावों की छानबीन समिति बनी है ?	छानबीन समिति को तथ्य और प्रमाण उपलब्ध कराने में सहायता करें। समिति को जिला, उपखंड और ग्रामसभा स्तर पर निरस्त

	किए गए दावों की कारणवार सूची उपलब्ध कराएं।
क्या मान्य किए गए दावों के आधार पर ग्रामसभा की वन अधिकार समिति ने कोई नक्शा बनाया है?	अगर नक्शा नहीं बना है तो वन अधिकार के मान्य दावों में चिन्हित स्थानों के आधार पर नक्शा बनवाने में मदद करें।
क्या वन अधिकार को लेकर स्थानीय समुदाय की अपनी मान्यता, आस्था या प्रतीक चिन्ह हैं?	इस बारे में समुदाय से चर्चा करें और बड़े–बुजुर्गों के बयानों के आधार पर वनों को लेकर समुदाय की धार्मिक, सांस्कृतिक मान्यताओं, आस्थाओं और प्रतीक चिन्हों को चिन्हित करें।
वन अधिकार के व्यक्तिगत और सामुदायिक दावों को लेकर पर्याप्त, साक्ष्य उपलब्ध हैं?	इस बारे में भू–अभिलेखा ें की प्रतियां, राजस्व के रिकॉर्ड, सरकारी दस्तावेज, निस्तार पत्रक, वाजिबुल अर्ज के रिकॉर्ड जुटाने में समुदाय और व्यक्तिगत दावेदार की सहायता करें।
क्या गांव में किसी व्यक्ति विशेष या परिवार या फिर समुदाय को संरक्षित वन क्षेत्र से दावों का निपटारा किए बिना बेदखल किया गया है?	ऐसे व्यतक्ति, परिवारों, समुदाय के सदस्यों की सूची बनाएं। ऐसे व्यकक्तियों, समुदाय के दावों के सत्यापन में मदद करें।
क्या वन भूमि पर कोई दावा विवादित है?	अगर है तो ग्रामसभाओं की संयुक्ता बैठक बुलाकर तथ्य और प्रमाणों के साथ विवाद का स्थानीय स्तर पर निपटारा करने में मदद करें।
यह सुनिश्चित करना कि आदिवासी या गैर आदिवासी आवेदक द्वारा दावा की गयी जमीन पर अधिकार पत्र मिले।	गांव में उन सभी लोगों की सूची बनाना, जिनके वन भूमि पर कब्जे हैं, कितने जमीन पर हैं, उन्होंने कितनी जमीन के लिए दावा लगाया और उन्हें वास्तव में कितनी जमीन मिली, यह जानना जरूरी है। यदि कोई आवेदक असंतुष्ट है, तो अपने वाजिब हक के लिए पुनः याचिका लगाने में में मदद करना।

प्रायोगिक/मैदानी काम की रिपोर्ट

अब तक यह बात स्पष्ट हो चुकी होगी कि वन अधिकार कानून एक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण कानून है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि अपने गांव, पंचायत और समुदाय में इसे सही रूप में लागू करवाएं। आप अपने प्रायोगिक/मैदानी काम पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसका खाका प्रायोगिक कार्य पुस्तिका में विस्तार से दिया गया है।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य – 8

मध्यान्ह भोजन योजना और सामुदायिक पहल

किसके लिये है यह योजना– सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों (आठवीं कक्षा) के सभी बच्चे। अब यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून– 2013 में शामिल है। इस हिसाब से मध्यान्ह भोजन बच्चों का कानूनी अधिकार भी है।

क्या है यह योजना – प्राथमिक शिक्षा के साथ पोषण सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्यान्ह भोजन योजना) की शुरूआत 15 अगस्त 1995 में हुई। दो सालों में सभी सरकारी प्राथमिक शालाओं में पका मध्यान्ह भोजन देना शुरू होना था। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों और सरकार से सहायता प्राप्त सभी स्कूलों के आठवीं कक्षा तक के सभी बच्चों को दोपहर का भोजन दिए जाने का कानूनी प्रावधान है।

इसके दो मकसद थे, एक – बुनियादी शिक्षा का लोकव्यापीकरण करना, दो– स्कूल जाने वाले बच्चों के सही विकास के लिए पोषण स्तर को ऊपर उठाना। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के मुताबिक भारत में लगभग 20 करोड़ लोग रोज भूखे रह जाते हैं। जनगणना 2011 के मुताबिक भारत में 19 प्रतिशत जनसँख्या 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों की है। इसका एक मतलब यह भी हुआ कि उन 20 करोड़ लोगों में से लगभग 4 करोड़ इस उम्र के बच्चे होते हैं। क्या ये बच्चे भूखे रहते हुए शिक्षा हासिल कर सकते हैं? इन बच्चों को भूखे न रहते हुए, शिक्षा का अधिकार भी मिल सके, यही लक्ष्य हासिल करना मध्यान्ह भोजन योजना का लक्ष्य है।

योजना के केंद्र – यह योजना सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शालाओं में यह योजना लागू है। इसमें सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायत प्राप्त मदरसे, मकतब या सरकार से सहायता प्राप्त सभी स्कूल भी शामिल हैं।

आंगनवाड़ी कार्यक्रम के अतिरिक्त मध्यान्ह भोजन योजना ही एक मात्र ऐसी योजना है जिसमें बच्चों की पोषण सम्बन्धी जरूरतों को सीधे ध्यान में रखा गया है। यह माना गया है कि कुपोषण की स्थिति में बच्चों की सीखने की क्षमता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है और वे स्कूली प्रक्रिया में पूरी क्षमता के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाते हैं और अंततः स्कूल से बाहर आ जाते हैं।

जिम्मेदार विभाग – भारत सरकार के स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाता है। अलग–अलग राज्यों में इसके क्रियान्वयन की व्यवस्था अलग–अलग है। उड़ीसा में महिला एवं बाल विकास विभाग इसे संचालित करता है तो मध्यप्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय निकाय विभाग इसका क्रियान्वयन करते हैं। तमिलनाडु सरकार ने इसके क्रियान्वयन के लिए अलग विभाग खड़ा किया है।

प्राथमिक शाला के बच्चों के भोजन में 450 कैलोरी उर्जा एवं 12 ग्राम प्रोटीन होना चाहिये एवं माध्यमिक शाला के बच्चों के भोजन में 700 कैलोरी उर्जा एवं 20 ग्राम प्रोटीन होना चाहिये।

सूखाग्रस्त इलाकों में मध्यान्ह भोजन गर्मी के अवकाश के दौरान भी उपलब्ध करवाया जाये। (20 अप्रैल 2004 का आदेश) हर स्कूल में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अलग से रसोई घर बनाने की व्यवस्था की गई है जिसके लिए भारत सरकार आर्थिक मदद देती है।

- **कितने बच्चे?** – मध्यान्ह भोजन योजना के तहत मध्यप्रदेश में 1.17 लाख स्कूलों में 76.62 लाख बच्चों को हर रोज मध्यान्ह भोजन दिया जाता है।

- **हकधारिता क्या है?** – वर्तमान स्थिति में प्रावधानों के मुताबिक बच्चों को पका हुआ भोजन देने के लिए निम्न सामग्री का प्रावधान है –

प्राथमिक शाला के लिए (लागत – 3 I59 रूपए)		माध्यमिक शाला के लिए (लागत – 5 I38 रूपए)	
सामग्री	**मात्रा**	**सामग्री**	**मात्रा**
अनाज (यह राशन की दुकान से मुफ्त मिलता है।)	100 ग्राम	अनाज (यह राशन की दुकान से मुफ्त मिलता है।)	150 ग्राम
दाल	20 ग्राम	दाल	30 ग्राम
सब्जियां	50 ग्राम	सब्जियां	75 ग्राम
खाने का तेल/वसा	5 ग्राम	खाने का तेल/वसा	7 I5 ग्राम
नमक और मसाले	जरूरत के मुताबिक	नमक और मसाले	जरूरत के मुताबिक
ईंधन	जरूरत के मुताबिक	ईंधन	जरूरत के मुताबिक

भोजन पकाने की व्यवस्था – इसके अलावा जुलाई 2010 से सरकार द्वारा खाना बनाने वाली महिला को 1000 रूपये की राशि प्रति मानदेय के रूप में दी जायेगी। यह राशि 1 से लेकर 25 बच्चों के भोजन बनाने के लिए है। यदि किसी शाला में 25 से 100 बच्चे है तो ऐसी स्थिति में 2 रसोइयों को खाना बनाने की जिम्मेदारी दी जायेगी जिसमें दोनों को रूपये 1000/– प्रतिव्यक्ति के मान से दिया जायेगा। इसके बाद हर 100 बच्चों पर एक अतिरिक्त रसोईये की नियुक्ति होगी।

मध्यप्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यान्ह भोजन पकाने की जिम्मेदारी सांझा चूल्हा के तहत स्थानीय स्वयं सहायता समूहों को दी गयी है।

शहरों/नगरों में व्यवस्था है कि मध्यान्ह भोजन पकाने और उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी केंद्रीयकृत रसोई घरों (जिनका संचालन अशासकीय संस्थाएं या सामाजिक समूह कर सकते हैं) या शाला प्रबंधन समिति को दी जा सकती है।

भोजन माने क्या ?

मध्यप्रदेश में मध्यान्ह भोजन योजना के तहत बच्चों के लिए साप्ताहिक भोजन सूची बनायी गयी है ताकि उन्हें हर रोज एक जैसा ही भोजन भी न करना पड़े और पोषक तत्वों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सके। ये सूची इस आधार पर बनायीं गयी है कि जहाँ चावल ज्यादा खाया जाता है, वहां बच्चों को ज्यादा चावल मिले और जहाँ गेहूं का उपयोग होता है, वहां बच्चों को चपाती प्रमुखता से मिले।

दिन	ग्रामीण और शहरी क्षेत्र	केंद्रीयकृत रसोई
सोमवार	चपाती/चावल–दाल (तुअर/अरहर) और काबुली चने–टमाटर की सब्जी	सब्जी पुलाव और पकोड़ा कड़ी
मंगलवार	पूरी/खीर के साथ पुलाव/हलवा और आलू, टमाटर के साथ मूंग बड़ी की सब्जी	खीर/हलवे के साथ खीर और छोले–मटर की सब्जी
बुधवार	चपाती/चना दाल के साथ चावल और मिश्रित सब्जी	जीरा चावल, मिश्रित सब्जी और तुअर दाल
गुरुवार	सब्जी पुलाव और पकोड़ा कड़ी	सोया चंग के साथ चपाती/आलू के साथ मूंग या चना बड़ी और तुअर दाल
शुक्रवार	चपाती/मूंग दाल के साथ चावल और सूखे चने या हरे मटर की सब्जी	मूंग दाल के साथ खिचड़ी और आलू, टमाटर सब्जी के साथ मटर
शनिवार	पराठा/मिश्रित दाल के साथ मसाला चावल और हरी सब्जी	चपाती और हरी मिश्रित सब्जी और मिश्रित दाल

मध्यान्ह भोजन योजना केवल भोजन वितरण की योजना नहीं है!

अगर आप सोचते है कि प्राथमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन उपलब्ध करवाना ''समय की बर्बादी'' है, तो फिर से सोचिए। पौष्टिक मध्यान्ह भोजन के तमाम फायदे हो सकते हैं।

स्कूलों में भागीदारी बढ़ेगी – मध्यान्ह भोजन का स्कूलों में भागीदारी पर भारी असर पड़ता है। इससे न केवल अधिक बच्चों का नामांकन संभव होता है बल्कि बच्चों की नियमित उपस्थिति भी सुनिश्चित होती है।

कक्षा में भूख से बचाव – कई बच्चे खाली पेट स्कूल आ जाते हैं और अक्सर कुछ घंटे बाद वे भूखे हो जाते हैं। इससे उनकी ध्यान देने की क्षमता कम हो जाती है और सीखने की प्रक्रिया भी धीमी होती है। दोपहर का खाना कक्षा में बच्चों के भूखे होने की समस्या से भी बचाता है।

बच्चों की स्वास्थ्य वृद्धि में मदद – मध्यान्ह भोजन बच्चों के लिए पूरक पोषण का नियमित स्त्रोत बन सकता है और इस तरह उनकी सही बढ़त में मददगार बन सकता है। उदाहरण के लिए अगर मध्यान्ह भोजन में लोहे की मात्रा अधिक हो तो बच्चों को खून की कमी (एनीमिय) से बचाया जा सकता है। खून की कमी से बच्चों में कमजोरी बढ़ती है और उनकी सही बढ़त भी नहीं हो पाती।

शैक्षणिक महत्व – सुव्यवस्थित मध्यान्ह भोजन का उपयोग बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने के लिए किया जा सकता है। (जैसे – खाने के पहले और बाद में हाथ धोना)। उन्हें स्वच्छ पानी, साफ–सफाई का महत्व व अन्य बातों की शिक्षा भी दी जा सकती है।

सामाजिक समानता की भावना को मजबूत करना – मध्यान्ह भोजन द्वारा स्कूलों में समता की भावना का प्रसार किया जा सकता है क्योंकि विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चे एक साथ बैठ, एक–सा भोजन खाते हैं। वर्ग और जाति के बंधनों को तोड़ने से इसमें मदद मिलती है। दालित समुदाय के लोगों को रसोइयों के रूप में चुनने से भी जातिगत पूर्वाग्रह तोड़े जा सकते हैं।

लैंगिक समानता को बढ़ावा – स्कूलों में आने वाले बच्चों में लड़के–लड़कियों की संख्या में अंतर नजर आता है, अर्थात् लड़कियों की संख्या अमूमन लड़कों से कम होती है। मध्यान्ह भोजन प्रारंभ करने पर लड़के–लड़कियों की संख्या में यह अंतर कम हो जाता है। मध्यान्ह भोजन महिलाओं के लिए रोजगार का साधन बनते हैं, साथ ही बच्चों को दोपहर में घर पर खाना उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी से भी स्त्रियां बच जाती हैं। इस अर्थ में स्त्रियों और बालिकाओं का मध्यान्ह भोजन में बहुत कुछ दांव पर लगा है।

पका हुआ खाना ही क्यों बेहतर है?

पका भोजन कई तरह से अधिक फायदेमंद होता है। यह सच है कि अनाज उपलब्ध करवाने से स्कूलों के नांमांकन में बढ़ोत्तरी होती है, परन्तु नियमित उपस्थिति इससे सुनिश्चित नहीं की जा सकती हैं इस अर्थ में पका हुआ मध्यान्ह भोजन ही अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। इसके कारण बच्चे स्वयं स्कूल आते हैं और उन्हें हर दिन माता–पिता द्वारा समझाने–बुझाने की दरकार नहीं पड़ती। साथ ही मध्यान्ह भोजन देने से खाने की घंटी के बाद भी बच्चे स्कूल में टिके रहते हैं और दोपहर बाद की कक्षाएं लगाना अधिक आसान होता है। इसके विपरीत अगर बच्चे खाना खाने के लिए घर जाते हैं तो वे हमेशा लौटकर वापस नहीं आते। यह सब मात्र अनाज उपलब्ध करवाने से संभव नहीं होता। साथ ही, मध्यान्ह भोजन ''कक्षा में भूखे'' रहने की समस्या को खत्म करता है, जिसे सूखा राशन नहीं मिटा सकता।

मध्यान्ह भोजन योजना पर सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण आदेश

- पका भोजन बनाने में आने वाला कोई भी खर्च किसी भी स्थिति में अभिभावकों या बच्चों से नहीं वसूला जायेगा।
- रसोइये व उसके सहायक के चयन में दलित/आदिवासी को प्राथमिकता दी जाए।
- सभी प्राथमिक शालाओं में रसोई घर बनाने और पका भोजन बनाने का खर्च भारत सरकार वहन करे।
- सभी सूखाग्रस्त इलाकों में, गर्मी की छुट्टियों में भी मध्यान्ह भोजन दिया जाए।
- योजना को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएं– जैसे कि अच्छे भवन, बेहतर सुविधाएं, गहन निरीक्षण, गुणवत्ता की अतिरिक्त सुरक्षा और भोजन के
- पोषक तत्वों में सुधार जिससे कि प्राथमिक शालाओं के बच्चों को पोषक आहार मिल सके।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बनायी गयी व्यवस्था

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट नियम जारी किये गए हैं। इन नियमों के मुताबिक भोजन केवल स्कूल में ही परोसा जाएगा। और भोजन तैयार करने की प्रक्रिया, मानकों और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थाएं बनायी गयी हैं।

नियम कहते हैं कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में शाला प्रबंधन समिति को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी, भोजन की गुणवत्ता साफ–सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए सक्रीय निरीक्षण करती रहेगी। इसी व्यवस्था को कानून मान्यता देता है।

योजना बाधित न हो – यह कानून कहता है कि मध्यान्ह भोजन योजना का क्रियान्वयन बाधित नहीं होना चाहिए। स्कूल के प्रधान अध्यापक/प्रधान अध्यापिका को सशक्त अधिकार होगा कि वह स्कूल में खाद्यान्न, पकाने की लागत आदि अस्थायी तौर पर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में स्कूल के खाते में उपलब्ध निधि (धन) का उपयोग करे और बच्चों के भोजन की व्यवस्था करे। जब मध्यान्ह भोजन योजना की राशि प्राप्त हो जायेगी, तब स्कूल की निधि/राशि वापस खाते में जमा कर दी जायेगी।

खाद्य सुरक्षा भत्ता – यदि किसी कारण से बच्चों को मध्यान भोजन नहीं मिलता है, तो उन्हें खाद्य सुरक्षा भत्ता पाने का अधिकार है। इस भत्ते में उन्हें अपनी पात्रता के अनुसार खाद्यान्न और पकाने की लागत अगले महीने की 15 तारीख तक उपलब्ध करवाई जायेगी।

कार्यवाही – यदि स्कूल में तीन दिन लगातार या एक महीने में 5 दिन मध्यान्ह भोजन नहीं मिलता है तो राज्य सरकार जिम्मेदार संस्थाओं/समूहों/व्यक्तियों की जिम्मेदारी तय करेगी और कार्यवाही करेगी।

सामाजिक अंकेक्षण – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सभी खाद्य कार्यक्रमों के सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान किया गया है। यदि मध्यप्रदेश की बात करें, तो हम पाते हैं कि मध्यप्रदेश राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत पंजीकृत संस्था) की जिम्मेदारी है कि वह मध्यान्ह भोजन योजना का नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण करवाएं।

निगरानी और प्रबंधन की व्यवस्था

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत हर विकास खंड, जिला और राज्य स्तर पर निगरानी समिति का गठन किया गया है। यदि इस योजना से सम्बंधित कोई समस्या है, तो उसे इन स्तरों पर उठायें।

2. इसी कानून के तहत हर जिले के स्तर पर "जिला शिकायत निवारण अधिकारी" की नियुक्ति की गयी है। इनकी जिम्मेदारी है कि योजना से सम्बंधित शिकायत का 30 दिन के भीतर निराकरण करें।

3. राज्य स्तर पर "राज्य खाद्य आयोग" का भी प्रावधान है।

मध्यान्ह भोजन योजना की अपनी व्यवस्था

स्कूल स्तर पर

1. मध्यान्ह भोजन योजना के तहत स्कूल के स्तर पर शाला प्रबंधन समिति को निगरानी के अधिकार दिए गए हैं।
2. इसके साथ ही स्कूल के शिक्षक और अन्त्योदय राशन कार्ड धारी व्यक्ति को भी निगरानी के लिए अधिकार दिए गए हैं।
3. हर स्कूल में पके हुए भोजन की जांचध्चखने के लिए रोस्टर बनाया जाता है, ताकि अलग–अलग लोग हर रोज भोजन की चख कर जांच करें।
4. ग्राम स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता समिति भी योजना की निगरानी करेगी।

विकासखंड स्तर पर

1. विकासखंड स्तर पर शिक्षा विभाग के विकासखंड स्रोत समन्वयक, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) को निगरानी की जिम्मेदारी दी गयी है।
2. जिला स्तर पर
3. जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि वे नियमित रूप से योजना की निगरानी करें।
4. जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वे नियमित रूप से योजना की निगरानी करें।
5. जिला कार्यक्रम समन्वयक की जिम्मेदारी है कि वे नियमित रूप से कार्यक्रम की निगरानी करें।
6. हर जिले में योजना प्रभारी अधिकारी, और गुणवत्ता निगरानी प्रबंधक की नियुक्ति की गयी है। इनकी जिम्मेदारी है कि हर महीने कम से कम 150 स्कूलों की जांच–निगरानी करें।

जरूरी बुनियादी ढांचा

मध्यान्ह भोजन योजना के लिए जिन मूलभूत ढांचों की आवश्यकता होती है, वे हैं –

रसोईघर व गोदाम की सुविधारू खाना पकाने के लिए अगर रसोईघर अलग से नहीं होगी तो सीखने–सिखाने की प्रक्रिया बाधित होगी। सुरक्षा की दृष्टि से भी रसोईघर की जगह अलग होनी चाहिए। अन्यथा आग लगने, दुर्घटना घटने या खाना दूषित होने का डर भी रहता है। धुएं से बचाव के पर्याप्त उपाय भी किए जाने चाहिए – जैसे चिमनी, धुंआ रहित चूल्हे, एक्जास्ट पंखे आदि यंत्र। गोदाम की सही व्यवस्था भी जरूरी है ताकि अनाज को चूहों व फफूंद आदि से बचाया जा सके। आदर्श स्थितियों में यह एक अलग ताला बंद कक्षा होना चाहिए। खाद्यान्न को बोरियों के बदले बंद डिब्बों में ही रखना ज्यादा उचित होगा।

साफ पानी– स्कूल परिसर में साफ पानी का स्त्रोत उपलब्ध होना चाहिए। इससे सफाई और आसानी से भोजन पकाने में मदद मिलेगी। पीने के लिए और धोने–पौंछने व साफ–सफाई के लिए भी साफ पानी की जरूरत होती है। बच्चों को यह सिखाना भी जरूरी है कि वे खाने के पहले और बाद में हाथ धोएं। यह भी तभी किया जा सकेगा जब स्कूल में साफ पानी उपलब्ध हो। साथ ही ऐसे में खाना पकाने वालों की आस–पास के स्त्रोत से पानी ढोकर लाने की मेहनत भी बचेगी। कई स्थानों पर पानी के लिए कुछ किलोमीटर भी जाना पड़ता है।

पकाने के बर्तन व दूसरे उपकरण– पूरी सफाई से और बिना झंझट के खाना पकाने के लिए सुविधाजनक चूल्हे से लेकर कई दूसरे उपकरणों की जरूरत पड़ती है। चपटी पैंदे वाले बड़े भगोने होने चाहिए ताकि बड़ी मात्रा में खाना पकाया जा सके। इसके अलावा लंबे हत्थे वाली कलछियां होनी चाहिए, ताकि खाने को हिलाया व परोसा जा सके, मसाले, अनाज आदि नापने–तौलने के औजार, धारदार छुरियां, काटने के फट्टे, अच्छी तरह से बंद होने वाला मसालादान आदि भी जरूरी है।

ईंधन राज्यों से अलग–अलग तरह के ईंधन की व्यवस्था है। जैसे कहीं स्कूलों को गैस के चूल्हे दिए जा सकते हैं तो कहीं स्थानीय रूप से उपलब्ध लकड़ी खरीदी जा सकती है। अक्सर ईंधन की माकूल व्यवस्था नहीं की जाती जिससे मध्यान्ह भोजन पकाने व खिलाने में परेशानी आती हैं अगली बार जब आप स्थानीय प्राथमिक स्कूल जाएं, तो क्यों न यह देखें कि वह ईंधन की कैसी व्यवस्था हैं?

मध्यान्ह भोजन योजना में सुरक्षा के पहलू

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की सफलता के लिए सूरक्षा और साफ–सफाई बेहद महत्वपूर्ण है। सफाई का पूरा ख्याल न रखा जाए तो खाना बिगड़ सकता हैं। और खराब खाने से बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। इससे शिक्षक और माता–पिता भी इस कार्यक्रम का विरोध करने की स्थिति में आ सकते हैं इस स्थिति से बचाव करना मुश्किल काम नहीं है परन्तु इसके लिए सुरक्षा और स्वच्छता पर हमेशा कड़ी नजर रखनी होगी। खाना पकाने वालों और उनके सहायकों की इस संदर्भ में खास जिम्मेदारी है। जो भी व्यक्ति भोजन पकाने की प्रक्रिया से जुड़े हैं उन्हें अपनी निजी साफ–सफाई और सुरक्षा सावधानियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

1. **रसोई घर** – खाना रसोई घर में पकाना चाहिए, जो कक्षाओं से सुरक्षित दूरी पर बना हो। रसोई हमेशा साफ होनी चाहिए। खाना पकाने की और कचरा फेंकने की उचित व्यवस्थाएं की जानी चाहिए।

2. **सामग्री का भण्डारण** – पकाने में काम में आने वाली सभी वस्तुओं को सही डिब्बों में रखा जाना चाहिए ताकि वे सूखी रहें व उसमें कीड़े न लगें। भोजन पकाने के लिए बाजार से खुली हुई सामग्री नहीं खरीदी जायेगी। एगमार्क और अच्छी गुणवत्ता का तेल, मसाले ही उपयोग में लाये जायेंगे। आयोडीन नमक का ही इस्तेमाल होगा।

3. **ईधन का गोदाम**– ईधन को सुरक्षित व रसोई से अलग रखा जाना चाहिए ताकि आग लगने के खतरों से बचा जा सके। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मध्यान्ह भोजन पकाने के लिए समूह/रसोयिओं को गैस कनेक्शन मिले।

4. **धुंआ**– जहां तक सम्भव हो ''धुंआ रहित चूल्हों'' का प्रयोग करना चाहिए। साधारण चूल्हों से निकलने वाला धुंआ फेफड़ों और आंखों को नुकसान पहुंचाता है। बारिश के दिनों के लिए ईंधन को साफ और सूखा रखने की व्यवस्था होना चाहिए।

5. **स्वच्छता**– जो भी लोग मध्यान्ह भोजन की सामग्री देख–रेख में या भोजन पकाने और खिलाने से जुड़े हों, उन्हें अपनी निजी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। (जैसे, नियमित रूप से नाखून काटना, रसाईघर में आने वालों को अपने बालों को बांधे रखना, खाना पकाने व खिलाने के पहले हांथ–पैर साबुन से अच्छी तरह साफ रखना।

6. **खाने की गुणवत्ता**– पकाने के काम में आने वाली सभी चीजें (जैसे– अनाज, दालें, सब्जियाँ, तेल, मसाले आदि) मिलावट व कीड़े–फफूंद रहित आदि होनी चाहिए और उनका उपयोग अच्छी तरह से साफ करने, धोने आदि के बाद ही करना चाहिए।

7. **पका हुआ खाना** – खाना पकाने के बाद जब खाने के लिए तैयार हो, तब उसे ढक कर और कीड़ों से बचाकर रखना चाहिए।

8. **स्वास्थ्य जांच**– इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए किस रसाई बनाने वाले व उनके सहायक किसी प्रकार के संक्रामक रोग से पीड़ित तो नहीं हैं क्योंकि वे भोजन के साथ संक्रमण भी लैला सकते हैं उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए।

9. **खाना खाने के बर्तन** – योजना की व्यवस्था के अनुसार हर स्कूल में बच्चों की संख्या के मुताबिक खाना खाने के बर्तन उपलब्ध कराये गए हैं। बच्चों को अपने घर से बर्तन लाने के लिए नहीं कहा जाएगा।

10. **बर्तनों की सफाई** – पकाने और परोसने वाले सभी बर्तनों को हर दिन खाना पकाने के और परोसने वाले सभी बर्तनों को हर दिन खाना पकाने के बाद अच्छी तरह मांज–धो और सुखाकर रखना चाहिए।

11. **कचरा का निपटारा**– कचने के निपटारों की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। उसे यों ही खुले में नहीं फेंकना चाहिए।

12. गुणवत्ता की जांच की नियमित व्यवस्था – इस योजना के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि बच्चों को दिए जाने भोजन की नियमित रूप से चख कर जांच की जाना चाहिए। इसे चखने का काम शिक्षकों, शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों या समुदाय के अन्य लोगों द्वारा किया जाना चाहिए।

13. **निगरानी**– मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता की जांच की व्यवस्थाएं भी बनी हुई हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यालय इस जांच के लिए अधिकृत हैं। साथ ही केंद्रीयकृत रसोई में बनने वाले भोजन की जांच अधिकृत प्रयोगशाला में करवाई जायेगी।

मध्यान्ह भोजन योजना और सामुदायिक पहल

प्रायोगिक / मैदानी कार्य

कुछ बिन्दु	क्या कार्यवाही करें ?
योजना की स्थिति को जानना	अपने गांव / बस्ती के स्कूलों का भ्रमण करें और बच्चों से बात करके जानें कि मध्यान्ह भोजन योजना का क्रियान्वयन किस ढंग से हो रहा है?
बच्चों की खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ साथ मध्यान्ह भोजन योजना पर समुदाय से बातचीत	समुदाय से यह बात जरूर की जाना चाहिए कि बच्चों की खाद्य सुरक्षा की स्थिति क्या है
नियमितता की स्थिति	यह पता करें कि पिछले एक शिक्षा सत्र (यानी स्कूल लगने वाले दिनों में) में कितने दिन मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन हुआ?
भोजन का रुचिकर होना	क्या बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजना में प्राप्त होने वाला भोजन पसंद आता है? उन्हें क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है?
समुदाय का नजरिया	समुदाय से यह सघन रूप से बात करना कि उनका मध्यान्ह भोजन योजना के बारे में नजरिया क्या है? इसे और बेहतर करने की जरूरत है क्या? इसे बेहतर करने के लिए वे क्या कर सकते हैं?
मध्यान्ह भोजन से बुरे प्रभाव जानना	मध्यान्ह भोजन योजना में खाना खाने के बाद पिछले कुछ महीनों में कोई बच्चा बीमार तो नहीं हुआ?
शाला प्रबंधन समिति की भूमिका	स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित कर मध्यान्ह भोजन योजना की निगरानी की स्थायी व्यवस्था बनाना।
ग्राम सभा और पंचायत	मध्यान्ह भोजन योजना के विषय में ग्राम सभा और पंचायत की बैठक में चर्चा करना और बेहतरी के लिए व्यवस्था बनाने की पैरवी करना।

स्वयं सहायता समूहों से संवाद	मध्यान्ह भोजन पकाने वाले स्वयं सहायता समूह और रसोइये से सघन और निरंतर संवाद करना। यह जानना कि वे इस योजना का क्रियान्वयन कैसे करते हैं? उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं आती है?
	जहाँ भोजन पकता है, क्या वह स्थान/रसोई सुरक्षित है, वहां स्वच्छता है?
भोजन पकाने की सामग्री	भोजन पकाने की सामग्री कहँ से खरीदी जाती है? क्या उन सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है?
राशन व्यवस्था से अनाज मिलना	क्या नियमित रूप से राशन के दुकान से जरूरत के मान से अनाज मिल जाता है? उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है?
साप्ताहिक भोजन सूची	क्या बच्चों को नियमित रूप से साप्ताहिक भोजन सूची (मेनू) के अनुसार भोजन मिलता है?
समुदाय का योगदान	भोजन को बेहतर बनाने में समुदाय अपनी तरफ से अंडे, सब्जियां या कोई अन्य खाद्य सामग्रियां उपलब्ध करवा सकता है। शाला प्रबंधन समिति उन सामग्रियों की गुणवत्ता को जांच सकती है और संतुष्ट होने पर उसके उपयोग का निर्णय ले सकती है।
मध्यान्ह भोजन की मानकों मुताबिक व्यवस्था बनाना	अब हम जानते हैं कि मध्यान्ह भोजन योजना के मानक क्या है? इन मानकों के हिसाब से योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की प्रक्रिया चलायें।
सामाजिक अंकेक्षण	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और मध्यान भोजन योजना के अपने दिशा निर्देशों के मुताबिक ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया चलायें।

सामाजिक अंकेक्षण आयोजित करने की प्रक्रिया

मुख्य चरण/स्तर	मुख्य कार्यवाहियां और उनकी तकनीक
मुख्य जिम्मेदारी तय करना	सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को संचालित करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से ग्राम सभा की होती है। जब हम मध्यान्ह भोजन योजना के सामाजिक अंकेक्षण के बारे में बात करते हैं, तब शाला प्रबंधन समिति और ग्राम सभा के द्वारा नामांकित सदस्यों के द्वारा सामूहिक रूप से सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया संचालित की जा सकती है। सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी/जानकारी इकठ्ठा करने का काम सामाजिक अंकेक्षक सहजकर्ता (सामाजिक अंकेक्षण समिति, मध्यप्रदेश) के सहयोग से शाला प्रबंधन समिति और ग्राम सभा के द्वारा नामांकित सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। इस काम में स्थानीय स्तर पर काम कर रही सामाजिक संस्था/संगठन को जोड़ा जा सकता है। इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम में शामिल युवाओं की भूमिका अहम हो सकती है।
सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के मुख्य चरण	1. सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया अंकेक्षण के दिन से कम से कम 30 दिन पहले शुरू कर दी जाना चाहिए। अंकेक्षण की तारीख तय करके एक महीने पहले समुदाय को बता दी जाना चाहिए। 2. सबको योजना और सामाजिक अंकेक्षण के बारे में पूरी जानकारी देना। 3. योजना के अलग अलग हिस्सेदारों/भूमिका निभाने वालों से जानकारियां इकठ्ठा करना। 4. बच्चों से संवाद करके योजना के बारे में उनके मन की बात को जानना और उन्हें यह अहसास दिलाना कि उनके द्वारा कही गयी सच्ची बातों के लिए उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। 5. जो भी जानकारियां (तथ्यात्मक और सूचनात्मक) इकठ्ठा होती हैं, उनमें से चुनिन्दा जानकारियों को ड्राइंग शीट या बड़े कागज या बड़े कपड़े पर लिखना और उनका सामाजिक अंकेक्षण स्थल पर प्रदर्शन करना।

समुदाय के साथ संवाद और उन्हें मध्यान्ह भोजन योजना की जानकारी देते हुए सामाजिक अंकेक्षण के बारे में बताना	गंव/बस्ती/वार्ड में समुदाय (मुख्य रूप से वे लोग, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं और मध्यान्ह भोजन योजना में खाद्य सुरक्षा के हक के पात्र हैं) के साथ संवाद करना। हर व्यक्ति को यह बताया जाना चाहिए कि मध्यान्ह भोजन योजना एक कानूनी हक आधारित योजना है और इसके तहत आठवीं कक्षा तक के हर बच्चे को मध्यान्ह भोजन पाने का हक है। कानून के अनुसार समुदाय को यह अधिकार है कि वह इस कानूनी योजना के हर पहलू का अंकेक्षण करे।
मूल जानकारियां इकठ्ठा करना और मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन की स्थिति को जांचना {इस प्रक्रिया में हमें सतर्कता से मध्यान्ह भोजन योजना के बारे में आने वाली जानकारियों को परखना होगा। जो भी तथ्य और अनुभव हमारे सामने रखे जाएँ, उनमें से हमें यह जरूर देखना होगा कि जो दिक्कतें बतायी गयीं, वे क्रियान्वयन से सम्बंधित हैं या योजना के मूल विचार और सोच के बारे में।}	इस चरण में हम कुछ बुनियादी जानकारियां इकठ्ठा करेंगे – **स्कूल से (बातचीत करके और आधिकारिक दस्तावेजों से जानकारी लेना)** स्कूल में प्राथमिकध्माध्यमिक कक्षा में कुल कितने बच्चे पंजीकृत है? स्कूल में सत्र के हर माह में औसतन उपस्थिति कितनी होती है? कुछ खास तारीखों पर स्कूल में कक्षावार उपस्थिति (उदाहरण के रूप में) की जानकारी जरूर लें? स्कूल में शौचालय की उपलब्धता और उपयोगिता की स्थिति क्या है? स्कूल में पीने के साफ पानी के स्रोत की उपलब्धता और उपयोगिता क्या है? स्कूल भ्रमण पर आने वाले अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के द्वारा रजिस्टर में लिखी गयी टीपों का अवलोकन। रसोई घर के रखरखाव की व्यवस्था क्या है? स्वयं सहायता समूह/रसोईयों से (बातचीत करके और समूह के रजिस्टर/दस्तावेजों से जानकारी लेना) यह जानकारी इकठ्ठा करें कि स्कूल के सत्र के हर माह में औसतन कितने बच्चों के मध्यान भोजन योजना में भाग लिया? जिन दिनों की कक्षा वार उपस्थिति की जानकारी हमने ली है, उन्ही दिनों के भोजन पाने वाले बच्चों की संख्या की जानकारी लें। स्वयं सहायता समूहों को मध्यान भोजन के लिए कितनी राशि का भुगतान होता है? इसके लिए समूह के द्वारा प्रस्तुत किये गए हर माह के बिल की प्रति हासिल करें। उनके बैंक खाते की पासबुक से देखें कि उन्हें कब–कब भुगतान हुआ है? समूह/रसोइये भोजन के लिए कच्ची सामग्री कहाँ से लाते हैं? एक बार में कितनी लाते हैं? उन सामग्रियों को रखनेध्भण्डारण की व्यवस्था क्या है? समूह के सदस्य कौन–कौन हैं? वे किन सामाजिक समूहों से सम्बन्ध रहते हैं?

	रसोईये कौन हैं? वे किस सामाजिक समूह से सम्बन्ध रखती हैं? समूह के सदस्य की रसोइये की भूमिका में हैं या नहीं? क्या उन्हें नियमित रूप से राशन की दुकान से अनाज मिल जाता है? राशन की दुकान से अनाज परिवहन की व्यवस्था क्या है? क्या अनाज मिलने में कभी देरी होती है? यदि हाँ, तब क्या व्यवस्था की जाती है? **रसोई घर की स्थिति क्या है?** खाना पकाने के लिए लकड़ी इस्तेमाल होती है या गैस या धुआं रहित चूल्हा? **शाला प्रबंधन समिति से (बातचीत करके और बैठक विवरण रजिस्टर से)** क्या शाला प्रबंधन समिति की बैठक होती है? क्या उन बैठकों में मध्यान्ह भोजन योजना पर कभी कोई चर्चा की गयी? क्या चर्चा की गयी? क्या कोई निर्णय लिए गया? क्या समिति ने समुदायों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए कोई पहल की? क्या समिति के सदस्य को भोजन को चख कर जांचते हैं? **ग्राम पंचायत से (बातचीत करके और पंचायत बैठक के विवरण से)** क्या ग्राम पंचायत की समिति मध्यान्ह भोजन की निगरानी करती है? किस तरह करती है? मध्यान्ह भोजन योजना को बेहतर बनाने के लिए पंचायत ने क्या–क्या कोशिशें कीं? **समुदाय से** गांव/बस्ती/वार्ड के आम लोगों से मध्यान्ह भोजन योजना के बारे में चर्चा करके उनके अनुभव जानना और यह समझने की कोशिश करना को वे इस योजना के बारे में क्या सोचते हैं?
मध्यान्ह भोजन योजना के प्रावधानों के मुताबिक स्पष्ट जानकारी इकट्ठा करना	क्या स्कूल खुलने वाले हर दिन भोजन मिलता है? क्या मेनू/सप्ताह के दिन के लिए तय भोजन के मुताबिक भोजन मिलता है? सभी बच्चे एक साथ बैठ कर खाना खाते हैं? किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है? क्या स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे हैं, जो मध्यान्ह भोजन योजना में खाना खाने के बजाये खाना खाने के लिए हर दिन घर जाते हैं? यदि हाँ तो क्यों? सभी बच्चों के लिए खाना खाने के बर्तन उपलब्ध हैं? यदि क्षेत्र सूखा प्रभावित है, तो क्या गर्मियों की छुट्टी में भी भोजन मिलता है? भोजन की गुणवत्ता कैसे होती है? बच्चों को भोजन रुचिकर लगता है?

बच्चों से सघन संवाद करना	मध्यान्ह भोजन योजना का मकसद बच्चों की पोषण युक्त खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। इस प्रक्रिया में
सामुदायिक समीकरणों/आपसी रिश्तों में टकराव आदि के बारे में जानकारी रखते हुए सजग रहना	इन बातों की संभावना बहुत कम हो सकती है, किन्तु फिर भी हमें सजग रहते हुए यह देखना होगा कि कहीं स्थानीय स्तर पर समुदाय में कहीं कोई आपसी मन–मुटाव तो नहीं है! इसी तरह स्वयं सहायता समूह के परिप्रेक्ष्य में भी हमें यह जानना होगा कि उनका चुनाव कैसे हुआ? कहीं कोई उनके काम में बाधा तो उत्पन्न नहीं करता है? क्या समूह के बारे में कभी कोई शिकायत की गयी? शिकायत किसने की थी और उस शिकायत का क्या हुआ? सामाजिक अंकेक्षण के सन्दर्भ में ये सजगता जरूरी है, ताकि कोई टकराव की स्थिति न बने।
जानकारियों को एक बड़े कागज/ड्राइंग शीट पर लिखना	अब हमारे पास मध्यान्ह भोजन योजना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी है। अब हमें मुख्य–मुख्य जानकारी को बड़े–बड़े शब्दों में किसी शीट या बोर्ड या कपड़े पर लिखना है ताकि सामाजिक अंकेक्षण की जगह पर उनका प्रदर्शन किया जा सके। हम इन जानकारियों का प्रदर्शन करें – 1. स्कूल में दर्ज बच्चों की कुल संख्या 2. स्कूल में जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवंबर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में बच्चों की औसत उपस्थिति 3. स्कूल में जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवंबर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में मध्यान्ह भोजन कितने दिन दिया गया? 4. स्कूल में जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवंबर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में औसतन कितने बच्चों के भोजन पाया? 5. मेनू के मुताबिक भोजन मिल रहा है? मेनू क्या है? 6. समुदाय के द्वारा बताए गए 5 बिंदु (एक शीट) 7. शिक्षकों के द्वारा बताए गए 5 बिंदु (एक शीट) 8. बच्चों के द्वारा बताए गए 5 बिंदु (एक शीट) 9. शाला प्रबंधन समिति द्वारा बताए गए 5 बिंदु (एक शीट) 10. पंचायत द्वारा बताए गए 5 बिंदु (एक शीट) 11. स्वयं सहायता समूह द्वारा बताए गए 5 बिंदु (एक शीट) 12. मध्यान्ह भोजन योजना से हुए 5 लाभ (एक शीट) 13. मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन में आ रही 5 चुनौतियां (एक शीट) 14. मध्यान्ह भोजन योजना को बेहतर बनाए के लिए 5 सुझाव (एक शीट)

प्रायोगिक/मैदानी कार्य – 9

शाला प्रबंधन समिति – गठन, भूमिका, कार्य और जिम्मेदारी

उद्देश्य – प्रारंभिक शिक्षा को बेहतर करने के लिए शाला प्रबंधन समिति को सशक्त बनाना

पृष्ठभूमि

बेहतर समाज के निर्माण के लिए समाज के हर सदस्य को गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा का अधिकार मिलना जरूरी है। हम सब जानते हैं कि परतंत्रता के दौर में देश की शिक्षा व्यवस्था को कमजोर किया गया और उसके बाद शिक्षा के अधिकार को लैंगिक, जातिगत और आर्थिक गरीबी की चुनौतियों के बीच फंसा दिया गया। सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, समान और अबाध तरीके से शिक्षा का अधिकार मिल सके, इसके लिए कई दशकों से संघर्ष चल रहा है। परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2002 में शिक्षा के अधिकार को हमारे संविधान में मौलिक अधिकार का का दर्जा दिया गया।

भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 में देश के प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है। सन् 2002 में भारत सरकार द्वारा इस अनुच्छेद (21 {क}) में शिक्षा का अधिकार भी शामिल कर लिया गया। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार दिया गया है। इसके वावजूद बहुत से बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए एक मजबूत व महत्वपूर्ण प्रयास 'शिक्षा अधिकार कानून' है, इसे शिक्षा जगत में एक बड़ी उम्मीद के रूप में पूरा देश और दुनिया देख रही है।

बच्चों को भय मुक्त वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले इसके लिए स्कूल तय मानकों पर खरा उतरे, बच्चे बाल केन्द्रित पद्धति से सीखें और आगे बढ़ें। ऐसी शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी और पालकों का कर्तव्य (अनुच्छेद 50 {क}) है।

हमारे मध्यप्रदेश और पूरे देश में दिनांक 1 अप्रैल 2010 को यह कानून लागू किया गया, और दिनांक 26 मार्च 2011 को मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के नियम लागू किए थे। इन नियमों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 कहा जाता है।

शिक्षा का अधिकार मतलब?

शिक्षा के अधिकार कानून में 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई जरूरी और महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। मकसद है हर बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करना।

हर बच्चा, चाहे वह लड़की हो या लड़का, वह किसी भी जाति या धर्म का हो, या वह किसी भी प्रकार की विकलांगता से पीडित हो, यह कानून सभी बच्चों को कम से कम प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा आठ तक) उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। यानी हर बच्चे का शाला में प्रवेश लेने और अपनी (कक्षा आठ तक) शिक्षा पूरी करने का अधिकार है।

किसी भी बच्चे को स्कूल में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है।

इस शिक्षा अवधि में किसी बच्चे को किसी कक्षा में किसी कारण से रोका या अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता और न ही किसी कारण से किसी बच्चे को स्कूल से निकाला जा सकता है। जब तक कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी न हो जाए।

शाला प्रबंधन समिति

हमें यह याद रखना चाहिए कि केवल कानून बन जाने से हमारे बच्चों को अच्छी, सच्ची, गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा का अधिकार नहीं मिल सकता है। शिक्षा के अधिकार का यह सपना तभी साकार हो सकता है, जब समुदाय इस हक को मान्यता देगा और शिक्षा व्यवस्था की निगरानी करने की जिम्मेदारी खुद संभालेगा। खेत में जब बीज पड़ा होता है, तब किसान अक्सर खेत की तरफ जाता है और देखता है कि सबकुछ ठीक–ठाक है कि नहींय लेकिन जब बीज नहीं भी पड़ा होता है और फसल कट चुकी होती है, तब भी वह खेत की तरफ जाता है, उसे देखता है। वह अपनी आँखों से देख कर सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि कहीं कुछ गडबड तो नहीं है। जितना सुन्दर और उपजाऊ किसान के लिए अपना खेत होता है, उतनी ही सुन्दर और उपजाऊ अपनी पाठशाला भी तो है; लेकिन लोग अक्सर उसे देखने, उसके हाल–चाल जानने नहीं जाते हैं। जैसे खेत किसान का अपना होता है है, उसी तरह क्या वह पाठशाला लोगों की अपनी संस्था नहीं है, जिसमें उनके बच्चों का भविष्य और समाज के मूल्य गढे जा रहे हैं। इसी सोच के आधार पर शिक्षा के अधिकार कानून में शाला प्रबंधन समिति की व्यवस्था बनायी गयी है और उसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी गयी है।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और नियम 2011 के मुताबिक राज्य की सभी सरकारी और सरकार से अनुदान/सहायता पाने वाली प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में शाला प्रबंधन समिति गठन करने का प्रावधान किया गया है। शालाओं में गठित यह एक वैधानिक समिति है, जो शिक्षा व्यवस्था यानी स्कूल में समुदाय और पंचायत की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करती है।

शाला प्रबंधन समिति शाला के विकास के लिए योजना बनाने, वित्तीय प्रबंधन, शाला के संचालन और नियमित देखरेख का काम करती है। इस समिति के गठन का उद्देश्यि है कि शालाओं में ज्यादा से ज्यादा समुदाय की भागीदारी बढ़े ताकि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा आसानी से अपने पड़ोस की शाला में सुलभ हो सके। इसके साथ ही शाला के प्रबंधन और अकादमिक गतिविधियों में भी समुदाय की भागीदारी बढ़े ताकि बच्चों का शिक्षण स्थानीय भाषा और परिस्थितियों के अनुरूप हो सके।

स्पष्ट रूप से देखा जाए तो शिक्षा अधिकार कानून के तहत बने प्रावधानों की निगरानी करने और व्यवस्था को सही रूप देने के लिए हर पहलू से शाला प्रबंधन समिति का सक्रिय जुड़ाव होता है।

शिक्षा अधिकार कानून के प्रमुख प्रावधान

- 6 साल से 14 साल उम्र के हर बच्चे (बालक–बालिका) को अपनी 8 वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इस हेतु शाला द्वारा बच्चों से कोई फीस /शुल्क या खर्च नहीं लिया जाएगा। (कानून की धारा 3)

- जहां कोई बच्चा (बालक/बालिका) जिसकी उम्र 6 वर्ष से अधिक है , और वह कभी शाला नहीं गया, या शाला त्यागी हो गया था या पढ़ाई छोड़ दी थी, तो उसे उसकी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि बच्चा 10 साल का है तो उसे चौथी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रकार दर्ज किए गए बच्चों (बालक/बालिकाओं) को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि कक्षा में दर्ज अन्य बच्चों के समान स्तर पर आ सकें, और जब वे उस स्तर को प्राप्त कर लेंगे तो उन्हें अपनी कक्षा में शामिल कर दिया जाएगा। (कानून की धारा 4)

- पड़ोसी शाला (घर के नजदीक शाला) उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत और नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकाय (नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत) की है। इस कानून के लागू होने के तीन वर्ष के अंदर सभी बस्तियों के नजदीक यानी 1 किलो मीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय और 3 कि.मी. के अंदर माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। (कानून की धारा 6)

- ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकाय जैसे नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत द्वारा पलायन पर आने वाले परिवारों को चिन्हित किया जाएगा, ऐसे परिवारों की सूची बनाई जाएगी और इन परिवारों के बच्चों को शाला में दर्ज कराया जाएगा और बच्चों के विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई जाएगी।

- प्रवासी परिवार (ऐसे परिवार जो मजदूरी आदि के लिए दूसरे स्थान पर जाते हैं) के बच्चों के शाला प्रवेश को सुनिश्चित करना।

- विकलांग बच्चों (बालक–बालिकाओं) को भी अपने नजदीक की शाला में भर्ती किया जाएगा। इन बच्चों को शिक्षा और सीखने से संबंधित विशेष सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। और यदि शाला दूर है या विकलांग बच्चे को शाला तक आने में दिक्कत है तो ऐसे बच्चों (बालक–बालिकाओं) के शाला तक आने–जाने के लिए वाहन की व्यवस्था की जाएगी। हर शाला में रैम्प (आने–जाने के लिए ढालू रास्ता) बनाया जाएगा ताकि विकलांग बच्चों को शाला के अंदर आने में असुविधा न हो।

- किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे, बालिकाएं और विकलांग बच्चों के साथ किसी शाला में किसी तरह का भेदभाव न हो और न ही कोई ऐसी बात हो जो बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा को पूरी करने से रोके।

- राज्य सरकार और स्थानीय निकाय, यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, बी.पी.एल. परिवार, और विकलांग बच्चों के साथ–कक्षा में, मध्यान्ह भोजन के दौरान, खेल में, पीने के पानी और शौचालय के उपयोग में किसी तरह का भेदभाव न किया जाए और शौचालय या कक्षा की सफाई करने में भी किसी तरह का भेदभाव न किया जाए।

- निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए, निजी शालाओं में और केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विशिष्ट श्रेणी के स्कूल जैसे केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय आदि में 25 प्रतिशत सीट स्कूल के नजदीक

रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वंचित वर्ग एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के बच्चों (बालक–बालिकाओं) के लिए आरक्षित की गईं हैं। (कानून की धारा 12)

- जिन शालाओं में शाला पूर्व शिक्षा की व्यवस्था है, यानी जो शालाएं नर्सरी कक्षा से शुरू होती हैं, उन शालाओं की शुरूआती कक्षा में 25 प्रतिशत स्थान पर उपरोक्त के अनुसार ही आसपास के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा।
- बालक या बालिका को किसी शाला में प्रवेश देते समय कोई शुल्क जैसे दान, चंदा, व्यय आदि नहीं लिया जाएगा।
- शाला में प्रवेश देने हेतु कोई प्रवेश परीक्षा या अनुवीक्षण प्रक्रिया नही की जाएगी। किसी बालक– बालिका, माता–पिता या संरक्षक का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
- हर बच्चे को स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा चाहे उसके पास आयु का सबूत है या नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र न होने पर बच्चे को शाला में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है। (कानून की धारा 14 {2})
- 6 से 14 वर्ष उम्र के किसी बच्चे (बालक–बालिका) को शाला में प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा। शिक्षा सत्र के प्रारंभ होने के समय जुलाई में या इसके बाद कभी भी बच्चे को स्कूल में दाखिलाध्प्रवेश दिलाया जा सकता है। (कानून की धारा 15 और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 (मध्यप्रदेश) का नियम 10)
- जिन बच्चों को शाला में प्रवेश दिया गया है उन्हें प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा यानी फेल नहीं किया जाएगा और किसी कारणवश शाला से उनका नाम भी नही काटा जाएगा। (कानून की धारा 16)
- **बच्चों को दंड –** किसी बच्चे को किसी तरह का शारीरिक दण्ड जैसे (मार–पीट, मुर्गा बनाना, बेंच पर खड़ा करना आदि) और मानसिक उत्पीड़न (जैसे जाति, धर्म, सूचक शब्द, शारीरिक विकलांगता के शब्द का प्रयोग या किसी अन्य तरह से) नहीं किया जा सकता है। यदि किसी शिक्षक के द्वारा किसी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न किया जाता है तो ऐसे शिक्षक के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। (कानून की धारा 17)

शिक्षा अधिकार कानून में शाला प्रबंधन समिति की भूमिका

शाला प्रबंधन समिति

स्कूल शिक्षा को बेहतर करने में शिक्षक, समुदाय, और स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों की अहम भूमिका है, ये लोग बच्चों की शिक्षा में सहयोग करने के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और आपस में एक दूसरे को सहयोग करें तो हर गांव/बस्ती का स्कूल बेहतर परिणाम दे सकता हैं। इन्ही बातों को ध्यान में रखते हुए स्कूल में समुदाय की

सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी, स्थानीय निकाय द्वारा संचालित और सरकार से सहायता प्राप्त सभी प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में शाला प्रबंधन समिति गठन करने का प्रावधान है।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 (1) एवं दिनांक 26 मई 2014 को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 (मध्यप्रदेश) में नियम 12 में किए गए संशोधन के अनुसार, माह जुलाई 2015 में सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में हर शाला स्तर पर शाला प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। इस समिति में शाला में दर्ज बच्चों के माता–पिता या संरक्षक, चुने हुए जनप्रतिनिधि और शिक्षक शामिल हैं।

शाला प्रबंधन समिति की सदस्यता

इसमें प्राथमिक शाला के लिए 18 सदस्य और माध्यमिक शाला के लिए 16 सदस्यों का चुनाव किया गया है। समिति में तीन चौथाई सदस्य स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माताधपिता या अभिभावक में से चुने गए हैं। समिति में 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं है। इस समिति में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष हैं जो समिति के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुने गए हैं। इसमें अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में से एक पद महिला के लिए है।

उपरोक्त सदस्यों के अलावा 2 मनोनीत सदस्य स्थानीय निकाय से पंच या पार्षद होते हैं इनमें एक महिला होना जरूरी है। एवं 2 मनोनीत सदस्य स्कूल के शिक्षक होते हैं इनमें शाला के हेडमास्टर या वरिष्ठ शिक्षक या शिक्षिका इस समिति के सचिव होते हैं। इसके अलावा एक शिक्षक/शिक्षिका सदस्य होते हैं।

शाला प्रबंधन समिति का कार्यकाल

शाला प्रबंधन समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का है यानी हर दो वर्ष के बाद इस समिति का पुर्नगठन करने का प्रावधान है। इस वर्ष जुलाई 2015 में समिति का पुर्नगठन किया गया है, यह समिति 2017 तक कार्य करेगी।

शाला प्रबंधन समिति की बैठक

शाला प्रबंधन समिति की बैठक महीने में कम से कम एक बार होगी, इस बैठक की कार्यवाही और निर्णयों को रजिस्टर में लिखा जाएगा। समिति द्वारा लिए गए निर्णय और मीटिंग के कार्यवाही जनता के लिए उपलब्ध होंगे।

यह समिति शाला की देखरेख और निगरानी (मानिटरिंग), प्रबंधन से संबंधित कार्य, वित्तीय प्रबंधन एवं शाला विकास योजना बनाने का काम करेगी।

शाला प्रबंधन समिति के काम और जिम्मेदारियां

भूमिका

1. विद्यालय के कामकाज की देखरेख करना– यानी विद्यालय समय पर खुले, समय पर बंद हो, बच्चे नियमित स्कूल आएं, शाला में पढ़ाई हो और बच्चे अपने स्तर के अनुसार सीखें।

2. विद्यालय के लिए विकास की योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना।

3. सरकार से, शिक्षा विभाग से या अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदान (आर्थिक सहयोग/वित्तीय संसाधन) एवं उसके उपयोग की देखरेख करना।

4. ऐसे अन्य कार्य करना जो विहित किए जाएं।

इन कामों के क्रियान्वयन के लिए समिति द्वारा अपने सदस्यों के बीच से छोटी–छोटी उप–समितियां भी बनाई जा सकेंगी।

कार्य और जिम्मेदारियां

क. शाला के आसपास की सीमा में रह रहे जनसमुदाय (लोगों) को अधिनियम में तय किए गए बच्चों के अधिकारों और राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी यानी ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय, शाला, एवं माता–पिता और अभिभावक के कर्तव्य के बारे में आसान और रचनात्मक तरीके से जानकारी देना।

ख. समिति निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करेगी कि –

- सभी शिक्षक नियमित और समय पर शाला में उपस्थित हों। (धारा 24 क)
- माता–पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें हो जिनमें कि हर बच्चे की शाला में उपस्थिति और नियमितता, उसके सीखने के स्तर, सीखने की प्रगति एवं अन्य बातों के बारे में माता–पिता और अभिभावकों को जानकारी दी जाए। (धारा 24 ङ)
- कोई शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण कार्य न करे। (धारा 28)

ग. यह समिति देखेगी शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य में न लगाया जाए। 10 वर्षीय जनसंख्या जनगणना, लोकसभा, विधान सभा एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव और विभीषिका राहत कार्य के अलावा शिक्षक को अन्य गैर–शैक्षणिक कार्यों में नही लगाया जाएगा। (धारा 27)

घ. यह समिति सुनिश्चित करेगी कि शाला के आसपास क्षेत्र में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे (बालक–बालिका) शाला में दर्ज किए गए हैं और वे रोज शाला आ रहे हैं।

ङ. अधिनियम में शाला हेतु तय किए गए मान और मानकों के रख–रखाव हेतु देख–रेख (मानीटरिंग) करना।

च. बच्चों के अधिकारों की निगरानी रखना– बच्चों के अधिकारों का किसी तरह से हनन होने पर जैसे– मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न, शाला में प्रवेश देने से इन्कार करना, या धारा 3 (2) में बताए अनुसार छात्र से किसी तरह का फीस, शुल्क, व्यय या प्रभार मांगे जाने पर यह समिति इस विषय मे स्थानीय प्राधिकारी यानी ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत और नगरीय क्षेत्र में नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम को इस बारे में जानकारी देगी।

छ. 6 वर्ष से अधिक उम्र के बालकों को विशेष प्रशिक्षण, आवासीय या गैर आवासीय ब्रिज कोर्स में प्रवेश दिए जाने पर यह समिति उनकी जरूरतों को पहचानेगी, उसके अनुसार कार्ययोजना तैयार करेगी और क्रियान्वयन की देखरेख (मानीटरिंग) करेगी। (धारा 4)

ज. यह समिति दिव्यांग बालक–बालिकाओं की पहचान कर उनका शाला में नामांकन कराएगी। दिव्यांग बच्चों को उनकी शिक्षा हेतु प्राप्त होने वाली सुविधाओं को मानीटर करेगी और उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होना सुनिश्चित करेगी।

झ. यह समिति शाला में चलाए जा रहे मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की देखरेख (मानीटरिंग) करेगी।

ञ. यह समिति शाला को प्राप्त हुए धन एवं उसके व्यय का वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करेगी।

ट. समिति द्वारा प्राप्त धन समिति के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। यह खाता समिति के अध्यक्ष और सचिव के संयुक्त नाम से खोला जाएगा। जब भी जरूरत हो इस खाते को आडिट के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

शाला विकास योजना

हर स्कूल को व्यवस्था और संचालन के लिए मानवीय, आर्थिक और वित्तीय संसाधन मिलते हैं। अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, शाला के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को अधिनियम में तय मान और मानकों के अनुसार पूरा करने के लिए शाला प्रबंधन समिति द्वारा शाला विकास योजना तैयार की जाएगी। यह योजना तीन साल के लिए तैयार की जाएगी। पहले तीन वार्षिक उप–योजनाएं तैयार की जाएंगी, फिर इन तीनों वार्षिक उप–योजनाओं को मिलाकर शाला विकास योजना बनाई जाएगी।

इसके अंतर्गत किसी भी शाला में दर्ज बच्चों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की आवश्ययकता और अतिरिक्त शिक्षकों की मांग, भौतिक अधोसंरचना जैसे अतिरिक्त कक्ष, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था, हर कक्षा के लिए सहायक शिक्षण सामग्री, खेल के सामान, एवं शाला की जरूरत के हिसाब से बजट का अनुमान भी शाला विकास योजना में किया जाएगा यह योजना स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं और दिए जाने वाले अनुदानों का आधार होगी।

शाला के मान और मानक

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में दी गई अनुसूची के अनुसार शाला के लिए निम्नलिखित मान और मानक तय किए गए हैं।

1. छात्र एवं शिक्षक अनुपातः

पहली से पांचवी कक्षा के लिए

बालक/बालिकाओं की संख्या	शिक्षकों की संख्या
60 बालक/बालिकाओं तक	2 शिक्षक
61 से 90 बालक/बालिकाओं हेतु	3 शिक्षक
91 से 120 बालक/बालिकाओं हेतु	4 शिक्षक
121 से 200 बालक/बालिकाओं हेतु	5 शिक्षक
200 बालक/बालिकाओं से ऊपर	5 शिक्षक एवं 1 प्रधानाध्यापक
200 बालक/बालिकाओं से अधिक बच्चे होने पर छात्र–शिक्षक अनुपात – 40:1 होगा यानी 40 बच्चों पर एक शिक्षक से अधिक नहीं होगा।	

छठी से आठवीं कक्षा के लिए

विवरण	शिक्षक संख्या
हर कक्षा के लिए निम्नलिखित विषयों के लिए शिक्षक होना चाहिए।	
विज्ञान एवं गणित के लिए	एक शिक्षक
सामाजिक अध्ययन के लिए	एक शिक्षक
भाषा के लिए	एक शिक्षक
जिस शाला में 100 से अधिक बच्चे दर्ज है।	1 पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक होना जरूरी है।
प्रत्येक 35 बालक/बालिकाओं के लिए छात्र शिक्षक अनुपात	35रू. 1 यानी 35 बच्चों पर 1 शिक्षक से अधिक नहीं
इसके अलावा कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा एवं कार्य शिक्षा विषयों के लिए अंशकालिक शिक्षक भी नियुक्त किए जा सकते है।	

शिक्षा अधिकार कानून के लागू होने से 6 महीने के अंदर सभी स्कूलों में उपरोक्त सूची के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण किया जाएगा। छात्र शिक्षक अनुपात को बनाए रखने के लिए किसी शिक्षक को किसी अन्य विद्यालय में पदस्थापित (अटैचमेंट) नहीं किया जाएगा।

2. शाला भवन के लिए तय मानक

- शाला में हर शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा होना जरूरी है एवं प्रधानाध्यापक के लिए एक कक्ष होना चाहिए यही कक्ष कार्यालय होगा एवं स्टोर रूम (भण्डार गृह) के रूप में उपयोग किया जाएगा।

- विद्यालय भवन ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां पहुंचने में दिक्कत न हो यानी सभी बच्चे आसानी से स्कूल पहुंच सकें।
- लड़कों और लड़कियों के लिए अलग–अलग शौचालय की व्यवस्था हो।
- बच्चों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने के लिए पानी उपलब्ध हो।
- विद्यालय में रसोई घर हो, जहां बच्चों के लिए दोपहर का भोजन पकाया जा सके।
- खेल का मैदान हो जहां बच्चे खेल सकें। हर शाला को कक्षा के अनुसार खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
- शाला भवन की सुरक्षा के लिए चारों ओर तार फेंन्सिग या चार दीवारी हो।
- हर शाला में एक पुस्तकालय होना जरूरी है। इस पुस्तकालय में अखबारध्समाचार पत्र, पत्रिकाएं, सभी विषयों की किताबें और कहानी की किताबें भी उपलब्ध रहेंगी।

3. कार्य दिवस

शाला के लिए कार्य दिवस एवं कार्य के घंटे निम्नानुसार तय किए गए हैं –

- पहली से पांचवीं तक कक्षा के लिए वर्ष में 200 कार्य दिवस तय किए गए है यानी 200 दिन शाला में पढ़ाई की जाएगी, इस प्रकार वर्ष में कम से कम 800 घंटे शाला में पढ़ाई होगी।
- छठीं से आठवीं तक की कक्षा के लिए वर्ष मे 220 कार्य दिवस तय किए गए है। यानी 220 दिन शाला में पढ़ाई होगी, इस प्रकार वर्ष में कम से कम 1000 घंटे पढ़ाई की जाएगी।

4. शिक्षकों के काम के घंटे और शैक्षणिक समय

शिक्षक सप्ताह में कम से कम 45 घंटे पढ़ाई का कार्य करेंगें। इसमें पढ़ाने हेतु तैयारी के घंटे भी शामिल है। यानी कम से कम साढ़े सात घंटे प्रतिदिन शिक्षक शाला में रहेंगे और शैक्षणिक कार्य या तैयारी करेंगे।

5. अध्यापन शिक्षण उपकरण

अध्यापन शिक्षण उपकरण (सामग्री) जरूरत के अनुसार हर कक्षा को शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

6. पुस्तकालय

हर विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा, इस पुस्तकालय में अखबारध्समाचार पत्र, पत्रिकाएं, सभी विषयों की किताबें और कहानी की किताबें भी उपलब्ध होगी।

7. खेल सामग्री, खेल और क्रीड़ा उपकरण

खेल–कूद के समान हर कक्षा को जरूरत के अनुसार उपलब्ध कराये जाएंगे।

नोट– उपरोक्त मानक सभी शासकीय और निजी प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं पर लागू होते हैं।

प्रस्तावित स्कूल आंकलन प्रपत्र

मध्य प्रदेश शाला सशक्तिकरण अभियान (शाला प्रबंधन व शाला विकास के लिए साझा पहल)

शाला के मान और मानक

स्कूल का नाम : गांव/बस्ती ब्लॉक जिला : दिनांक

आयाम	मानक	आंकलन का तरीका	स्तर हरा, पीला, लाल	बदलाव/ सुधार के लिए प्लान क्या, कब, कौन, कैसे
1.**Infrastructure** (अधो संरचना) संसाधन	• कमरे पर्याप्त है या नही (हर शिक्षक के लिए एक कक्षा) • जगह – कमरों में पर्याप्त जगह है। • विद्यालय सुरक्षित और आसान पहुंच में है। • चार दीवारी/तार फेंन्सिग है। • लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय की उपलब्धता और उपयोग की स्थिति, • सुरक्षित और पर्याप्त पीने का पानी • खेल का मैदान	– स्कूल जाकर देखना – कक्षा अवलोकन – जाकर देखना/बच्चों से चर्चा करना – स्कूल जाकर देखना – स्कूल जाकर देखना – जाकर देखना एवं शिक्षक एवं बच्चों से चर्चा करना – जाकर देखना		
2.शिक्षक	• छात्र एवं शिक्षक अनुपात • समय पर आना एवं जाना(साढ़े सात घंटे स्कूल में रहना) • शिक्षको द्वारा प्रतिदिन पढ़ाई कराना	– जाकर देखना एवं जानकारी लेना –		
3.विद्यार्थी	• दर्ज संख्या	– स्कूल रजिस्टर से जानकारी लेना। – अवलोकन एवं शिक्षक से पता		

	• बच्चों की नियमित उपस्थिति • सीखने का स्तर (गुणवत्ता)	करना / बच्चों से पूछना – बच्चों से प्रश्न पूछना /किताब पढ़ाना इत्यादि		
4.पढ़ाई का वातावरण(तरीका)	• शिक्षण सामग्री की उपलब्धता और उपयोग हर कक्षा अनुसार • पढ़ाने और सिखाने के तरीके • पुस्तकालय की उपलब्धता और उपयोग	–अवलोकन/जानकारी लेना –अवलोकन एवं जानकारी लेना		
5.एसएमसी और समुदाय	• एसएमसी की हर महीने मीटिंग • निर्णय में भागीदारी • लिए गये निर्णयों पर काम • समुदाय, पंच/ सरपंच / पार्षद का स्कूल से जुड़ाव	– एसएमसी सदस्यों से जानकारी लेना – मीटिंग एवं मीटिंग रजिस्टर का अवलोकन / जानकारी लेना		
6.समावेशी वातावरण	• भेदभाव रहित (जाति, धर्म, जेंडर, भिन्न क्षमता वाले) • मानसिक एवं शारीरिक दंड • खेलकूद एवं खेल सामग्री • सांस्कृतिक गतिविधियां	– जानकारी लेना/अवलोकन –जानकारी लेना/ अवलोकन –जानकारी लेना/ अवलोकन –जानकारी लेना/ अवलोकन		

आंकलनकर्ता टीम के नामः

प्रायोगिक/मैदानी कार्य

कुछ बिंदु	क्या कार्यवाही करें
शिक्षा के अधिकार के कानून की स्थिति और समुदाय से संवाद	शिक्षा के अधिकार के कानून के क्रियान्वयन की स्थिति का आंकलन/अध्ययन करना और समुदाय से इस पर सघन चर्चा करना। हमें यह जानना होगा कि गांव/बस्ती/स्थानीय समुदाय में शिक्षा के अधिकार (जिन बिंदुओं का उल्लेख ऊपर के अध्यायों में हुआ है) के क्रियान्वयन की क्या स्थिति है? शाला, शिक्षक, शिक्षा की गुणवत्ता, बुनियादी सुविधाओं आदि के बारे में समुदाय क्या सोचता है और क्या वह सामुदायिक पहल के लिए तैयार
शाला प्रबंधन समिति	सहज तरीकों से यह जानना कि क्या शाला प्रबंधन समिति बनी हुई है? यदि बनी हुई है तो उसमें कौन–कौन सदस्य हैं? क्या सदस्यों को समिति के बारे में और समिति की भूमिका के बारे में जानकारी है?
गांव/बस्ती स्तर पर शाला एवं शिक्षा व्यवस्था में समुदाय की सहभागिता को समझना। शाला प्रबंधन समिति की सक्रियता को समझना। क्या समिति के सदस्य, नियमिति मीटिंगों में आते हैं, वहां चर्चा में अपनी बात रखते हैं, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करते हैं, या सिर्फ दस्तखत करके आते हैं।	निम्नलिखित बिंदुओं को अवलोकन एवं चर्चा के द्वारा समझने का प्रयास करें – सदस्यों को मीटिंग की सूचना कैसे और कब प्राप्त होती है। बैठक में देखना कि कौन–कौन सदस्य आते हैं और कौन–नहीं आते हैं? जो सदस्य आते हैं क्या वे चर्चा में और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करते हैं? जो सदस्य मीटिंग में नहीं आते हैं, उनके मीटिंग में न आने के क्या कारण हैं। क्या शाला प्रबंधन समिति के सदस्य मीटिंग के अलावा भी कभी–कभी स्कूल आते हैं? वे कब–कब स्कूल आते हैं ? स्कूल में आकर वे क्या करते हैं। क्या समुदाय के सदस्य स्कूल आते हैं, यदि हां तो क्यों आते हैं, क्या बुलाने पर आते हैं या अपनी मर्जी से आते हैं, समुदाय के सदस्य स्कूल को क्या सहयोग करते हैं? क्या समुदाय के सदस्यों द्वारा स्कूल/शिक्षा के मुद्दों को ग्रामसभा में ले जाया गया है, या ग्रामसभा में स्कूल/शिक्षा के मुद्दों पर बात की गई है।
स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत के सदस्यों की भूमिका और भागीदारीः स्कूल और शिक्षा के मुद्दों पर स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत और ग्रामसभा की मीटिंग में बात होना।	निम्नलिखित बिंदुओं को अवलोकन एवं चर्चा के द्वारा समझने का प्रयास करें। क्या स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधि पंच/पार्षद, शाला प्रबंधन समिति की मीटिंग में आते हैं – वे स्कूल के कार्यों और जरूरतों में क्या सहयोग करते हैं। स्कूल की जरूरत/मुद्दों को क्या वे अपने निकाय/ग्राम पंचायत या ग्राम सभा की मीटिंग में रखते हैं,
बच्चों के शिक्षा के अधिकार की स्थिति	गांव/बस्ती में 6 से 14 साल के कुल कितने बच्चे हैं? क्या ये सभी बच्चे शाला में दर्ज हैं और नियमित स्कूल जा रहे हैं? क्या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नियमित स्कूल नहीं जा पाते हैं? स्कूल न जाने वाले या अनियमित जाने वाले कुल कितने बच्चे हैं? इन बच्चों के नियमित/स्कूल न जाने के क्या कारण हैं?

	बच्चों की हकदारियां : क्या सभी बच्चों को स्कूल से उनकी हकदारियां जैसे पुस्तकें, गणवेश, साइकिल, स्कालरशिप, आदि समय पर प्राप्त होती हैं, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। **बच्चों के अधिकार :** स्कूल में किसी बच्चे बालक–बालिका, के साथ जाति, धर्म, लिंग, विकलांगता या किसी अन्य आधार पर– कक्षा में, खेल के मैदान में, मध्यान्ह भोजन में, पानी पीने के दौरान, सफाई में या किसी अन्य गतिविधि में किसी तरह का भेद–भाव तो नहीं किया जाता है। किन किन बातों में किस–किस तरह का भेद भाव किया जाता है। बच्चे अपने कक्षा स्तर के अनुसार सीख रहे हैं या नहीं, क्या समुदाय, पंचायत, या समिति द्वारा इसका आंकलन किया जाता है। यदि नहीं तो क्या व्यवस्था है।
शाला प्रबंधन समिति को सक्रिय करना	स्कूल से प्राप्त की गई समिति सदस्यों की सूची के आधार पर सदस्यों से संपर्क करना। एस.एम.सी. सदस्यों की मीटिंग हेतु सदस्यों को स्कूल के बाहर किसी स्थान पर या स्कूल में उनके समय और सुविधा के अनुसार इकट्ठा करना। **सदस्यों के साथ चर्चा :** गांव/बस्ती के –बच्चों की शिक्षा की स्थिति के बारे में बात करना। कितने बच्चे नियमित स्कूल जाते हैं, वे क्या सीख रहे हैं कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं? क्या दिक्कतें हैं। –स्कूल के बारे में बात करना। क्या अच्छा है? क्या दिक्कतें और चुनौतियां हैं, स्कूल को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। इसी तरह अगली मीटिंग में शाला प्रबंधन समिति के काम जिम्मेदारियां और अधिकारों के बारे में बात करना। इस तरह की मीटिंग का उद्देश्यक लोगों को और समिति के सदस्यों को स्कूल में नियमित मासिक मीटिंग में आने हेतु प्रेरित करना है। ताकि अपने अनुभव और जानकारी के आधार पर शाला प्रबंधन समिति के सदस्य स्कूल में आयोजित होने वाली मासिक मीटिंग में सक्रिय भागीदारी कर सकें।

प्रायोगि/मैदानी काम की रिपोर्ट

अब तक यह बात स्पष्ट हो चुकी होगी कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण हक आधारित कानून है। और बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए शालाओं में गठित शाला प्रबंधन समिति की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमें यह सुनिश्चित करना है कि अपने गांव, पंचायत और समुदाय में इसे सही रूप में लागू करवाएं। इन्ही बातों के आधार पर आप अपने प्रायोगिक/मैदानी काम पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य – 10

गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994

जन्म लेने का अधिकार और लिंग परीक्षण

इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि हमारे समाज में बेटियों को बराबरी का स्थान नहीं दिया गया। लड़कों को समाज में संसाधन माना जाता है जबकि लड़कियों को संपत्तिय उन्हें खुद के जीवन, शरीर, सोच और व्यक्तित्व पर पूरा अधिकार नहीं मिलता है। पिछले 30–40 सालों में एक नई व्यवस्था, नए व्यवहार ने जन्म लिया है; वह व्यवहार है यह पता करने का कि गर्भ में जो भ्रूण (गर्भ में रहने वाला बच्चा) है, उसका लिंग क्या है? जो बच्चा जन्म लेने वाला है वह लड़का है या लड़की! इसे जन्म से पहले ही लिंग परीक्षण कहा जाता है। लिंग परीक्षण करने वाली तकनीक को अल्ट्रासाउंड–सोनोग्राफी कहा जाता है। अपने आप में यह तकनीक गलत नहीं है। वास्तव में इसका उपयोग गर्भवती महिला और उसके बच्चे की सुरक्षा और बेहतरी के लिए किया जाना था; किन्तु लैंगिक भेदभाव की सामाजिक विसंगति कई विशेषज्ञों के लिए "व्यापार का अवसर" बन गयी। वे इस तकनीक का उपयोग लिंग परीक्षण के लिए करने लगे।

जब अल्ट्रासाउंड–सोनोग्राफी तकनीक का उपयोग गर्भ में रहने वाले बच्चे के लिए किया जाने लगा, तो संकट और बढ़ गया। कई परिवारों में जैसे ही पता चलता कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़की है, उसे गर्भ में ही मारा जाने लगा। इसे लिंग परीक्षण आधारित गर्भपात कह सकते हैं।

जरा सोचिये कि गर्भ में बच्चे के लिंग की पहचान करके लड़की होने पर उसे मार देना; क्या एक सभ्य समाज का सूचक है? भारत में लिंग परीक्षण और लिंग परीक्षण आधारित गर्भपात को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्थाएं हैं; किन्तु ये कानूनी व्यवस्थाएं पूरी तरह से लागू हो न सकींय क्योंकि इस अपराध में समाज का भी एक तबका शामिल है। प्रायोगिक/मैदानी काम की श्रृंखला में हमें यह पहल करना है कि लड़कियों के अस्तित्व, स्वतंत्रता, गरिमा और सम्मान पर गांव/बस्ती/वार्ड में गंभीर चर्चाएं हों, बहस हो और ग्राम सभा–पंचायत के जरिये यह सुनिश्चित किया जाए कि समुदाय में किसी भी तरह का लैंगिक भेदभाव न हो।

वहाँ यह चर्चा हो कि गर्भ में बच्चे का लिंग परीक्षण करवाना या जन्म के बाद नवजात लड़की के साथ दुर्व्यवहार करना या उसकी हत्या करना या उसके जीवन के साथ प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से खिलवाड़ करना अमानवीय काम है, यह सामाजिक–कानूनी अपराध है। हमें केवल चर्चा नहीं करना है, बल्कि यह नजर भी रखना है कि हमारे क्षेत्र में किसी भी घर, परिवार या समुदाय में लड़कियों के साथ भेदभाव–दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है! अच्छे से यह चर्चा हो कि लैंगिक भेदभाव को रोकने के लिए कड़े कानून तो हैं ही, साथ में गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 भी लागू है। हमें इस कानून को लागू करने और करवाने के लिए सामाजिक माहौल बनाना है।

कुछ महत्वपूर्ण कानून और उनके प्रावधान

- भारतीय दंड संहिता की धारा 312 के अनुसार किसी भी गर्भवती महिला का स्वेच्छा से गर्भपात महिला के जीवन को बचाने के प्रयोजन से न किया जाए तो इसमें तीन साल की जेल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

- भारतीय दंड संहिता की धारा 313 के अनुसार यदि महिला की सहमति और इच्छा के बिना गर्भपात कराया जाता है, तो आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।

- भारतीय दंड संहिता की धारा 314 के अनुसार किसी के द्वारा किसी महिला का गर्भपात करके के मकसद से किये गए कार्यों से यदि किसी महिला की मौत हो जाये, तो इसके लिए 10 साल की जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है।

- भारतीय दंड संहिता की धारा 315 के अनुसार शिशु को जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म लेने के बाद उसकी मृत्यु सुनिश्चित करके लिए किये गए कार्य के 10 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।

- गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 के अनुसार गर्भ धारण करने और प्रसव से पहले लिंग परीक्षण करना और करवाना (दोनों कार्य) कानूनी अपराध हैं।

- लिंग चयन या परीक्षण के लिए किसी भी रूप में मदद करना या विज्ञापन के जरिये उसका प्रचार करना भी कानूनी अपराध है। इसके लिए 3 से 5 साल तक की कैद और 10 हजार से 1 लाख रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।

गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994

लड़के और लड़कियों के बीच सामाजिक–सांस्कृतिक और आर्थिक गैरबराबरी और भेदभाव को दर्शाता है हमारे देश का लिंग अनुपात। भारत में हालिया जनगणना (2011) के मुताबिक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है। लेकिन 6 साल से कम उम्र के बच्चों की कुल संख्या में लिंग अनुपात 919 है, यानी बच्चियों की संख्या कम हो रही है। यह हमारी पितृ सत्तात्मक व्यवस्था की चरित्र ही है जो लड़कियों के साथ केवल भेदभाव ही नहीं करता है, बल्कि उन्हें जन्म लेने भी रोक देता है। कई इलाकों में लड़कियां अगर जन्म ले भी लें, तो बहुत छोटी उम्र में उनकी हत्या ही कर दी जाती है। कारण – लैंगिक भेदभाव से पानी यह अमानवीय सोच और व्यवहार की पुरुष से ही परिवार, समाज और जीवन चलता है। उसी से सम्मान भी है और उसी से सम्पन्नता भी।

स्वास्थ्य विज्ञान के तहत सुरक्षित प्रसव के लिए महिला और गर्भ में रह रहे बच्चे की जांच के लिए अल्ट्रा साउंड–सोनोग्राफी की तकनीक आई। इसी तकनीक का उपयोग गर्भ में ही बच्चे के लिंग की पहचान के लिए किया जाने लगा। विशेषज्ञ समाज–परिवार–सम्बंधित सदस्य को जांच करके यह बताने लगे कि गर्भ में लड़का है या लड़की,

इसी के आधार पर जब यह पता चलने लगा कि गर्भ में लड़की है, तो उसकी गर्भ में ही हत्या की जाने लगी। इसे की कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं। यह माना जाता है कि जन्म के पहले लिंग परीक्षण करने और कन्या भ्रूण हत्या के मामले 1970 के दशक में सामने आये। शुरुआत में इनका दायरा बड़े शहरों और संपन्न तबकों के परिवारों तक सीमित रहा। इसके बाद सामाजिक संगठनों के इस मुद्दे पर आवाज बुलंद की। वर्ष 1988 में महाराष्ट्र जन्म पूर्व जांच तकनीकी प्रयोग अधिनियम 1988 बना। इसके बाद देश में कन्या भ्रूण हत्या के मामले को बहुत साफ तौर पर देखा जाने लगा। आंकड़े यह साबित कर रहे थे कि लड़कियों के साथ कोई गंभीर अपराध हो रहा है।

तब केंद्र सरकार ने जन्म पूर्व तकनीकी दुरूपयोग (विनियम एवं रोकथाम) अधिनियम 1994 बनाया और लागू किया। इस कानून का मकसद था कि अनुवांशिक बीमारियों या जन्मजात विकृतियों–विकलांगता और लिंग सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने या उनके उपचार में जन्म पूर्व तकनीक के प्रयोग के लिए नियम आधारित व्यवस्था बनाना और यह सुनिश्चित करना कि लिंग परीक्षण के लिए इन तकनीकों का दुरूपयोग न हो।

इस कानून का क्रियान्वयन बहुत तत्परता के साथ नहीं हुआ। जिसके कारण जन्मपूर्व लिंग परीक्षण होते रहे और कन्या भ्रूण हत्याएं भी होती रहीं। एक तरफ तो समाज में बच्चियों के खिलाफ व्यवहार हो रहा थाए तो वहीँ दूसरी तरफ कई लोग और संस्थाएं मिलकर यह कोशिश कर रहे थे कि इस कानून और कड़ा बनाया जाए और उसका पालन भी हो।

यह भी देखा गया कि कई लोग पहले से यह जांचें करवाने लगे हैं कि यदि महिला गर्भधारण करे तो गर्भ में लड़का अस्तित्व में आएगा या लड़की! यह जांच पुरुष के वीर्य में मौजूद क्रोमोसोम्स की पड़ताल करके की जाती है। इससे लोग यह तय करने लगे कि वे कोई ऐसा उपचार करवाएं जिससे लड़के का जन्म हो जाए। यह भी होने लगा कि समाज का एक तबका लड़के के जन्म के लिए भांति–भांति के उपचार करवाने लगा।

इसके बाद 1994 के कानून को गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम का रूप दिया गया। इस कानून में गर्भ–धारण के पहले ही लिंग की पहचान के लिए की जाने वाली कोशिशों को शामिल किया गया। इस कानून के तहत किसी भी तकनीक के माध्यम से गर्भ–धारण के पूर्व या जन्म पूर्व लिंग परीक्षण और लिंग की जानकारी की घोषणा करने पर प्रतिबन्ध है। इतना ही नहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इससे सम्बंधित किसी भी तरह का विज्ञापन करना प्रतिबन्धि है और दंडनीय भी है।

इस कानून के मुख्य बिंदु

1. कोई व्यक्ति, जिसमें कोई फर्टिलिटी क्षेत्र का विशेषज्ञ या विशेषज्ञों की टीम सम्मिलित है, किसी महिला या पुरुष या दोनों या उन दोनों या उनमें से किसी एक के कोई भी ऊतक, गर्भस्थ भ्रूण, कान्स्प्ट्स, फ्ल्यूड या गैमेट का न तो प्रबंध करेगा, न उसमें सहायता करेगा या किसी अन्य व्यक्ति से करवाएगा। (धारा 3–क)

2. ऐसे व्यक्ति, प्रयोग शालाएं तथा क्लिनिक, जो इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं, को अल्ट्रासाउंड मशीन आदि बेचने का प्रतिषेध है। (धारा 3–ख)

3. प्रसूति पूर्व तकनीक निम्नलिखित उद्देश्यों के अलावा उपयोग में नहीं लाई जायेगी –

- गुणसूत्री अनियमितताओं में,
- अनुवांशिक उपापचयी विकारों,
- हीमोग्लोबीनोपेथी,
- लिंग सम्बन्धी विकारों में,
- जन्मजात विषमता में,
- अन्य कोई अनियमितता या बीमारी जैसा कि केन्द्रीय पर्यवेक्षणीय मंडल द्वारा निर्दिष्ट की जाए। **धारा 4 (2)**

4. इन स्थितियों में ही महिला का प्रसूति पूर्व परीक्षण किया जाएगा –

- गर्भवती महिला की आयु 35 वर्ष से अधिक हो,
- गर्भवती महिला के दो या अधिक तात्क्षणिक गर्भपात या गर्भस्थ भ्रूण हानि हो चुकी हो,
- गर्भवती महिला ड्रग्स, विकिरण, इन्फेक्शन या केमिकल्स जैसे पोटेंशियली टेराटोजेनिक एजेंट्स के संपर्क में आई हो,
- गर्भवती महिला या उसके पति के परिवार में मानसिक मंदता या शारीरिक कुरचना जैसे स्पैस्टीसिटी या कोई अन्य अनुवांशिक बीमारी का इतिहास हो,
- अन्य कोई शर्त जो बोर्ड द्वारा विहित की जाए, **धारा 4 (3)**

5. कोई भी व्यक्ति, जो किसी गर्भवती महिला की अल्ट्रा सोनोग्राफी करता है, वह अपने क्लीनिक में कानून में बताये गए सभी दस्तावेज सुरक्षित रखेगा तथा कोई कमी या अपूर्णता पाए जाने पर धारा 5 या धारा 6 का उल्लंघन माना जाएगा, जब तक वह व्यक्ति, जिसने अल्ट्रा सोनोग्राफी की है, उसे अन्यथा साबित न कर दे। **धारा 4 (4)**

6. बच्चे के जन्म से पहले कोई भी व्यक्ति प्रसूति पूर्व तकनीक प्रक्रिया का सञ्चालन गर्भवती महिला की लिखित सहमति के बिना नहीं करेगा। इसके साथ ही महिला को इसके सभी ज्ञात पक्षों के बारे में जानकारी दी जाना होगी। इसके साथ ही महिला के भाषा में ही इस प्रक्रिया के संचालन के लिए लिखित सहमति लेना होगी। **(धारा 5)**

7. कोई भी व्यक्ति प्रसूति पूर्व निदान तकनीकी, जिसमें अल्ट्रा सोनोग्राफी सम्मिलित है, का संचालन भ्रूण के लिंग निर्धारण हेतु नहीं करेगा या करने का कारक बनेगा। कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार या कारण से गर्भधारण पूर्व या पश्चात लिंग चयन नहीं कर सकेगा। **(धारा 6 (क और ख))**

8. इस कानून के तहत राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन होगा, जो इस कानून के बारे में जागरूकता पैदा करेगा और प्राधिकारियों की कामों का पुनरीक्षण करेगा और उपयुक्त कार्यवाही के सुझाव देगा। इसकी बैठक हर चार महीने में होना चाहिए। **(धारा 16)**

9. हर राज्य में समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति की नियुक्त करना। ये प्राधिकारी इस कानून उल्लंघन की सूचना रखने वाले किसी भी व्यक्ति को समन कर सकती है। यदि कहीं लिंग चयन होने की सूचना है तो उसके लिए तलाशी वारंट जारी कर सकती है।

अपराध और सजा

1. कोई भी विशेषज्ञ या सेवा देने वाला, तकनीकी या व्यावसायिक मदद देने वाला इस अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल की जेल और 10 हजार रूपए का जुर्माना होगा। पश्चातवर्ती दोष सिद्व होने पर 5 साल की जेल और 50 हजार रूपए का जुर्माना होगा।

2. गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व लिंग निर्धारण से सम्बंधित विज्ञापन करने पर 3 साल की जेल और 10 हजार रूपए का जुर्माना हो सकेगा।

3. राज्य चिकित्सा परिषद के जरिये कार्यवाही करके प्रकरण के निपटारे तक उस पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी (डाक्टर) का पंजीयन निलंबित किया जाएगा। पहली बार दोष साबित होने पर 5 साल के लिए और फिर से अपराध किये जाने पर हमेशा के लिए उनका पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। (धारा 23)

4. लिंग चयन के काम में मदद लेने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए 3 से 5 साल की जेल और 50 हजार रूपए से लेकर एक लाख रूपए तक जुर्माना किये जाने का प्रावधान है। (धारा 23)

5. इसमें महिला का पति या अन्य रिश्तेदार भी शामिल हैं। यदि यह साबित नहीं होता है कि गर्भवती महिला को इसके लिए मजबूर किया गया था (यानी महिला की भी इच्छा थी कि लिंग परीक्षण कराया जाए) तो यह प्रावधान उसे पर भी लागू होंगे। (धारा 24)

6. यदि महिला के परिजन लिंग चयन के लिए महिला को मजबूर करते हैं, तो उन्हें भी सजा दिए जाने का प्रावधान है।

7. इस कानून के तहत हर अपराध संज्ञेय, गैर–जमानती और अशमनीय होगा।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य

मुख्य बिंदु	क्या कार्यवाही/कोशिश हो?
सामुदायिक संवाद	समुदाय में लिंग परीक्षण और लैंगिक भेदभाव के बारे में चर्चा करना।
अवलोकन और अध्ययन	यह जानना कि गर्भवती महिलाओं के प्रति समुदाय में कैसा व्यवहार है? समुदाय में लड़कियों/बच्चियों की क्या स्थिति है?
गर्भवती महिलाओं की देखभाल और स्वास्थ्य सेवाएं	1. हम सब जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान हर महिला की कम से कम चार बार जांचें होती हैं। जरूरत पड़ने पर इससे ज्यादा बार भी स्वास्थ्य/स्थिति जांच हो सकती है। 2. हमें यह देखना है कि गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच कहाँ हो रही है – सरकारी अस्पतालों में या निजी अस्पतालों में!
अल्ट्रा साउंड–सोनोग्राफी जांच	• पिछले एक साल में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य जांच की स्थिति का अध्ययन करने से कुछ बातें स्पष्ट हो जायेंगी। जैसे – हम उनसे जानें कि क्या गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासाउंड–सोनोग्राफी हुई? अल्ट्रा साउंड या सोनोग्राफी कराने की जरूरत क्यों पड़ी? • उन्हें इसके लिए किसने सुझाव दिया था? • क्या अल्ट्रा साउंड–सोनोग्राफी के लिए उन्हें अपनी तरफ से भुगतान करना पड़ा? यदि हाँ, तो कितनी राशि खर्च हुई? • जब वे अल्ट्रा साउंड–सोनोग्राफी करवाने के लिए गए थे, तब उनसे क्या–क्या बात की गयी? मसलन यह जांच क्यों की जा रही है? क्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह कहा गया कि वे चाहें तो गर्भस्थ बच्चे का लिंग परीक्षण भी करा सकते हैं? • क्या समुदाय में इस तरह की कभी कोई बात हुई है कि लिंग परीक्षण कराया जा सकता है?

सेवा की उपलब्धता और उपयोग	हमारे क्षेत्र में या हमारे विकास खंड में या जिले में अल्ट्रासाउंड–सोनोग्राफी जांच की सुविधा उपलब्ध है? यदि हाँ, तो कहाँ और किनके पास है? क्या गांव/बस्ती/वार्ड के लोग वहाँ जांच के लिए जाते हैं? यह जानें कि क्या उस केंद्र/अस्पताल/डाक्टर के पास अल्ट्रासाउंड–सोनोग्राफी तकनीक के उपयोग की अनुमति है? क्या उस केंद्र की नियमित रूप से निगरानी होती है? क्या हर गर्भवती महिला से जांच के लिए अनुमति/सहमति ली जाती है? क्या कानून के मुताबिक सभी दस्तावेज संधारित किये जाते हैं?
स्वास्थ्य विभाग को शामिल करना	अल्ट्रासाउंड–सोनोग्राफी के सन्दर्भ यदि संभव हो तो हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला चिकित्सालय के जिम्मेदारी स्वास्थ्य अधिकारी से आग्रह करें कि वे समुदाय में आकर लोगों से इस विषय पर चर्चा करें और नियम–कानूनों के बारे में बताएं।
ग्राम सभा–पंचायत की बैठक करना	लिंग परीक्षण या कन्या भ्रूण हत्या और अल्ट्रासाउंड–सोनोग्राफी की तकनीक के बारे में ग्राम सभा–पंचायत की बैठक में खास तौर पर बातचीत करना और यह शपथ लेना कि हमारे समुदाय में कभी इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाएगा।